झांसी जनपद में स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की आर्थिक प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक अध्ययन

(आठवीं पंचवर्षीय योजना से अद्यतन समय तक)

ANALYTICAL AND CRITICAL STUDY OF THE ECONOMIC TENDENCIES OF LABOURS WORKING IN STONE CRUSHER INDUSTRY IN JHANSI DISTRICT

(Since Eighth Five Year Plan to Todate)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी
के कला संकाय में
पी-एच0डी0 शोध उपाधि (अर्थशास्त्र)
हेतु प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध

शोध-निदेशक
डॉ0 सतीश कुमार त्रिपाठी
रीडर एवं विभागाध्यक्ष - अर्थशास्त्र
पं0 जवाहरलाल नेहरू स्नाकोत्तर
महाविद्यालय बांदा (उ0प्र0)

शोधार्थी
सुभाष चन्द्र यादव
एम0ए0 (अर्थशास्त्र)

शोध-केन्द्र
पं0 जवाहरलाल नेहरू स्नाकोत्तर महाविद्यालय, बांदा (उ0प्र0)

atish K. Tripathi
· & Head : Deptt. of Economics
waharlal Nehru P.G. College,
Banda 210 001
ator : U.P. Rajrishi Tandon Open
University, Allahabad

☎ Res. (05192) 220571
Off. (05192) 220691
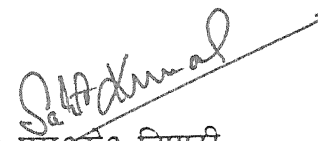
Residence
Jyoti Kalash,
707/1, Shakti Nagar,
Kalu Kunwa,
Banda 210 001 (U.P.)

Date : ....

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुभाष चन्द्र यादव ने *"झांसी जनपद के स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक अध्ययन" (आठवीं पंचवर्षीय योजना से अद्यतन समय तक)* विषय पर मेरे निर्देशन में शोध-प्रवन्ध पूर्ण किया है। इसकी सामग्री मौलिक है और यह सम्पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य परीक्षा के लिए प्रयोग नहीं की गयी है।

मैं संस्तुति करता हूं कि यह इस योग्य है कि मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाय।

Satish Kumar

डॉ० एस०के० त्रिपाठी
रीडर एवं विभागाध्यक्ष
अर्थशास्त्र
पं० जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बांदा

आभारिका

पिछले दशक से अर्थशास्त्र के सैद्धान्तिक महत्व की तुलना में आर्थिक अनुसंधानों को व्यावहारिक दिशा देने के प्रयास किये गये हैं। प्रमुख अर्थशास्त्री गुन्नार मिर्डल ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में क्षेत्रीय समस्याओं को प्रमुखता दी है। सच है कि वर्तमान समय में अर्थशास्त्र की उपयोगिता इस तथ्य में निहित है कि वास्तविकताओं के सापेक्ष वह कितनी सटीक नीतियों का प्रतिपादन कर सकता है। उ0प्र0 के पिछड़े हुए प्रभाग बुन्देलखण्ड के जनपद झांसी में अर्थशास्त्र के इसी स्वरूप और आर्थिक अनुसंधान की यही दिशा चिर प्रतीक्षित रही है। इस दृष्टिकोण से झांसी जनपद की महत्वपूर्ण सामाजार्थिक समस्या ''*झांसी जनपद के स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक अध्ययन*'' अपने आप में महत्वपूर्ण, प्रासंगिक एवं अनुभवगम्य अनुसंधान का विषय है।

इस शुभ अवसर पर मैं अपने श्रद्धेय गुरुजी डॉ0 सतीश कुमार त्रिपाठी, रीडर एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, पं0 जवाहरलाल नेहरू पी0जी0 कॉलेज, बांदा के प्रति कृतज्ञ हूं जिन्होंने प्रस्तुत शोध-अध्ययन के प्रति मेरा ध्यानाकर्षण किया एवं निरन्तर साहस और सम्बल प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप मैं आज आपके समक्ष यह शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर पा रहा हूं। मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं एवं अपना अहोभाग्य समझता हूं कि उनके जैसे उदार एवं सहृदय शिक्षक के दिशा-निर्देशन में मुझे यह शोध-कार्य पूर्ण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ व शोधावधि के समय उनके बहुमूल्य सुझावों, उपयुक्त निर्देशों, उनकी उदारता व स्नेहशीलता से स्वयं को लाभान्वित कर सका। मैं पुनः उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

मैं डॉ0 वी0एस0 चौहान, रीडर, अर्थशास्त्र विभाग, पं0 जवाहरलाल नेहरू पी0जी0 कॉलेज, बांदा एवं बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी के डॉ0 कमलेश शर्मा के प्रति सदैव आभारी रहूंगा जिन्होने शोध कार्य हेतु मुझे समय-समय पर धैर्य और साहस प्रदान किया। मैं पं0 जवाहरलाल नेहरू पी0जी0 कालेज के अन्य सभी अर्थशास्त्र विषय के प्राध्यापकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सदैव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने बहुमूल्य विचारों से लाभान्वित किया।

मैं झांसी जनपद में स्थित विभिन्न कार्यालयों जिनमें अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय एवं लखनऊ स्थित विभिन्न कार्यालय जिसमें राज्य नियोजन संस्थान, योजना भवन, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, वित्त विभाग एवं पुस्तकालय (सचिवालय) एवं गिरी इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेन्ट स्टडीज, लखनऊ आदि से सम्वद्ध अधिकारी एवं कर्मचारियों के प्रति सदैव आभारी रहूंगा, जिन्होने प्रस्तुत अध्ययन से सम्वद्ध साहित्य-सामग्री एवं सूचनाएं संकलित करने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। इस संदर्भ में मैं श्री मुरारीलाल शुक्ल, शोधाधिकारी, भूमिउपयोगिता परिषद्, योजना भवन, लखनऊ का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं जनपद में कार्यरत विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, जिनके द्वारा मुझे व तथ्य ज्ञात हुए जो अन्य स्रोतों से प्राप्त नहीं हो सकते थे।

मैं अपने परम आदरणीय पिता श्री मातादीन यादव एवं माताश्री शिवकुमारी को सादर प्रणाम करता हूं जिनकी प्रेरणा व आर्शीवाद से यह कार्य पूर्ण कर सका। मैं (स्व०) श्रीमती विश्वज्योति त्रिपाठी का नमन करता हूं जो कि इस शोधकार्य हेतु उत्साहवर्धन करती थीं, किन्तु वे आज इस कार्य को देखने के लिए इस नश्वर संसार में उपस्थित नहीं हैं। मैं श्री शिव ओम् तिवारी, श्री नीरज शुक्ला, श्री मनोज यादव, श्री देवेन्द्र काले एवं अपने सभी पारिवारिक सदस्यों के प्रति सदैव आभारी रहूंगा जिन्होने इस शोध कार्य को पूर्ण करने में सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

मैं श्री जयंत गोरे, प्रोप्राइटर इण्डिया लेमिनेटर्स, बांदा का विशेषरूप से आभारी हूं जिन्होने अथक परिश्रम से सीमित अवधि में इस शोध-अध्ययन को स्वच्छता एवं शुद्धता से टंकण किया।

अंत में, आदि शक्ति मां जगदम्बा (माँ पीताम्बरा) को कोटिशः नमन जिनकी असीम अनुकम्पा से मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ और परिणामतः यह शोध कार्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर सका। यदि यह झांसी जनपद के स्टोन क्रेशर श्रमिकों की समस्याओं को समझने में सहायक हुआ तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूंगा।

सुभाष चन्द्र यादव

शोधार्थी-अर्थशास्त्र विभाग

पं० जवाहरलाल नेहरू पी०जी०

कॉलेज, बांदा (उ०प्र०)

विषयानुक्रमणिका

सारणी अनुक्रमणिका

"My Lord, whatever fate awaits our labours, one thing is clear. We shall be entitled to feel that we have done our duty; and when the call of duty is clear, if is better to labour and fail than not to labour at all."

- GOPAL KRISHNA GOKHALE, 1911

''अहो सिद्धार्थता तेषां येषां सन्तीह पाणयः।
अतीव स्पृहये तेषां येषां सन्तीह पाणयः।
पाणिमद्भ्यः स्पृहास्माकं यथा तव धनस्य वै।
न पाणिलाभादधिको लाभः कश्चन विद्यते।''

- महाभारत के शान्तिपर्व से उद्धृत

अर्थात्

'जिनके हाथ हैं, वे ही सफल होते हैं। मैं उत्सुकता से उन प्राणियों की प्रस्थिति की अभिलाषा करता हूं जिनके पास हाथ हैं। हम उत्सुकता से हाथों की लालसा उसी प्रकार करते हैं, जिस प्रकार तुम धन की लालसा करते हो। कोई भी अर्जन उतना मूल्यवान नहीं है जितना हाथों की प्राप्ति।'

प्रथम अध्याय

झांसी जनपद की भौगोलिक एवं आर्थिक विलक्षणताएं

"It might be contended that the study of applied economics is or should be our final end, and that the only importance of the study of pure economics should consist in the fact that it serves as a means to such an end."

❑ J.K. Mehta

पूर्व पीठिका

मानव इतिहास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में शारीरिक श्रम की प्रधानता थी। मनुष्य अपने हाथों, अंगुलियों आदि का प्रयोग कर प्रकृति द्वारा प्रदत्त खाद्य-सामग्रियों का संग्रह करता था। धीरे-धीरे वह पत्थर और लकड़ी के हथियार बनाकर जानवरों का शिकार करता और मछलियां पकड़ता। इसी तरह खाद्य-उत्पादन की अवस्था में अकुशल श्रम की ही प्रधानता थी। खेती और पशु-पालन के कार्य साधारण थे और इनके लिए कौशल की आवश्यकता नहीं थी। खेती या शिकार के लिए छोटे-छोटे औजार या हथियार तो बन चुके थे, लेकिन उनके प्रयोग में बहुत अधिक शारीरिक श्रम लगाना पड़ता था। आर्थिक विकास की इस अवस्था में एक ही व्यक्ति तरह-तरह के काम कर लिया करता था, जैसे- खेती, पशु-पालन, जानवरों के शिकार, औजार और हथियार बनाना आदि। इस तरह आर्थिक विकास की इस अवस्था में श्रम-विभाजन या विशिष्टीकरण नहीं के बराबर था।

कालान्तर में मनुष्य ने धातुओं का प्रयोग करना सीख लिया। उसने धातुओं के प्रयोग से अच्छे-अच्छे औजार और हथियार बनाए। साथ ही, उसने धातुओं की अन्य वस्तुएं भी बनानी

शुरू की। धातुओं के बने औजारों से अन्य प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन भी आसान हो गया। धीरे-धीरे, मनुष्य वस्त्र, लकड़ी और चमड़े के सामान, विभिन्न प्रकार के उपकरण, वाहन आदि का उत्पादन करने लगा। धातुओं के बने हथियारों से शिकार भी आसान हो गया। इस तरह मनुष्य की उत्पादन सम्बन्धी क्रियाएं दिनों दिन विकसित होती गई। आर्थिक विकास का यह सिलसिला आने वाले दिनों में भी चलता रहा। बाद में, मनुष्य सोना,चांदी तथा हाथी दांत के प्रयोग, पत्थर की मूर्ति, रंगाई, धुलाई, भवन-निर्माण तथा अच्छे ढंग के वाहन बनाने आदि के क्षेत्रों में प्रगति करने लगा।

धातुओं के प्रयोग ने उत्पादन-कार्य में व्यापक रूप से विविधता ला दी। कुछ प्रकार के उत्पादन में हुनर या कौशल जरूरी हो गया। उन्हें साधारण अकुशल श्रमिक नहीं कर सकता था। उत्पादन-कार्य में विविधता आने से एक ही व्यक्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना असम्भव हो गया। इस तरह, उत्पादन में श्रम-विभाजन और विशिष्टीकरण आवश्यक होता गया। साथ ही, इस प्रकार के उत्पादन में कुशल कारीगरों की संख्या में वृद्धि होती गई। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उत्पादन या अन्य आर्थिक क्रियाकलापों के लिए विभिन्न व्यावसायेक श्रेणियों का उदय होता गया जैसे- किसान, खेतिहर मजदूर, पशु-पालक, शिकारी, बढ़ई, जुलाहे, लोहार, मोची, मूर्तिकार, चित्रकार, धोबीराज आदि। पहले इन व्यवसायों में लोग अपनी क्षमता या कौशल के आधार पर सम्मिलित होते थे, लेकिन बाद में ये व्यवसाय वंशानुगत होते गए।

औद्योगिक क्रांति के बाद, श्रम के स्वरूप में आधारभूत परिवर्तन हुए मशीनों और शक्ति के नए साधनों के आविष्कार ने उत्पादन क्रिया को जड़ से बदल दिया। मशीनों के आगमन से उत्पादन-कार्य अनेक क्रियाओं और उप-क्रियाओं में बंट गया और प्रत्येक क्रिया और उप-क्रिया पर अलग-अलग प्रकार के श्रमिकों को काम पर लगाया गया। अब श्रमिक उत्पादन-सम्बन्धी किसी एक छोटे से कार्य पर नियोजित होने लगे। इस तरह मशीनों के आने से श्रम-विभाजन आवश्यक हो गया। नयी-नयी प्रकार की मशीनों के आविष्कार और औद्योगिक विकास से श्रम-विभाजन और भी जटिल होता गया। उद्योगों के साथ-साथ, कृषि का यंत्रीकरण भी होने लगा जिससे कृषि-उत्पादन में भी अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। कृषि-उत्पादन में भी श्रम-विभाजन का प्रयोग होने लगा। उत्पादन के पैमाने बढ़ने लगे और बड़े-बड़े कारखानों में बड़ी संख्या में श्रमिक एक साथ काम करने लगे। औद्योगीकरण के प्रसार से कई परम्परागत व्यवसाय लुप्त होने

लगे और अनेक शिल्पी या कारीगर कारखानों में काम करने लगे। बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ-साथ कई छोटे उद्योग-धन्धे भी विकसित होते गए और उनमें भी मजदूरी पर बड़ी संख्या में श्रमिकों को नियुक्त किया जाने लगा।

प्राचीन या मध्यकालीन युग की तुलना में आज के श्रमिकों को कई प्रकार के अधिकार उपलब्ध है। उन्हें अपने संगठन बनाने के अधिकार हैं। वे इस अधिकार का प्रयोग कर श्रम-संघ बनाते हैं और नियोजकों के साथ समानता के आधार पर सौदेबाजी करते हैं। वे अधिक सुख-सुविधाओं के लिए सरकार पर भी दबाव डालते हैं। आज श्रमिकों से जबरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता। उनकी आर्थिक और सामाजिक प्रस्थिति में भी व्यापक रूप से सुधार हुए हैं। आधुनिक औद्योगिक समाज में मजदूरी-अर्जकों के स्थायी वर्ग का विस्तार व्यापक रूप से हुआ है।

सभ्यता के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में कुछ विशेष प्रकार के काम की व्यापकता भी बढ़ने लगी। विभिन्न प्रकार के श्रम में कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

1- दास श्रमः-

विश्व की प्रायः सभी प्राचीन सभ्यताओं में दास श्रम प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी। भारत, यूनान, मिश्र, रोम, बेबिलोनिया आदि प्राचीन सभ्यताओं में यह प्रथा अनेक वर्षो तक चलती रही। इस प्रथा में युद्ध के विजेता पराजित लोगों को बन्दी बना लेते और उनके काम के बदले उन्हें खाने-पहनने के लिए कुछ दे दिया जाता। पहले जीविकोपार्जन या उत्पादन सम्बन्धी क्रियाएं बड़ी कठिन थीं। इस कारण, अधिकांश बन्दियों से दास के रूप में काम लेने में भी बड़ी कठिनाई होती थी क्योंकि उनको खिलाने पिलाने में जो खर्च होता उसके अनुपात में उनसे उत्पादन नहीं लिया जा सकता था। जब मनुष्य के आर्थिक क्रिया कलाप कुछ विकसित हुए और बन्दियों से अतिरिक्त मूल्य का सृजन संभव होने लगा, तब उनसे दासों के रूप में काम लिया जाने लगा। जैसे-जैसे कृषि उत्पादन, पशु-पालन, भवन-निर्माण आदि से सम्बन्धित कार्य व्यापक रूप से होने लगे वैसे-वैसे दासों की मांगे भी बढ़ने लगीं। वस्तुओं की तरह दासों का भी क्रय-विक्रय होने लगा।

2- कृषिदास श्रमः-

दास प्रथा के उन्मूलन के बाद कई सामंतवादी समाजों में कृषि दास श्रम प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित हुई। कृषि दास प्रथा के अन्तर्गत सामंत या जागीरदार कृषिदासों को अपनी जमीन में बसा लेते थे। कभी-कभी उन्हें खेती के लिए कुछ जमीन दे दी जाती थी। इनके बदले कृषि-दासों को अपने स्वामियों के खेतों में मुक्त काम करना पड़ता था। कभी-कभी उन्हें निर्वाह के लिए कुछ दे दिया भी जाता था। जब स्वामियों के यहां काम नहीं होता तो वे अन्यत्र काम कर सकते थे। उन्हें अपने घर छोड़कर बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। ऐसा करने पर उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। सामंतवाद के उन्मूलन के बाद कृषि दास प्रथा भी समाप्त होने लगी, लेकिन इसका प्रचलन कई देशों में बहुत बाद तक चलता रहा।

3- करारबद्ध श्रमः-

मध्य-युग के अन्तिम चरनों में विदेशों की खोज, उद्योग-धन्धों के विकास वाणिज्य-व्यापार की उन्नति आदि के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता हुई। बाद में औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप भी श्रमिकों की मांग बढ़ गई। उस समय तक कई देशों में कृषिदास प्रथा का भी उन्मूलन हो चुका था। इस तरह अधिकांश श्रमिक अपनी इच्छानुसार काम या व्यवसाय करने के लिए स्वतन्त्र थे। उन्हें उनके कार्य के लिए मजदूरी मिलती थी। उद्योगपतियों, भू-स्वामियों तथा व्यापारियों को अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी, लेकिन प्रचलित दरों पर श्रमिक आसानी से नही मिल पाते थे। इस कारण, वे श्रमिकों को अग्रिम रूप में अच्छी राशि दे देते और उनसे करार करा लेते थे वे करार की निर्धारित अवधि तक अग्रिम देने वालों के व्यवसाय में काम करेंगे। उन्हें इस अवधि में मजदूरी भी दी जाती थी। करार की अवधि की समाप्ति पर वे स्वतन्त्र हो जाते थे और कहीं भी काम कर सकते थे। इस प्रकार के श्रम को करारबद्ध श्रम कहते हैं। औपनिवेशिक अमेरिका तथा कई अन्य उपनिवेशों में बड़ी संख्या में करारबद्ध श्रमिकों को भिन्न-भिन्न देशों से ले जाया गया। ब्रिटिश शासनकाल में भारत से भी कई करारबद्ध श्रमिक दूसरे देशों, विशेषकर अफ्रीकी देशों में काम करने के लिए गए। अब करारबद्ध श्रम प्रथा भी समाप्त हो चुकी है।

4- बंधुवा श्रमः-

बंधुवा श्रम भी एक प्रकार के करारबद्ध श्रम का उदाहरण है। बंधुवा श्रम में लिखित

करारनामे की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे करार मुख्यतः मौखिक ही होते हैं। इस प्रथा में खेतिहर–श्रमिक अपने या अपने बाल-बच्चों के विवाह के लिए ऋण लेते थे और वे ऋणदाता के साथ स्थाई रूप से बंध जाते थे। ऋण के बदले कर्जदार–श्रमिक ऋणदाता के खेतों में या उसके यहां विभिन्न प्रकार के काम करते। इस काम के लिए उन्हें कुछ मजदूरी भी दी जाती थी। कई ऋणदाता कर्जदार श्रमिक को खेती के लिए कुछ जमीन भी दे देते थे। जब तक ऋणदाता को कर्जदार श्रमिकों की जरूरत रहती, वे उसी के यहां काम करने के लिए बाध्य थे। ऋणदाता के यहां काम नहीं रहने पर ही वे अन्यत्र काम कर सकते थे। सिद्वांततः ऋण की राशि और खेती के लिए दी जाने वाली जमीन को लौटा देने पर बंधुआ श्रमिक बंधन से मुक्त हो जाते थे, लेकिन व्यवहार में ऐसा शायद ही होता था। बंधुआ श्रमिक पर ऋण का बोझ निरन्तर बना रहता। उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके बाल-बच्चों को ऋणदाता के यहां काम करना पड़ता और यह क्रम पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता रहता। भारत के विभिन्न भागों में बन्धुआ श्रम प्रथा सदियों से चली आ रही थी। 1976 में कानून बनाकर इस प्रथा का उन्मूलन और बन्धुआ श्रमिकों को ऋण-मुक्त कर दिया गया है। लेकिन भारत में बन्धुआ श्रम प्रथा का आज भी पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो पाया हैं।

5- स्वतन्त्र श्रमिकः-

आर्थिक विकास के प्रारम्भिक चरणों से ही कई श्रेणियों के श्रमिक अपनी इच्छानुसार किसी भी नियोजक के यहां काम करने और अपनी मजदूरी के लिए सौदेबाजी करने के लिए स्वतन्त्र रहे हैं। समय-समय पर इन श्रमिकों की मजदूरी और कार्य की दशाओं से सम्बन्धित राजकीय नियमन भी होते रहे हैं। औद्योगीकरण के बाद स्वतन्त्र श्रमिकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गई। राजतन्त्र, अधिकारवाद तथा अधिनायकतंत्र के पतन और प्रजातन्त्र के उदय के साथ बड़ी संख्या में श्रमिक स्वतन्त्र रूप से अपने पेशे अपनाने लगे और अपनी पसन्द के नियोजक के यहां काम करने लगे। आज विश्व के अधिकांश श्रमिक स्वतन्त्र श्रमिकों की श्रेणी में ही आते हैं। वे अपना संगठन बनाते हैं और अपनी मजदूरी और कार्य की दशाओं में सुधार लाने के लिए नियोजकों से सौदेबाजी करते हैं तथा सरकार पर दबाव डालते हैं। राज्य की ओर से भी उनकी दशाओं में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सिद्धान्ततः स्वतन्त्र श्रमिकों को नियोजकों के साथ बराबरी के स्तर पर समझा जाता है, लेकिन व्यवहार में कई श्रेणियों के श्रमिक

नियोजक की बराबरी नहीं कर सकते। समाजवादी देशों में श्रमिकों की प्रस्थिति ऊंचे स्तर की होती है। उत्पादन तथा प्रबन्ध के अतिरिक्त वे प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आज बड़े-बड़े उद्योगों के अतिरिक्त छोटे-छोटे उद्योगों, सेवाओं तथा कृषि में कार्यरत श्रमिक स्वतन्त्र श्रमिक होते हैं।

6- स्व-नियोजित श्रमः-

सभ्यता के प्रारम्भ से ही कई श्रमिक अपने व्यवसाय या उद्योग-धन्धों के स्वामी तथा उत्पादित वस्तुओं के विक्रेता भी होते हैं। जब उत्पादन में केवल छोटे-छोटे औजारों का प्रयोग किया जाता था, उस समय भी कई श्रमिक उत्पादन के भौतिक साधनों के स्वामी होते थे और अपने श्रम की सहायता से उत्पादन सम्बन्धी कार्य करते थे। इस श्रेणी के श्रमिकों में कुम्हार, लोहार, बढ़ई, मोची आदि के अनेक व्यावसायिक समूहों का उल्लेख किया जा सकता है। इसी तरह कृषि में भी कई लोग उत्पादन के साधनों के स्वामी और श्रमिक साथ-साथ रहे हैं। जैसे-जैसे उत्पादन में विविधता आती गई, वैसे-वैसे स्व-नियोजित श्रम के स्वरूप में भी परिवर्तन हुए। औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व, उद्योग-धन्धों, कृषि, परिवहन तथा कई दुकानों एवं प्रति-ष्ठानों में स्व-नियोजित श्रम की भूमिका अत्यन्त ही महत्वपूर्ण थी। औघोगिक क्रांति और औद्योगीकरण के फलस्वरूप अनेक स्व-नियोजित व्यक्ति उत्पादन के भौतिक साधनों के स्वामित्व से वंचित होते गए और मजदूरी अर्जको के रूप में काम करने लगे। औद्योगीकरण के प्रसार के बावजूद आज भी विश्व के प्रायः सभी देशों में स्व-नियोजित श्रम का अर्थिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण स्थान है। स्व-नियोजित श्रम के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है कि इस प्रकार के श्रम के साथ समस्याओं का प्रश्न नहीं उठता।

श्रम का वर्गीकरण कुछ विशेष आधारों पर भी किया जाता है जैसे- कौशल कार्य के स्वरूप, व्यवसाय, निवास-स्थल, कार्य की निरन्तरता तथा मजदूरी पर निर्भरता की मात्रा आदि आधारों पर।

कौशल के आधार पर श्रम को साधारणतः दो मुख्य श्रेणियों में रखा जाता है-

(क) अकुशल श्रम तथा (ख) कुशल श्रम।

(क) अकुशल श्रमः-

अकुशल श्रम से ऐसे श्रम का बोध होता है जिसे करने के लिए विशेष हुनर

प्रशिक्षण, शिक्षा आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे श्रम में शारीरिक प्रयासों की प्रधानता होती है। एक ही अकुशल श्रमिक विभिन्न प्रकार के साधारण काम कर सकता है। अकुशल श्रम के उदाहरण हैं- बोझ या सामान ढोने, पहरा देने, झाडू देने, कुदाल चलाने, घरेलू नौकर, चपरासी आदि के कार्य।

(ख) कुशल श्रमः-

कुशल श्रम से ऐसे श्रम का बोध होता है जिसे करने के लिए विशेष हुनर, प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान आदि की आवश्यकता पड़ती है। मेकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इन्जीनियर, डाक्टर आदि के श्रम इसी श्रेणी में आते हैं। कौशल की मात्रा में विभिन्नताएं पायी जाती हैं। इस कारण कुशल श्रम को भी विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है जैसे- अत्यधिक कुशल श्रम कुशल श्रम तथा अर्द्धकुशल श्रम। कई प्रकार के उद्योगों में कुशल श्रमिकों के बिना उत्पादन का काम सम्पन्न नहीं किया जा सकता। आज विश्व के विभिन्न देशों में कुशल श्रम की पूर्ति के लिए तरह-तरह के शिल्पों और व्यवसायों में प्रशिक्षण संस्थानों और केन्द्रों की स्थापना की गई है। कई परम्परागत उद्योगों में भी कुशल श्रम की प्रधानता पहले जैसी बनी हुई है।

कार्य में शारीरिक या मानसिक प्रयासों की प्रधानता के आधार पर भी श्रम का वर्गीकरण किया जाता है। इस आधार पर श्रम को दो मुख्य श्रेणियों में रखा जाता है-

(क) शारीरिक श्रम तथा (ख) मानसिक श्रम

(क) शारीरिक श्रम-

शारीरिक श्रम में शरीर के विभिन्न अंगों, विशेषकर हाथ-पांवों द्वारा किए जाने वाले कार्यो की प्रधानता रहती है। इस प्रकार के श्रम में दिमाग लगाने की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। कृषि, पशु-पालन, खनिज निकालने, पत्थर तोड़ने, ठेला चलाने, सामान ढोने आदि के कार्य शारीरिक श्रम के उदाहरण हैं। ऐसे श्रम करने वालों को कायिक कर्मी भी कहते हैं।

(ख) मानसिक श्रम-

`इस प्रकार के श्रम में शारीरिक प्रयासों की तुलना में मानसिक प्रयासों की प्रधानता होती है। कार्यालयों, शिक्षण संस्थाओं, शोध-संस्थानों, डिजाइन आदि से

सम्बन्धित कार्यों में मानसिक श्रम की प्रधानता रहती है। ऐसे श्रम करने वाले को सफेद-पोश कर्मचारी भी कहते हैं।

व्यवहार में शायद किसी प्रकार का श्रम हो जिसे केवल शारीरिक या केवल मानसिक प्रयास द्वारा किया जाता हो। वास्तव में, सभी श्रम में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के प्रयास सम्मिलित रहते हैं। जब किसी श्रम में मानसिक प्रयास की प्रधानता होती है, तो उसे मानसिक श्रम और शारीरिक प्रयास की प्रधानता होती है, तो उसे शारीरिक श्रम कहा जाता है।

नियोजन के व्यापक क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर भी श्रम का वर्गीकरण किया जाता है। इस दृष्टिकोण से श्रम के कुछ मुख्य प्रकार हैं-

(क) कृषि श्रम (ख) औद्योगिक श्रम (ग) बागान श्रम (घ) निर्माण श्रम (ङ) सेवा श्रम, (च) परिवहन श्रम तथा (छ) कार्यालय श्रम।

निवास-स्थान की प्रकृति के आधार पर श्रम को मुख्यतः दो श्रेणियों में रखा जाता हैं- (क) ग्रामीण श्रम तथा (ख) शहरी श्रम।

कार्य की निरंतर प्रकृति के आधार पर श्रम को साधारणतः दो श्रेणियों में रखा जाता है- (क) स्थायी श्रम तथा (ख) अस्थायी श्रम। कई श्रमिक अपने और अपने परिवार के जीवन यापन के लिए केवल मजदूरी पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे श्रमिकों को मजदूरी अर्जकों के स्थायी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। दूसरी ओर कई लोग, विशेषकर महिलाएं और बच्चे, केवल अस्थायी अवधि के लिए ही आर्थिक रूप से सक्रिय होते हैं। श्रम वर्गीकरण के लिए कई अन्य आधारों का सहारा लिया जा सकता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अलग-अलग प्रयोजनों के लिए श्रम का वर्गीकरण अलग-अलग ढंग से किया जाता है। एक ही प्रकार का श्रम विभिन्न आधारों पर किए गये वर्गीकरण में सम्मिलित हो सकता है। अलग-अलग समयों और स्थानों में अलग-अलग प्रकार के श्रम की प्रधानता होती है। श्रम की प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं। इस कारण उसके प्रकार भी बदलते रहते हैं। इस शोध अध्ययन में कुशल श्रम, अकुशल श्रम, शारीरिक श्रम, स्थायी श्रम एवं अस्थायी श्रम को विवेचन में किया जायेगा। ये सभी श्रम के प्रकार स्टोन क्रेशर उद्योग से सम्बद्ध हैं।

जनपद झांसी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में 25.13 और 25.57 उत्तरी अक्षांश एवं 78.48 से 79.25 पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। इस जनपद के पूर्व में हमीरपुर एवं महोबा, पश्चिम में शिवपुरी एवं दतिया, उत्तर में जालौन एवं दक्षिण में ललितपुर जनपद हैं। यह उत्तर-प्रदेश के दक्षिणी पठार का एक भागांश है। इसका उत्तर पूर्वी माग मैदानी क्षेत्र है। बेतवा, धसान व पहुंज यहां की प्रमुख नदियां हैं। इस जनपद के अधिकांश भाग में मैदानी क्षेत्र के साथ-साथ कई जगह कुछ मीलों के अन्तर पर पहाड़ या विशेष प्रकार का ग्रेनाइट (काला दानेदार पत्थर) व अन्य उपयोगी पत्थरों के पहाड़ है। लेदा पहाड़ (चट्टान), विकासखण्ड बड़ा गांव एवं जाल पहाड़ (चट्टान) विकासखण्ड बबीना वे स्थल हैं जहां ब्लास्टिंग एवं उत्खनन कार्य करके स्टोन क्रेशर से सम्बद्ध विविध उत्पादन किये जाते हैं। इस जनपद का दक्षिणी भाग पठारी है और इसमें अधिकतर झाड़, जंगल और बंजर भूमि है।

प्रस्तुत शोध-अध्ययन में झांसी जनपद के स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की आर्थिक प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक अध्ययन किया जायेगा। अतः पत्थर उद्योग से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन पूर्व पीठिका के अन्तर्गत किया जा रहा है।

पत्थर एवं मानव का सम्बन्ध आदि काल से रहा है। पत्थर आदि मानव की सभ्यता का प्रतीक कहा जाता है। आदि मानव पत्थर की बंद गुफाओं में रहा करता था, पत्थर के औजारों का ही उपयोग करता था। पत्थरों के बने घरों का भी प्रयोग आदि मानव किया करते थे। वस्तुतः आज भी मानव पत्थरों का उपयोग घर-निर्माण सामाग्री के रुप में करता आ रहा है। इस प्रकार से पत्थर आदि मानव के औद्योगिक व आर्थिक क्रियाओं की आधार शिला रहा है।

सभ्यता के विकास के साथ-साथ पत्थर के प्रयोग भी बदले और आज यह प्रमुख रूप से भवन, बांध, सड़कें व रेलपथ आदि के निर्माण की प्रमुख सामाग्री बन गया है। इस प्रकार से इसके द्वारा निर्मित सामाग्री कंक्रीट, जोश, डस्ट व पत्थर के ब्लाक, पटिया पत्थर पर आधारित क्रेशर उद्योग के प्रमुख उत्पाद है।

पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि यह जनपद पठारी एवं पहाड़ी है, अतः स्वाभाविक रूप से इस उद्योग का इस जनपद में प्रसारित होना ही था। चूंकि यह उद्योग पत्थरों के विधायन पर आधारित है, अतः क्रेशर उद्योग कहा जाता है। इन उद्योगों में यंत्रों के सहारे विद्युत एवं मानव श्रम के उपयोग से पत्थरों को क्रश करके उन्हें तोड़-फोड़ कर अथवा काट कर एवं

रूपांतरित करके उपरोक्त वर्णित सामाग्री का निर्माण किया जाता है। सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड प्रभाग विशेषतया जनपद झांसी, ललितपुर व बांदा इस उद्योग के प्रमुख केन्द्र हैं। इन केन्द्रों में हमारे श्रमिक कार्य कर रहे हैं। इनमें क्षेत्रीय श्रमिकों के अलावा दक्षिण भारत के श्रमिक भी बहुत बड़ी संख्या में कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार श्रमिकों का अन्य प्रान्त से आकर इस जनपद में कार्य करना इस बात की ओर इंगित करता है कि इन श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन एक महत्वपूर्ण शोध विषय होगा। वस्तुतः चयनित शोध-समस्या के अन्तर्गत झांसी जनपद के स्टोन क्रेशर श्रमिकों की आर्थिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करना इस शोध-अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है।

जनपद झांसी का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5024 वर्ग किमी० है जिसे दो पृथक-पृथक भौतिक इकाइयों में बांटा जा सकता है। उत्तर में निचला स्तर एवं उपजाऊ भूमि का भूभाग और दक्षिण में पठारी भूभाग। उत्तर भूभाग की अधिकांश भूमि समतल मैदानी है, जिसमें कहीं कहीं छोटी-छोटी पहाड़ियां फैली हैं। इस क्षेत्र में झांसी, मोंठ, गरौठा तथा मऊरानीपुर तहसील का उत्तरी भाग आता है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी पतराई है जो अपनी सहायक नदियों के साथ मऊरानीपुर तथा गरौठा तहसीलों की भूमि सिंचाई करती हुयी धसान नदी में मिल जाती है। इस क्षेत्र में मात्र काबर एवं पडुवा किस्म की मिट्टी पायी जाती है जो कि कृषि की दृष्टि से उपजाऊ क्षेत्र है। मोंठ तहसील में कई छोटी-छोटी धाराएं बेतवा नदी में मिलती है। मोंठ एवं गरौठा तहसीलों में फैली, छिटकी पहाड़ियों के अलावा दो प्रमुख पर्वत श्रंखलाएं हैं, इनमें से एक श्रंखला बरुआ सागर के पास से शुरू होकर झांसी-मोंठ तहसीलों से होती हुयी उत्तर-पूर्व की ओर जाती है तथा दूसरी मऊरानीपुर तहसील के बिल्कुल दक्षिण में स्थित कटेरा ग्राम से प्रारम्भ होकर कचनेव, मगरवारा झीलों से होती हुयी उत्तर की ओर जाती है। इस भाग की समुद्रतल से ऊंचाई गढ़मऊ में 677 फीट, मोंठ में 575 फीट और पूंछ में 540 फीट है! भूभाग के उत्तरी भाग में बेतवा नदी के किनारे की भूमि मिट्टी की चट्टानों से युक्त है, जिसमें खेती करना संभव नहीं हो पाता। बेतवा, धसान नदियों के संगम के कारण भारी मात्रा में क्षरण हुआ है। भूभाग का सामान्य ढलान उत्तर-पूर्व की ओर है। बेतवा नदी का पूर्वी भाग उसके पश्चिमी भूभाग की अपेक्षा नीचा है।

दक्षिणी भूभाग में झांसी और मऊरानीपुर का दक्षिणी भाग सम्मिलित है, जिसमें उपलब्ध चट्टानी पहाड़ियाँ अपने आप में विविधता उत्पन्न करती हैं। पहाड़ियों का झुकाव

उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर है। पहाड़ियों पर कोई वनस्पति आदि नहीं उगती है। उत्तर-भूभाग की मिट्टी चिकनी काली है जिसमें पानी सूखने के पश्चात दरारें पड़ जाती हैं। दक्षिणी भूभाग में मिट्टी मोटी किस्म की है, जो प्रायः रंग में लाल और उपजाऊ है।

जनपद झांसी में खनिज संपदा के रूप में ग्रेनाइट, पायरोफलाइट एवं डायस्फोर हैं। नदियों के बेसिन में बहुत अच्छी बालू प्राप्त होती है, जो कि काफी दूर तक भेजी जाती है।

जनपद झांसी में मुख्यतः तीन नदियाँ बेतवा, धसान और पहुंज बहती हैं, जिनका बहाव पूर्वोत्तर की ओर है। बेतवा जनपद की सबसे लम्बी नदी है तथा राजघाट, माताटीला, पारीछा होते हुए जनपद जालौन में प्रवेश करती है। पहुंज नदी विकास खण्ड बबीना में मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, तथा जनपद के पश्चिमी भाग में बहती हुयी मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। धसान नदी जनपद झांसी एवं महोबा के मध्य सीमा निर्धारित करती है। बेतवा नदी पर तीन बांध हैं। पारीछा सिंचाई बांध है जिससे पारीछा एवं गुरसराय नहरें निकाली गयी हैं। दूसरा बान्ध सुकवा-ढुकवा है। यह पारीछा की फील्डिंग रिजर्वियर है। बेतवा नदी पर सबसे बड़ा बांध माताटीला है जो इस समय ललितपुर जनपद में स्थित है। धसान नदी पर पहाड़ी बांध, मऊरानीपुर-नौगांव सड़क पर स्थित है। लहचूरा बांध जिससे धसान नहर निकली है। सपरार नदी पर कमला सागर बांध, जिससे रानीपुर नहर निकाली गयी है।

जनपद की मिट्टी मुख्यतः लाल व काली का मिश्रण है जिसे मार, काबर, पडुवा एवं काबर के नाम से जाना जाता है। जनपद के प्रथम खण्ड जिसमें विकास खण्ड चिरगांव, मोठ वामोर एवं मऊरानीपुर है, में 50 प्रतिशत भाग में मार, 30 प्रतिशत भाग में काबर एवं शेष 20 प्रतिशत में पडुवा मिट्टी पायी जाती है। पडुवा मिट्टी धसान, बेतवा नदी के कछार में पायी जाती है। राकर मिट्टी कड़ी होने के कारण कम उपजाऊ है। पडुवा मिट्टी उपजाऊ तो है लेकिन बिना खाद एवं सिंचाई के अधिक प्रकार की फसलें नहीं उगायी जा सकती हैं। राकर मिट्टी पहाड़ी ढलान पर खारों में पायी जाती है जो कि कमजोर किस्म की मिट्टी होती है और लगातार खेती हेतु अनुपयुक्त है जनपद के काफी हिस्से में हल्की मिट्टी और सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण उन पर अच्छी खेती नहीं हो पाती है।

जनपद झांसी की भूमि पथरीली और कम गहरायी वाली है। वहां गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और वर्षा ऋतु में कम वर्षा होती है। थोड़े समय के लिए अधिक जाड़ा पड़ता है जो वनों

के विस्तार के लिए अत्यन्त उपयोगी है।

धसान नदी के किनारे सागौन के वृक्ष पाये ज़ाते हैं। महुआ इस जनपद के वनों में काफी पाया जाता है। वन की क्षति रोकने के लिए शासन द्वारा आम, नीम, पीपल, बरगद तथा साल के वृक्षों को काटने पर रोक लगा दी गयी है। यहां के पठारी ढलानों पर बांस होता है। जनपद के 327.7367 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल में बन है जो कि कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 6.5 प्रति0 है। वन विभाग के अन्तर्गत 257.9624 वर्ग किमी0 क्षेत्रफल है। यहां के जगलों में बबूल, महुवा, तेन्दू, सलाई तथा ढाक बहुत पाया जाता है। तेन्दू की पत्ती बीड़ी बनाने में प्रयोग होती है। जंगल के पचास प्रतिशत से अधिक मात्रा के वृक्ष ईधन की लकड़ी वाले वृक्षों के अंतर्गत हैं।

जलवायुः-

जनपद की जलवायु सम-शीतोष्ण है जिसके कारण ग्रीष्मकाल में काफी गर्मी तथा शीतकाल में काफी ठंडक रहती है। मध्य नवम्बर से जनवरी तक अधिक ठण्ड पड़ती है। गर्मियों में आद्रता 20 प्रति0 से भी कम हो जाती है और गर्म हवाएं चलती हैं। जिले में वर्षा का सामान्य औसत 850 मि0मी0 है परन्तु वास्तविक रुप से किसी वर्ष काफी अधिक और किसी वर्ष बहुत कम होती है। वर्षा की असमानता प्रायः 600 मि0मी0 से 1300 मि0मी0 के मध्य रहती है। जनपद में दक्षिण-पश्चिम मानसून जून के तीसरे सप्ताह से प्रारम्भ होकर सितम्बर के अंत तक रहता है तथा जुलाई माह में वर्षा की सघनता सबसे अधिक होती है। वर्षा की असमानता, तापमान में वृद्धि तथा ढालू व पठारी भूमि होने के कारण मैदानी क्षेत्र में भूमिक्षरण की प्रक्रिया काफी गम्भीर है। जनपद में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का लगभग 19 प्रतिशत क्षेत्र बंजर व अकृषि योग्य है। यहां शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल शीघ्र प्रारम्भ होकर देर तक रहता है परन्तु ग्रीष्मकाल में रात ठण्डी रहती है।

जनपद का न्यूनतम् औसत तापमान 17.86 डि. सैल्सियस से0 ग्रे0 रहता है। यद्यपि अधिकतम् तापमान 47.8 डि.से.ग्रे. तक पहुंच जाता है तथा न्यूनतम् 3 डि.से. तक आ जाता है।

जनसंख्या, घनत्व एवं साक्षरताः-

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 1746715 है जिसमें 934118 पुरुष एवं 812597 स्त्री है, ग्रामीण जनसंख्या 1029164 तथा नगरीय जनसंख्या 717551 ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की जनसंख्या 550028 एवं स्त्रियों की जन संख्या 479136 तथा नगरीय क्षेत्रों

में पुरुषों की जनसंख्या 384090 एवं स्त्रियों की जनसंख्या 333461 है। जिसमें कुल 985078 व्यक्ति साक्षर है जिसमें 833803 पुरुष एवं 351276 महिलाएं है। ग्रामीण क्षेत्रों में 345536 पुरुष 153947 स्त्रियां साक्षर है तथा नगरीय क्षेत्रों में 288267 पुरुष एवं 197329 महिलाएं साक्षर है। पिछली जनगणना के सापेक्ष जनसंख्या में वृद्धि 319964 है जो कि 22.42 प्रतिशत है तथा साक्षरता वृद्धि 375510 है जो कि 61.60 प्रतिशत है। पिछली जनगणना में जहां 1000 पुरुषों पर 865 स्थियाँ थीं वहीं वर्ष 2001 की जनगणना में 1000 पुरुषों पर 870 स्त्रियां है। इस प्रकार प्रति एक हजार पुरुषों पर 05 स्त्रियां की वृद्धि हुयी है जो कि एक सुखद संकेत है। ग्रामीण जनसंख्या कुल आबादी का 59 प्रतिशत है जो कि पिछली जनगणना से कम है। इससे स्पष्ट है कि नगरीय आबादी में वृद्धि हुयी है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में 19.77 एवं नगरीय जनसंख्या में 26.44 प्रति० की वृद्धि हुयी है। पुरुषों की जनसंख्या में 22.10 प्रति० तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 22.79 प्रति० की वृद्धि हुयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता वृद्धि 72.79 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता 52.05 प्रतिशत। इस प्रकार कुल मिलाकार पूरे जिले में साक्षरता वृद्धि 61.6 प्रतिशत स्त्रियों की साक्षरता में वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में 36.77 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की साक्षरता वृद्धि 63.87 प्रतिशत है। इस प्रकार जनपद में महिलाओं की साक्षरता वृद्धि 89.43 प्रतिशत है जो कि उल्लेखनीय है। पुरुषों की ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता वृद्धि 53.43 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की साक्षरता वृद्धि 44.90 प्रतिशत है। इस प्रकार जनपद में पुरुषों की साक्षरता वृद्धि 49.43 प्रति० है। जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों की साक्षरता में 49.43 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। वहीं स्त्रियों की साक्षरता वृद्धि का प्रतिशत 89.43 है जो कि एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

प्रशासनिक संरचनाः-

प्रशासनिक दृष्टि से जनपद झांसी को पांच तहसीलों झांसी, मोंठ, मऊरानीपुर, गरौठा एवं टहरौली में विभाजित किया गया है तथा ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु आठ विकास खण्ड मोंठ, चिरगांव, बामोर, गुरसराय, बंगरा, मऊरानीपुर, बड़ागांव एवं बवीना बनाये गये है। प्रत्येक विकास खण्ड में निम्नानुसार ग्राम है।

सारणी 1.1

विकासखण्डवार राजस्व एवं गैर आबाद ग्रामों का विवरण

क्र.स.	विकास खण्ड	राजस्व ग्राम	गैर आबाद	कुल ग्राम
1.	मोठ	127	22	149
2.	चिरगांव	105	15	120
3.	बामोर	101	14	115
4.	गुरसराय	103	17	120
5.	बंगरा	82	6	88
6.	मऊरानीपुर	83	4	87
7.	बबीना	72	1	73
8.	बड़ागांव	87	–	87
	योग	760	79	839

स्रोतः सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद-झांसी, वर्ष-2001

सारणी- 1.2
जनपद में जनगणना 1991 एवं उसके बाद आबाद ग्रामों का विकास खण्डवार विवरण

विकास खण्ड	ज01991 के अनुसार ग्रामों की संख्या			ग्रामों की संख्या			1991 की ज0 के बाद नगर क्षेत्रमें स्थानान्तरित ग्रामों की संख्या
	आबाद	गैर आबाद	कुल	आबाद	गैर आबाद	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
मोंठ	127	22	149	127	22	149	0
चिरगांव	105	15	120	105	15	120	0
बामोर	101	14	115	101	14	115	0
गुरसराय	103	17	120	103	17	120	0
बंगरा	82	6	88	82	6	88	0
मऊरानीपुर	83	4	87	83	4	87	0
बवीना	72	1	73	72	1	73	0
बड़ागांव	87	0	87	87	–	87	0
योग ग्रामीण	760	79	839	760	79	839	
	0	0	0	–	–	–	
योग जनपद	760	79	839	760	79	839	

स्रोतः सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद-झांसी, वर्ष-2001

सारणी संख्या-1.3

जनपद की ग्रामीण जनसंख्या की प्रति 10 वर्ष की जनसंख्या वृद्धि

जनगणना 1991

वर्ष/विकासखण्ड	ग्रामीण जनसंख्या		गतदशक में प्रतिशत	
	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	वृद्धि
1	2	3	4	5
वर्ष 1971	548841	292598	256243	20.54
वर्ष 1981	705677	380341	325336	28.58
वर्ष 1991	863342	466226	397116	22.34
विकास खण्डवार वर्ष 1991				
1. मोंठ	118624	64094	54530	22.98
2. चिरगांव	104813	56469	48344	23.03
3. बामौर	103067	56059	47008	8.01
4. गुरसराय	103913	56380	47533	18.60
5. बंगरा	111064	59559	51505	26.75
6. मऊरानीपुर	117120	62937	54183	24.93
7. बवीना	110029	59489	50540	30.71
8. बडागांव	94712	51239	43473	25.56
योग समस्त	863342	466226	397116	22.34
विकास खण्ड	-	-	-	-
योग वन क्षेत्र	-	-	-	0.00
योग ग्रामीण	863342	466226	397116	22.34

स्रोतः सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद-झांसी, वर्ष-2001

सारणी 1.4

जनगणना 2001 के आंकड़े

जनपद झांसी

		इकाई	वितरण	
1.	जनसंख्या			
	(1) पुरुष	संख्या	9,34,118	
	(2) स्त्री	,,	8,12,597	
	(3) कुल	,,	17,46,715	
2.	ग्रामीण जनसंख्या	,,	10,29,164	(पुरुष 550028+स्त्री 479136)
3.	नगरीय जनसंख्या	,,	7,17,551	(पुरुष 384090+स्त्री 333461)
4.	साक्षरता			
	(1) पुरुष	,,	633803	67.85 प्रतिशत
	(2) स्त्री	,,	351276	43.23 प्रतिशत
	(3) कुल	,,	985079	56.40 प्रतिशत
5.	ग्रमीण क्षेत्र में साक्षर			
	(1) पुरुष	,,	345536	62.82 प्रतिशत
	(2) स्त्री	,,	153947	32.13 प्रतिशत
	(3) कुल	,,	499483	48.53 प्रतिशत
6.	नगरीय क्षेत्र में साक्षर			
	(1) पुरुष	,,	288267	75.05 प्रतिशत
	(2) स्त्री	,,	197329	59.18 प्रतिशत
	(3) कुल	,,	485596	67.67 प्रतिशत
7.	प्रति हजार पुरुषों पर स्त्री-		870	

स्रोतः सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद- झांसी, वर्ष- 2001

1.1 शोध समस्या का स्वरुपः-

प्रस्तुत शोध समस्या झांसी जनपद के स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्यरत कुशल व अकुशल श्रमिकों के उपभोग, व्यय, व्यवहार, वेतन एवं मजदूरीगत प्रवृत्तियों व बचत प्रवृत्तियों के अध्ययन पर आधारित है। इस उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की श्रम संरचना का अध्ययन करते हुए यह शोध अध्ययन इन श्रमिकों के उपरोक्त चरों से सम्बन्धित आर्थिक व्यवहार (आठवीं पंचवर्षीय योजना से अद्यतन समय तक) का अध्ययन करेगा। यह एक क्रमबद्ध, समयबद्ध, विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक अध्ययन होगा। यह एक अद्यतन अध्ययन होगा तथा इन श्रमिकों के आर्थिक व्यवहार एवं प्रवृत्तियों पर आधारित कुछ नीतिपरक निहितार्थो को भी प्रस्तुत करेगा।

चूंकि प्रस्तुत शोध अध्ययन स्टोन क्रेशर उद्योग पर आधारित है अतः इस उद्योग से सम्बन्धित जो मुख्य समस्या है वह है प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या आज एक अन्तराष्ट्रीय समस्या है जिसके उन्मूलन के लिए अन्तराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन आयोजित किये जाते रहते हैं। प्रदूषण की समस्या मानव के लिए सर्वाधिक कठिन एवं दुरूह समस्या है। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि स्टोन क्रेशर उद्योग का विश्लेषण किया जाये तो समस्या के क्षेत्रीय पहलू का भी ज्ञान होता है। स्टोन क्रेशर उद्योग को एक गन्दा उद्योग कहा जाता है जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न स्वरुप स्पष्ट नजर आते हैं। स्टोन क्रेशर उद्योग द्वारा जनित प्रदूषण के विभिन्न स्वरुप अग्रलिखित हैं-

1- **वायु प्रदूषणः-**

ब्लास्टिंग के दौरान उड़ने वाली धूल एवं गंदगी वायु में विशेष पदार्थ के रूप में एकत्र होती है। जिससे क्षेत्र का पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। जो मानव जाति के लिए बेहद हानिकारक साबित होता है।

2- **ध्वनि प्रदूषणः-**

ब्लास्टिंग के दौरान होने वाला शोर ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है।

3- **जल प्रदूषणः-**

क्रेशर उद्योग से निकलने वाली धूल एवं गंदगी क्षेत्र की नदियों में मिलकर जल को प्रदूषित करती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्टोन क्रेशर उद्योग क्षेत्रीय पर्यावरण को प्रदूषित करने में अपना पूर्ण योगदान दे रहा है।

1.2 प्रस्तुत शोध से सम्बद्ध साहित्य का सिंहावलोकन-

इस शोध-अध्ययन पर क्रमबद्ध सुलभ साहित्य उपलब्ध नहीं है। इसके संदर्भ में स्थानीय अखबारों में लेख उपलब्ध हैं। अतर्रा महाविद्यालय में एम.ए. स्तर पर एक लघु शोध-प्रबन्ध, बांदा जनपद के स्टोन क्रेशर उद्योग पर उपलब्ध है जिसमें वर्णनात्मक विवरण है। अतः इस शोध समस्या पर समीक्षात्मक शोध साहित्य उपलब्ध न होने के कारण पार्श्व साहित्य के भी लेखों का ही सिंहावलोकन किया जा सकता है और इन्हीं सन्दर्भो का प्रायः अध्ययन में उपयोग किया जायेगा। फिर भी इस शोध-अध्ययन में कुछ साहित्य स्रोतों का सहारा लिया गया है जो अग्रलिखित है-

1. सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद- झांसी, वर्ष- 2001
2. महोबा जनपद में स्टोन क्रेशर उद्योग : पर्यावरण प्रदूषण के कतिपय आर्थिक निहितार्थ, लघु शोध प्रबन्ध, सुभाष चन्द्र शुक्ल, पं. जे.एन. पी.जी. कालेज, बांदा।
3. Staff papers, Vol. 2, No. 1, C.S.O. (Industrial Statistics Wing), Ministry of Statistics & Programme Implementation, Govt. of India, Kolkata 700 001. Editors : Shri Nilanchal Roy. (Techniqual Papers Revised by Prof. Jogabrate Roy (Emeritus Professor) ISI, Mudrike Mahal, Statistical Commission.
4. बांदा जनपद में स्टोन क्रेशर उद्योग : पर्यावरण विषय पर एक अध्ययन, विवेक कुमार त्रिपाठी, वर्ष- 2002 पं. जे.एन. पी.जी. कालेज, बांदा (उ०प्र०)
5. ''स्टोन क्रेशर-श्रमिकों के आय, व्यय एवं बचत विश्लेषण पर आधारित झांसी जनपद में श्रमिकों का अर्थशास्त्र'' शुएब खान, बुन्देलखण्ड महाविद्यालय झांसी (उ०प्र०)
6. भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र० लखनऊ, उ०प्र० राज्य खनिज विकास निगम लखनऊ, खनिज सम्पदा एवं पर्यावरण बुन्देलखण्ड पर विशेष प्रस्तुति

स्मारिका 1996

7. दैनिक आज, कानपुर संस्करण।

8. दैनिक जागरण, झांसी संस्करण।

उपरोक्त प्रस्तुत शोध साहित्य, जिनका इस शोध अध्ययन के दौरान उपयोग किया गया है, पर्याप्त एवं संतोषजनक नहीं है। किसी भी अध्ययन में श्रमिकों की मजदूरीगत प्रवृत्तियों पर्यावरण समस्या श्रमिकों की अन्य समस्याओं का विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। बिन्दु सं० तीन के अन्तर्गत श्री नीलांचल रॉय एवं जोगव्रत रॉय महोदय ने इस उद्योग को Dirty Industry की संज्ञा दी है जो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में सहायक है। पर्याप्त एवं संतोषजनक साहित्य सुलभ न होने के कारण प्रस्तुत रचना एक मौलिक प्रयास है।

1.3 प्रस्तुत शोध के उददेश्य एवं कतिपय संकल्पनाएंः-

(अ) प्रस्तुत शोध के उद्देश्य-

झांसी जनपद एक कम विकसित जनपद है जो कि अभी पूर्ण रुप से अपने आर्थिक पिछड़ेपन को दूर नहीं कर पाया है। अपने सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के संदर्भ विशेष में झांसी जनपद शोध के बहुमुखी आयाम प्रस्तुत करता हैं अतः इस जनपद का सामाजिक आर्थिक अनुसंधान निश्चित रूप से एक जीवित सत्य को प्रकट करने में महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इस जनपद के विभिन्न पक्षों पर जैसे बैकिंग विकास एवं नियोजन, कुटीर, लघु एवं वृहद् उद्योग आदि पर पिछले वर्षो से औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अनुसंधान हो रहे हैं लेकिन समाज की अनेक ऐसी समस्याएं आज उपस्थित हैं जिन पर अनुसंधान की दृष्टि से दृष्टि नहीं डाली गयी है जबकि जनपद् झांसी जैसे एक पिछड़े क्षेत्र के सन्दर्भ में अनुसंधान के मूल विषय गरीबी, बेरोजगारी, कुषोपण एवं भुखमरी बन जाते हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन ''झांसी जनपद में स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की आर्थिक प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक अध्ययन'' उद्देश्य प्रधान है।

इस शोध से सम्बन्धित उद्देश्य निम्नवत् है-

1. झांसी जनपद के स्टोन क्रेशर उद्योग के क्रमिक विकास का शोधावधि में अध्ययन करना,
2. इस उद्योग में श्रमिकों की मांग एवं पूर्ति की संरचना का अध्ययन करना, एवं
3. इस उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी, उपभोग व्यवहार एवं वचत प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।

(ब) शोधगत संकल्पनाएं-

''संकल्पनाएं या प्राकल्पना अनुसंधान तथा सर्वेक्षण प्रकिया का आधारभूत सोपान या चरण हैं। शब्द व्युत्पति की दृष्टि से प्राकल्पना दो शब्दों प्राक्र कल्पना के योग से बना है जिसका तात्पर्य है, पूर्व चिन्तन।''[1] कुछ विद्वानों का आधारभूत विश्वास है कि ज्यों ही समस्या की जानकारी हो जाती है उसके लिए प्राकल्पना का निर्माण हो जाना चाहिए क्योकि इसके अभाव में अनुसंधान अकेन्द्रित एवं अनुभवात्मक अनिर्दिष्ट विचरण है। उसके परिणामों को स्पष्ट अर्थ वाले तथ्यों में नहीं रखा जा सकता है। संकल्पना सिद्धान्त तथा अनुसंधान के बीच में एक आवश्यक कड़ी है जो ज्ञान की वृद्धि की खोज में सहायक होती हैं इसलिए इसे कार्यकारी प्राकल्पना भी कहते है। प्राकल्पना को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता हैं।

''प्राकल्पना एक अस्थायी प्रारम्भिक मेधावी वम्तव्य है जिसकी वैधता की परीक्षा अनुभवात्मक प्रभाव के आधार पर की जाती है। यह सही भी प्रमाणित हो सकती है गलत भी।''[2]

प्रस्तुत शोध-अध्ययन से सम्बन्धित संकल्पनाएं निम्नलिखित हैं-

1- झांसी जनपद के स्टोन क्रेशर श्रमिकों का वेतन एवं मजदूरी लगभग स्थिर एवं निम्न है।

2- जनपद के स्टोन क्रेशर श्रमिकों का उपभोग व्यय उच्च एवं वृद्धिमान स्थिति में है।

---

1. डॉ0 श्यामधर सिंह : वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, पृष्ठ 148
2. पूर्वउद्धृत

3- जनपदीय स्टोन क्रेशर श्रमिकों की बचत अल्प मात्रा में उत्पन्न होती है।

4- जनपदीय स्टोन क्रेशर श्रमिक कर्ज के जाल में फंसे हैं।

5- जनपदीय स्टोन क्रेशर श्रमिकों में गतिशीलता का लगभग अभाव है।

6- जनपदीय स्टोन क्रेशर श्रमिकों एवं क्रेशर मालिकों में मधुर सम्बन्ध हैं।

7- जनपदीय स्टोन क्रेशर श्रमिकों को पर्याप्त एवं समय से मजदूरी प्राप्त होती है।

8- इस जनपद के स्टोन क्रेशर श्रमिक अधिकांशतः अप्रशिक्षित हैं।

9- जनपदीय स्टोन क्रेशर श्रमिकों को स्टोन क्रेशर मालिकों द्वारा पर्याप्त मात्रा में श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं प्राप्त हैं, और

10- स्टोन क्रेशर श्रमिक वर्ग अपने कार्य से सन्तुष्ट है।

1.4 शोध समस्या की प्रासंगिकता एवं ज्ञान के क्षेत्र में योगदान-

वर्तमान समय में आर्थिक अनुसंधान के क्षेत्र में अर्थशास्त्र के सैद्धान्तिक महत्व की तुलना में इसे व्यावसायिक दिशा देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और साथ ही क्षेत्रीय समस्याओं को प्रमुखता दी जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जनपद झांसी के स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की आर्थिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण इस शोध-अध्ययन का मुख्य विषय बनाया गया है।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध की प्रासंगिकता स्वयं प्रमाणित है। झांसी जनपद के सन्दर्भ में स्टोन क्रेशर उद्योग के श्रमिकों का कोई क्रमबद्ध अध्ययन अभी नहीं किया गया है जबकि इस जनपद की अर्थव्यवस्था में पत्थरों का विशिष्ट महत्व है। इस जनपद में कुछ विशेष तरह के पत्थर के भंडार हैं जो देश के अन्य भागों में कम पाये जाते हैं। इनमें से ग्रेनाइट पत्थर प्रमुख है। भारत वर्ष में जिन क्षेत्रों में पत्थर नहीं पाये जाते हैं उन स्थानों पर जनपद झांसी से इनकी आपूर्ति वड़ी मात्रा में की जाती है। इस कारण यह उद्योग हजारों कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के जीविकोपार्जन का आधार बन गया है। इसके उत्पाद व्यापक पैमाने पर व्यापार के आधार हैं। इस उद्योग पर इस संभाग को परिवहन व्यवस्था भी निर्भर करती है। इस उद्योग के स्वस्थ परिचालन हेतु एवं इसकी समस्याओं के निदान हेतु और इसमें नियुक्त श्रमिकों की आर्थिक दशाओं के उन्नयन

हेतु यह अध्ययन नितांत आवश्यक और महत्वपूर्ण होगा तथा ज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक उपादेय होगी क्योकि यह वह समग्र शैक्षिक, मौलिक प्रयास होगा जिसमें स्टोन-क्रेशर उद्योग में श्रामिकों की संरचना एवं आर्थिक प्रवृत्तियों पर विशद प्रकाश डाला जायेगा।

1.5 प्रस्तुत शोध में कपिपय अवधारणाएंः-

श्रीमती यंग के अनुसार- "तथ्यों के प्रत्येक नये वर्ग को जिसे कि अन्य वर्गो से कुछ निश्चित विलक्षणताओं के आधार पर अलग कर लिया गया हो, एक नाम का लेबल दे दिया जाता है जो कि अवधारणा कहलाता है। वास्तव में तथ्यों के एक वर्ग या समूह की एक संक्षिप्त परिभाषा है।"[3]

अर्थात अवधारणा परिस्थिति या घटना विशेष का एक संक्षिप्त परिचय होती है जिसका प्रयोग सुविधा की दृष्टि से तथा उस परिस्थिति या घटना विशेष के सन्दर्भ में एक सामान्य विचार श्रंखला को बढाने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। यह भी स्पष्ट है कि कोई भी शोध अध्ययन अवधारणाओं के प्रतिपादन के बिना अपूर्ण होता है क्योकि अवधारणाओं के स्पष्टीकरण से ही शोध अनुसंधान की दिशात्मकता का बोध होता है। यही नहीं अनुसंधान का शारीरिक विकास अवधारणाओं पर आधारित होता है। अवधारणा स्वयं निरीक्षित वस्तुओं घटनाओं या प्रतिभास का अमूर्त रूप है।

अन्ततः यह कहा जा सकता है कि शोध अध्ययन में अवधारणा का रीढ़ात्मक महत्व है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में भी कुछ अवधारणाओं का स्पष्टीकरण किया जा रहा है जो अध्ययन में प्रयुक्त की जाएगीं। ये अवधारणाएँ निम्नवत हैं-

1. **स्टोन क्रेशर श्रमिकः-**

   स्टोन क्रेशर श्रमिक से आशय शोध अध्ययन में ऐसे श्रमिकों से है जो कि जनपद झांसी के स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्यरत है।

2. **मजदूरीगत आयः-**

   मजदूरी गत आय वह आय है जो श्रमिकों द्वारा किये गये श्रम के फलस्वरूप पारितोषिक रुप में प्राप्त होती है। साधारणतः श्रमिकों को मजदूरीगत आय मुद्रा के रुप में ही प्राप्त होती है।

---

3. डॉ० रवीन्द्र नाथ मुखर्जी : सामाजिक शोध व सांख्यिकी, पृ० 140

3. **आय संरचनाः-**

आय संरचना आय के ढांचे को प्रदर्शित करती है। यह समस्त श्रमिकों अथवा एक श्रमिक के आय की प्रवृत्ति को बतलाती है।

4. **व्यय संरचनाः-**

व्यय संरचना व्यय के सम्पूर्ण ढांचे को स्पष्ट करती है एवं यह श्रमिकों की व्यय करने की प्रवृत्तियों को व्यक्त करती है।

5. **उपभोग व्ययः-**

एक श्रमिक उपभोग की वस्तुओं पर जो व्यय करता है वह उपभोग व्यय कहलाता है।

6. **उपभोग प्रवृत्तिः-**

आय एवं उपयोग व्यय के अनुपातिक सम्बन्ध को ही उपभोग प्रवृत्ति कहते है।

7. **सामान्य उपभोगः-**

व्यय में आय का एक भाग, उपभोग की अनिवार्य वस्तुओं पर व्यय किया जाता है जैसे खाद्यान्न, वस्त्र आदि।

8. **बचतः-**

समाज या व्यक्ति की आय का वह भाग जो व्यय नहीं किया जाता है बल्कि एकत्रित कर लिया जाता है बचत कहलाता है।

9. **बचत संरचनाः-**

समाज या व्यक्ति के बचत का वह ढांचा जो विभिन्न बचतों का एक योगात्मक स्वरूप उत्पन्न करता है, बचत संरचना कहलाती है।

10. **बचत फलनः-**

बचत फलन से आशय उस फलन से है जो बचत एवं आय में फलनात्मक सम्बन्ध को स्पष्ट करता है।

11. **न्यूनतम मजदूरीः-**

न्यूनतम् मजदूरी से आशय है, कि मजदूरी का वह स्तर जिससे एक श्रमिक अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर सकें।

12. **ब्लास्टिंग :-**

ब्लास्टिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से स्टोन क्रेशर में प्रारम्भिक कार्य आरम्भ होता है।

13. **पर्यावरण प्रदूषण :-**

पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य वातावरण में मौजूद उन तत्वों से है जो जीवन के लिए हानिकारक है।

14. **महिला श्रमिक :-**

महिलाओं द्वारा किसी कार्य में शारीरिक श्रम का प्रयोग उन्हें महिला श्रमिक के रुप में स्थापित करता है।

15. **बाल श्रमिकः-**

बाल श्रमिक उस आयु वर्ग के बच्चों को कहते है जो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के होते है।

16. **श्रम संरचनाः-**

विविध प्रकार के श्रमिकों के सम्मिश्रण को श्रम संचरना कहते हैं।

17. **श्रम की उत्पादकताः-**

श्रम की उत्पादकता से तात्पर्य श्रमिकों की मेहनत से तैयार किये गये माल या सामान से है।

18. **श्रम की गतिशीलताः-**

श्रम की गतिशीलता से तात्पर्य श्रमिकों द्वारा उद्योग धन्धों या कार्यशालाओं की ओर गतिशीलता से है।

19. **बोनसः-**

बोनस से तात्पर्य उस धनराशि से होता है जो सेवायोजकों द्वारा मजदूरी या वेतन के अतिरिक्त श्रमिकों को प्रदान की जाती है।

20. **भत्ताः-**

विभिन्न सुविधाओं के लिए सेवायोजकों द्वारा श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली धनराशि को भत्ता कहा जाता है।

21. **श्रम की मांगः-**

किसी उत्पादन कार्य को करने के लिए श्रमिकों की मांग की जाती है।

22. **श्रम की पूर्तिः-**

श्रम की पूर्ति से तात्पर्य, मजदूरी की निश्चित दर पर श्रमिकों की मात्रा से है।

1.6 प्रस्तुत शोध अध्ययन की परिसीमाएंः-

प्रस्तुत शोध अध्ययन की कतिपय परिसीमाओं को निम्न प्रकार से रुपायित किया जा सकता है-

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रथम परिसीमा यह है कि यह शोध अध्ययन केवल झांसी जनपद के ही स्टोन क्रेशर-श्रमिकों की आर्थिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है।
2. प्रस्तुत शोध अध्ययन में स्टोन क्रेशर श्रमिकों के केवल आर्थिक प्रवृत्तियों पर ही प्रकाश डाला गया है एवं अन्य महत्वपूर्ण चरों विनियोग, ऋण आदि की उपेक्षा की गयी है।
3. प्रस्तुत शोध अध्ययन में केवल स्टोन क्रेशर के श्रम पक्ष का ही अध्ययन किया गया है उद्यमी पक्ष या स्टोन क्रेशर के मालिक पक्ष की उपेक्षा की गयी है।
4. शोध अध्ययन में केवल 200 प्रतिदर्श श्रमिकों को ही सम्मिलित किया गया है।
5. शोध अध्ययन में श्रमिकों की सामाजिक -आर्थिक समस्याओं का सामान्य विश्लेषण किया गया है, विशिष्ट विश्लेषण नहीं।

1.7 समंक संकलन के स्रोत एवं शोध प्रविधिः-

प्रस्तुत शोध सर्वेक्षण में अनुसंधान पद्धति एवं वर्णानात्मक विधि में समंकों का विशेष महत्व होता हैं क्योकि सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण की व्यापक योजना बनाने के उपरान्त उपयुक्त विधि द्वारा समंको को संकलित करने का कार्य प्रारम्भ किया जाता है। दत्तों का संकलन अनुसंधान की आधारभूत क्रिया है। संकलित सूचनाएं ही वास्तव में अनुसंधान रुपी भवन की वह आधारशिला मानी जाती है, जिस पर शेष भाग टिका रहता है।

समंको के संग्रहण के लिए मुख्यतः दो प्रविधियाँ होती है-

1. संगणना सर्वेक्षण,
2. प्रतिदर्श सर्वेक्षण।

प्रस्तुत शोध में निदर्शन विधि को अपनाया जायेगा। प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रतिदर्श या निदर्शन क्या है? उत्तर स्पष्ट है कि अनुसंधानकर्ता को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वह समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करेगा या प्रतिनिधि इकाई का।

यदि अनुसंधानकर्ता समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करता है तो सूचनाओं के संकलन के लिए अपनायी गयी इस विधि को संगणना अनुसंधान कहते है। इसके विपरीत समग्र में से प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों को छाँटकर उनके सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी संकलित करता है तो सूचनाओं के संकलन हेतु अपनायी गयी इस विधि को प्रतिदर्श अनुसंधान कहते हैं।

गुडे तथा हॉट के अनुसार- "एक प्रतिदर्श जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है एक विस्तुत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है।"[4]

बोगार्डस के शब्दों में- "प्रतिदर्श एक पूर्व निर्धारितयोजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिदर्श का चयन है।"[5]

प्रतिदर्श चयन के कुछ मूल आधार है तभी उचित प्रतिदर्श चयनित किया जा सकता है।

1. समग्र की इकाइयों में पायी जाने वाली सजातीयता
2. प्रतिनिधित्व पूर्ण चयन की सम्भावना
3. प्रतिदर्श की तीसरी महत्वपूर्ण मान्यता है पर्याप्त परिशुद्धता की मात्रा।

प्रतिदर्श को मुख्यता तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-

1. संभाव्यता प्रतिदर्श
2. सोद्देश्य प्रतिदर्श
3. कोटा या नियतांश प्रतिदर्श

---

4. विलियम जे० गुडे एवं पॉल के० हॉट : "मेथड इन सोशल रिसर्च" मैकग्राहिल कोगाकुशा लिमिटेड, 1952, पृष्ठ 209
5. ई०ए०ए० बोगार्डस : "सोशलॉजी" 1954, पृष्ठ 548

प्रस्तुत शोध में संभाव्यता प्रतिदर्श या यादृच्छिक प्रतिदर्श को अपनाया जायेगा। यादृच्छिक प्रतिदर्श वह प्रतिदर्श है जिसका चयन इस प्रकार हुआ हो कि समग्र की प्रत्येक इकाई को सम्मिलित होने का समान अवसर हो। अतः प्रतिदर्श में कौन सी इकाई सम्मिलित की जायेगी और कौन सी नहीं यह अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर नही वरन् प्रतिदर्श इकाइयों का चयन करने की क्रिया पूर्ण रुपेण दैव पर छोड़ दी जाती है इसलिए इसे दैव निदर्शन भी कहा जाता है।

फ्रेंकयेट्स के अनुसार- ''यादृक्षिक प्रतिदर्श वह होता है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को सम्मिलित होने का समान अवसर हो।''[6]

1. सरल यादृक्षिक प्रतिदर्श
2. क्रमबद्ध प्रतिदर्श
3. स्तरित प्रतिदर्श
4. सामूहिक प्रतिदर्श
5. बहुचरणीय प्रतिदर्श
6. बहुसोपानीय प्रतिदर्श
7. क्षेत्रीय प्रतिदर्श
8. पैनल प्रतिदर्श

प्रस्तुत शोध में यादृच्छिक प्रतिदर्श को अपनाया जायेगा एवं विशिष्टता के आधार पर स्तरित प्रतिदर्श को चुना जायेगा। इस प्रणाली में समग्र को विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत कर लिया जाता है तथा प्रत्येक स्तर से यादृच्छिक विधि द्वारा स्वतन्त्र रुप से प्रतिदर्श लिया जाता है। विभिन्न स्तरों के निर्माण का आधार एक अथवा अनेक गुण हो सकते हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। स्तरित प्रतिदर्श के कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं-

(क) सम्पूर्ण समग्र के लिए प्रतिदर्श के परिणामों के प्रसरण को कम करना है।

(ख) विभिन्न स्तरों से अलग-अलग प्रतिदर्श का चयन करके यादृच्छिक करण की अलग-अलग प्रणालियों का प्रयोग किया जा सके।

(ग) विभिन्न स्तरों के बारे में अलग-अलग प्रतिदर्श परिणाम प्राप्त करना है।

---

6. फ्रैंकयेट्स : ''सैम्पलिंग मेथड फॉर सेन्सस एण्ड सर्वे'' हैफनर पब्लिशिंग कम्पनी 1953

स्तरित प्रतिदर्श के तीन मुख्य प्रकार होते हैं-

(क) आनुपातिक स्तरित प्रतिदर्शः-

अर्थात समग्र के प्रत्येक स्तर से प्रतिदर्श में इकाइयों उसी अनुपात में यादृच्छिक प्रक्रिया द्वारा चुनी जाती है, जिस अनुपात में वे समग्र में होती है।

(ख) स्तरित भारित प्रतिदर्शः-

इस प्रविधि में प्रत्येक स्तर में से प्रतिदर्श में बराबर संख्या में इकाइयाँ चुनी जाती है, किन्तु बाद में अधिक संख्या वाले स्तरों की इकाइयों को अधिक भार प्रदान करके उनका प्रभाव बढ़ा दिया जाता है।

(ग) गैर आनुपातिक स्तरित प्रतिदर्श-

इसके अन्तर्गत प्रत्येक स्तर से समान संख्या में इकाइयाँ चुनी जाती है, किन्तु गैर आनुपातिक स्तरित प्रतिदर्श का चयन करते समय यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक स्तर से इनमें पाई जाने वाली इकाइयाँ संख्या असमान होने के बावजूद भी समान संख्या में इकाइयाँ प्रतिदर्श के अन्तर्गत सम्मिलित की जाएं।

प्रतिदर्श में प्रायः इच्छित इकाइयों की संख्या निर्धारण, विश्लेषणात्मक अथवा सारणीकरण सम्बन्धी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जात है। ऐसी स्थिति में असमान संख्या में इकाइयाँ को विभिन्न स्तरों से प्रतिदर्श में सम्मिलित किया जाता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में जनपद झांसी के सम्पूर्ण स्टोन क्रेशर उद्योग को प्रतिदर्श के लिए उपयुक्त समझकर 200 श्रमिकों को प्रतिदर्श के लिए चुना गया है।

1.8 अध्ययनगत योजनाः-

प्रस्तुत शोध में चयनित शोध समस्या के विश्लेषण हेतु निर्मित अध्ययन योजना के अन्तर्गत निम्न तथ्यों का विश्लेषण किया जायेगा एवं अध्ययनगत हेतु जाल को निम्नवत् रखा गया है।

1. प्रथम अध्याय-

इसके अन्तर्गत झांसी जनपद की भौगोलिक एवं आर्थिक विलक्षणताएं, शोध समस्या का स्वरुप, प्रस्तुत शोध से संबद्ध साहित्य का सिंहावलोकन, प्रस्तुत

शोध के उद्देश्य एवं कतिपय संकल्पनाएँ, शोध समस्या की प्रासंगिकता एवं ज्ञान के क्षेत्र में योगदान, प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त कतिपय अवधारणाएँ, प्रस्तुत शोध की परिसीमाएँ, समंक संकलन के स्रोत एवं शोध प्रविधि अध्ययनगत योजना आदि का अध्ययन किया जायेगा।

2. **द्वितीय अध्याय-**

इसके अन्तर्गत स्टोन क्रेशर उद्योग की श्रम संरचना, श्रम मात्रा का प्रकार, श्रम की प्रकृति, श्रम का प्रयोग श्रम की उत्पादकता एवं श्रम की गतिशीलता तथा श्रम की मांग एवं आपूर्ति का अध्ययन किया जायेगा।

3. **तृतीय अध्याय-**

इसके अन्तर्गत श्रमिकों की मजदूरीगत प्रवृत्तियों, मजदूरी की दर एवं प्रकार, भुगतान प्राप्ति की विधियों, मजदूरी का स्तर एवं आधार, बोनस एवं भत्ते, मजदूरीगत परिवर्तन की प्रवृत्तियों आदि का अध्ययन किया जायेगा।

4. **चतुर्थ अध्याय-**

इसके अन्तर्गत श्रमिकों की उपभोगगत प्रवृत्तियों, श्रमिकों का उपभोग फलन, श्रमिकों के उपभोग व्यय का वर्गीकरण, श्रमिकों के उपभोग व्यय में परिवर्तन की प्रवृत्तियों आदि का अध्ययन किया जायेगा।

5. **पंचम् अध्याय-**

इसके अन्तर्गत श्रमिकों की बचतगत् प्रवृत्तियाँ, श्रमिकों का बचत फलन, श्रमिकों की बचत का वर्गीकरण, श्रमिकों की बचत में परिवर्तन की प्रवृत्तियों आदि का अध्ययन किया जायेगा।

6. **षष्ठम् अध्याय-**

इस अध्याय के अन्तर्गत श्रमिकों की मजदूरी, उपभोग व्यय एवं बचत में सह-सम्बन्ध की आलोचनात्मक समीक्षा, मजदूरी एवं उपभोग-व्यय में सह-सम्बन्ध उपभोग व्यय एवं बचत में सह-सम्बन्ध, मजदूरी एवं बचत में सह-सम्बन्ध तीनों चरों में अन्तः सम्बन्ध आदि का विश्लेषण किया जायेगा।

7. सप्तम् अध्याय-

इसके अन्तर्गत संकल्पनाओं का सत्यापन, अध्ययन से सम्बद्ध निष्कर्ष बिन्दु एवं नीतिगत विश्लेषण सम्मिलित होगा।

क्रमशः अगले अध्याय में स्टोन क्रेशर उद्योग की श्रम-संरचना का अध्ययन सम्मिलित किया गया है।

द्वितीय अध्याय

स्टोन क्रेशर उद्योग की श्रम संरचना

"No society can surely be flourishing and happy, of which by far the greater part of the numbers are poor and miserable."

❑ Adam Smith

स्टोन क्रेशर उद्योग एक लघु पैमाने का प्राथमिक उद्योग है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि लघु उद्योग में पूंजी की अपेक्षा श्रम का अधिक प्रयोग होता है। साथ ही इसका उत्पादन सीमित क्षेत्र के लिए होता है। 23 जुलाई 1980 को घोषित औद्योगिक नीति में उन निर्माण और सुधार करने वाले उद्योगों को लघु उद्योग माना गया है जिनके संयत्र और मशीनरी के लिए विनियुक्त पूंजी की राशि रु० 20 लाख से कम होती है। अनुषंगी इकाइयों के लिए यह राशि 25 लाख रुपये निर्धारित की गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 2 अप्रैल 1991 से लघु उद्योगों के संयंत्र और मशीनरी के लिए विनियोग राशि की अधिकतम सीमा 60 लाख रुपये कर दी गई थी और अनुवार्षिक इकाइयों के संदर्भ में संयंत्र और मशीनरी के विनियोग की अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये कर दी गई थी। लघु उद्योग क्षेत्र की नवीनीकरण की आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण वर्ष 1997-98 में लघु आकार की औद्योगिक इकाइयों के संयंत्र और मशीनरी में विनि योग की ऊपरी सीमा 60 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.0 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार अनुषंगी इकाइयों के लिए विनियोग की ऊपरी सीमा 75 लाख रुपये से बढ़ा कर 3.0 करोड़ रुपये कर दी गई है। लघु, अति लघु और ग्राम्य उद्योगों के लिए अगस्त 1991 में नई औद्योगिक नीति

घोषित की गई और इसकी प्रगति के लिए 2 लाख रुपये तक के ऋण की व्यवस्था रियायती ब्याज दर पर की गई तथा संस्थागत साख क्षेत्र में इन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में रखने का प्रावधान किया गया। साथ ही, लघु उद्योगों की उत्पादकता में सुधार के लिए वर्ष 1995 में गुणवत्ता प्रमाणन योजना आरम्भ की गई। लघु आकारीय उद्योगों के 150-9000 या इसी प्रकार के अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि स्टोन क्रेशर उद्योग एक लघु उद्योग है। वस्तुतः यह श्रम प्रधान लघु उद्योग है। इस उद्योग की श्रम संरचना का अध्ययन महत्वपूर्ण प्रत्यय है जिसका विवरण अग्रांकित है-

2.1 श्रम संरचना से तात्पर्यः-

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों जैसे एडमस्मिथ, पीगू, मिल तथा रिकार्डो आदि अर्थशास्त्रियों ने श्रम को उत्पादन का मुख्य एवं एक मात्र साधन माना था। श्रम उत्पादन का मुख्य सक्रिय साधन होता है जिसके अभाव में उत्पादन कार्य सम्भव नहीं है इसीलिए श्रम का उत्पादन के साधनों में अग्रणी स्थान है।

स्टोन क्रेशर उद्योग एक प्राथमिक लघु उद्योग है जिसमें श्रमिक के रुप में विविध प्रकार के लोग जैसे पुरुष श्रमिक, महिला श्रमिक, बाल श्रमिक, शिक्षित एवं अशिक्षित श्रमिक, प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित श्रमिक कुशल एवं अकुशल श्रमिक कार्य करते हैं। इन्हीं विविध श्रमिकों के योग को श्रम की संरचना कहते हैं।

प्रस्तुत अध्याय में जनपद झांसी के स्टोन क्रेशर उद्योग की श्रम संरचना का विशद् विश्लेषण किया जायेगा। लेकिन श्रम संरचना के विश्लेषण के पूर्व जनपद झांसी की पांच विभिन्न तहसीलों में स्थित स्टोन क्रेशर फर्मो का एक विशद् सारणीय विश्लेषण किया जा रहा है जो अग्रलिखित है-

सारणी 2.1

विकासखण्ड बड़ागांव

क्र.सं.	फर्म का नाम	नाम	पिता का नाम	पता	कार्यस्थल
1.	मे० संजय स्टोन इण्ड्स्ट्रीज गोरा मछिया, कानपुर रोड, झांसी	श्री संजय गुप्ता	श्री जी.पी.गुप्ता	गोरा मछिया	गोरा मछिया
2.	मे० सौरव ग्रेनाइट इण्ड्रस्टीज गोरा मछिया	श्री सौरव	श्री उर्मिल कक्काजू कम्काजू	प्रमोद प्रेट्रोल पम्प के पीछे, झांसी	गोरा मछिया
3.	मे० सत्यम स्टोन मिनरल्स गोरा मछिया	श्री सोरव	श्री उर्मिल कक्काजू	प्रमोद प्रेट्रोल पम्प के पीछे, झांसी	गोरा मछिया
4.	मे० शांति ग्रेनाइट इण्ड० गोरा मछिया	श्री रमेश कुमार	श्री वीरेन्द्र कु० अग्रवाल	1551/1 उद्यानक्षेत्र, सिविल लाइन, झांसी	गोरा मछिया
5.	मे० टी०आर० गुप्ता कन्सट्रक्शन गोरा मछिया	श्री कमल महाजन		गोरा मछिया	गोरा मछिया
6.	मे० शारदा ग्रेनाइट इण्ट्रस्ट्रीज गोरा मछिया	श्री दिनेश चंद	श्रीचतुर्भज सिंहल	603/3 ए, सिविल लाइन्स, झांसी	गोरा मछिया
7.	मे० विकास ग्रेनाइट इण्ड० गोरा मछिया	श्री अशोक कुमार	श्री प्रयागदास सरावती	95/180, सिविल लाइन्स, झांसी	गोरा मछिया
8.	मे० लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज क्रशिंग कम्पनी, गोरा मछिया	श्री महेन्द्र कुमार	श्री छेदीलाल सरावती	100/3 ए, सिविल लाइन्स, झांसी	गोरा मछिया
9.	मे० नवीन स्टोन क्रशिंग कम्पनी, गोरा मछिया	श्री नरेन्द्र कुमार	श्रीवावूराम	150/1, सिविल लाइन्स झांसी	गोरा मछिया
10.	मे० वीरांगना ग्रामोद्योग सेवा संस्थान गोरा मछिया	श्री रमेश कुमार	श्री वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल	1551/1, ग्वालाटोली सिविल लाइन	गोरा मछिया

11.	मे0 जय महालक्ष्मी ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज गोरा मछिया	श्री स्वतन्त्र कुमार	श्री मनोहरलाल कश्यप	गोरा मछिया	गोरा मछिया
12.	मे0 शमेण्ट ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज गोरा मछिया	श्री रामेश्वर	श्री मंशाराम जादौन	रिछोरा, पारीक्षा	गोरा मछिया
13.	मे0 जायसवाल ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज गोरा मछिया	श्री पीयूष	श्री जे.वी.एन. जायसवाल	232, झोकन बाग, झांसी	गोरा मछिया
14.	मे0 अभिलाषा ग्रामोद्योग सेवा संस्थान गोरा मछिया	श्री अखिलेश यादव	श्री सीताराम यादव	516 शिवाजी नगर, झांसी	गोरा मछिया
15.	मे0 श्रीकृष्णा स्टोन क्रेसिंग इण्डस्ट्रीज गोरा मछिया, कानपुर रोड, झांसी	श्री सुरेन्द्र कुमार श्री रितेश शर्मा		19/सी, सिविल लाइन्स, झांसी	गोरा मछिया
16.	मे0 बालाजी ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज	श्री नंद किशोर	श्री पन्नालाल	530/2 प्रेम गंज, सीपरी बाजार, झांसी	गोरा मछिया
17.	मे0 नारवानी ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज गोरा मछिया	श्री नानक चंद	श्री वीरू चन्द नारवानी	गोरा मछिया	गोरा मछिया
18.	मे0 मीनाक्षी स्टोन मिनरल्स गोरा मछिया	श्री नरेन्द्र कुमार	श्री बाबूराम	150/1 सिविल लाइन्स, झांसी	गोरा मछिया
19.	मे0 ममता स्टोन क्रसिंग कम्पनी, दिगारा	श्री अशोक कुमार आनन्दानी	श्री प्रेमचन्द्र	कोतवाली के पास, झांसी	दिगारा
20.	मे0 इण्डियन ग्रेनाइट क्रसिंग करारी, ग्वालियर रोड, झांसी	श्री जय किशुन	श्री ईश्वर दास पारेचा	57/19 सिविल लाइन्स झांसी	करारी
21.	मे0 मारुति ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज, पीतमपुर ग्वालियर रोड, झांसी	श्री बलभद्र सिंह	श्री रामनारायण	159 पुरानी नगरिया, पसरट, झांसी	पीतमपुर

22.	मे0 झांसी ग्रेनाइट स्टोन क्रेशर प्रा0लि0 लक्ष्मनपुरा, मऊरानीपुर रोड, झांसी	श्री महेन्द्र कुमार	छेदी लाल सरावती	100/3 ए, सिविल लाइन, झांसी	लक्ष्मनपुरा
23.	मे0 श्री हनुमान इण्डस्ट्रीज, लक्ष्मनपुरा, झांसी	श्री पवन कुमार	श्री जगदीश सरावती	100/3 ए, सिविल लाइन, झांसी	लक्ष्मनपुरा
24.	मे0 सरोज ग्रेनाइट क्रसिंग कम्पनी, लक्ष्मनपुरा	श्री प्रदीप कुमार	श्री स्वामीप्रसाद शाहू	95/18 ए, सिविल लाइन, झांसी	लक्ष्मनपुरा
25.	मे0 कैलाश स्टोन इण्डस्ट्रीज, लक्ष्मनपुरा	श्री कैलाश नारायण	श्री मोहन लाल गुप्ता	मेडिकल के सामने, झांसी	लक्ष्मनपुरा
26.	मे0 पुष्पा ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज लक्ष्मनपुरा	श्री अनिल कुमार	श्री स्वदेश कुमार वद्यावन	6, बोधराज कम्पाउण्ड, सीपरी, झांसी	लक्ष्मनपुरा
27.	मे0 पीताम्बरा स्टोन कैसिंग कम्पनी, लक्ष्मनपुरा	श्री सुमेन्द्र कुमार	श्री वल्देवराज	जेल के पीछे, झांसी	लक्ष्मनपुरा
28.	मे0 सिंह स्टोन क्रेसिग कम्पनी लक्ष्मनपुरा	श्री मोहन सिंह	श्री राजेन्द्र सिंह	जेल के पीछे, झांसी	लक्ष्मनपुरा
29.	मे0 जय अम्बेतारा स्टोन क्रेशर लक्ष्मनपुरा	श्री बालचन्द्र राय	श्री हल्कूराम	कुरयाना, बरुआसागर	लक्ष्मनपुरा
30.	मे0 मां वैष्णों ग्रामोद्योग संस्थान, लक्ष्मनपुरा	श्री कश्मीर सिंह	श्री राजेन्द्र सिंह	जेल के पीछे, झांसी	लक्ष्मनपुरा
31.	मे0 आशा ग्रामोद्योग सेवा संस्थान गोरा मछिया	श्री भगवान दास	श्री रघुनन्दन यादव	गोरामछिया	गोरामछिया
32.	श्री महादेव ग्रामोद्योग सेवा संस्थान गोरा मछिया	श्री राकेश कुमार गुप्ता	श्री बाबूराम	गोरा मछिया	गोरामछिया

स्रोत : शोधार्थी द्वारा पायलट सर्वेक्षण एवं शोधावधि के मध्य अनुवीक्षण द्वारा संकलित।

सैनिक क्षेत्र
बबीना
रत्नापुर
रक्सा
ढिमौली
बाजना
मऊ
सफा
मथुरापुरा
सैंथार
सिमरावरी
नयागांव
रानीपुर
अमरपुरा

सारणी संख्या 2.2
विकास खण्ड - बबीना

क्र.सं.	फर्म का नाम	नाम	पिता का नाम	पता	कार्यस्थल
1.	मे0 वासन ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज बिजौली, ललितपुर रोड, झांसी	श्री केशव नाथ	श्री बीरभान वासन	8/3, पी0ए0सी0 राजगढ़	बिजौली
2.	मे0 यादव ग्रेनाइट स्टोन क्रशिंग कम्पनी, बिजौली	श्री गोपाल खत्री	श्री राधेमोहन	बिजौली	बिजौली
3.	मे0 दीपक स्टोन क्रेसिंग कम्पनी बिजौली	–	–	बिजौली	बिजौली
4.	मे0 महावीर ग्रेनाइट स्टोन क्रशिंग कम्पनी, बिजौली	श्री हरीराम साहू	–	बिजौली	बिजौली
5.	मे0 कमला ग्रामोद्योग ग्रेनाइट क्रेसिंग कम्पनी, बिजौली	–	–	बिजौली	विजौली
6.	मे0 जयदुर्गा स्टोन क्रेसिंग कम्पनी बिजौली	श्री वीरेश्वर शुक्ला	श्री गोपेश्वर शुक्ला	बिजौली	बिजौली
7.	मे0 विनायक ग्रामोद्योग ग्रेनाइट क्रेसिंग कम्पनी, बिजौली	श्री भगवान सिंह	श्री हरी सिंह	बैलार	विजौली
8.	मे0 राष्ट्रकी ग्रेनाइट क्रेसिंग कम्पनी बिजौली	श्री हरीराम तिवारी	–	विजौली	विजौली
9.	मे0 किरन इण्टरप्राइजेज स्टोन क्रेसिंग कम्पनी बिजौली	श्री पवन कुमार	श्री जगदीश सरावती	विजौली	विजौली
10.	मे0 सुनील स्टोन क्रेसिंग कम्पनी बिजौली	श्री सुनील परछा	श्रीगोवर्धन परछा	विजौली	विजौली

11.	मे0 न्यू दुर्गा स्टोन क्रेसिंग कम्पनी सैथर रोड, बिजौली	श्री बीरेश्वर शुक्ला	श्री गोपेश्वर शुक्ला	बिजौली	बिजौली
12.	मे0 दिव्या ग्रेनाइट स्टोन क्रेसिंग कम्पनी सैथर रोड, बिजौली	श्री बीरेश्वर शुक्ला	श्री गोपेश्वर शुक्ला	बिजौली	बिजौली
13.	मे0 संजीव स्टोन क्रेसिंग कम्पनी राजगढ़	श्री संजीव कुमार	श्री इन्द्रमोहन मेहता	राजगढ़	राजगढ़
14.	मे0 बौद्ध विकास सेवा संस्थान स्टोन क्रेसिंग कम्पनी, बिजौली	श्री प्रदीप यादव	श्री सियाराम यादव	कोड़रा बिजौली	बिजौली
15.	मे0 कमला स्टोन क्रेसिंग इण्डस्ट्रीज, पाली नई डेरी	श्री विजय खत्री	श्री राधेमोहन	इलाहाबाद बैंक के निकट, झांसी	पालीडेली
16.	मे0 सारंग स्टोन क्रेसिंग कम्पनी, शिवपुरी रोड, झांसी	श्री वंशी वालानी	श्री ओडरमल वालानी	141/ए आजाद गंज सीपरी बाजार, झांसी	पालीडेली
17.	मे0 गनेश ग्रेनाइट स्टोन क्रेसिंग कम्पनी शिवपुरी रोड, झांसी	श्री राजकुमार	श्री ईश्वरदास	पहुज के निकट पाली	पाली डेली
18.	मे0 रामा ग्रेनाइट क्रेसिंग कम्पनी शिवपुरी रोड, झांसी	श्री बीरेश्वर शुक्ला	श्री गोपेश्वर शुक्ला	पहुंज के निकट	पाली डेली
19.	मे0 बुन्देलखण्ड स्टोन क्रेसिंग कम्पनी शिवपुरी रोड, झांसी	श्री भूपेन्द्र हाडा	–	पहुज के निकट	पाली डेली
20.	मे0 सोमदत्त स्टोन क्रेसिंग कम्पनी, खोलर	–	–	खोलर	पाली डेली

स्रोत : शोधार्थी द्वारा पायलट सर्वेक्षण एवं शोधावधि के मध्य अनुवीक्षण द्वारा संकलित।

विकास खण्ड - चिरगाँव

सारणी संख्या 2.3
विकासखण्ड चिरगांव

क्र.सं.	फर्म का नाम	नाम	पिता का नाम	पता	कार्यस्थल
1.	मे० कानपुर ग्रेनाइट स्टोन क्रेसिंग कम्पनी रामनगर	श्री राजेश कुमार	श्री नारायणदास सेठ	रामनगर	रामनगर
2.	मे० झांसी मिनरल्स स्टोन क्रेसिंग कम्पनी रामनगर	श्री रतनलाल	श्री दयाराम	रामनगर	रामनगर
3.	मे० वीनस स्टोन क्रेसिंग कम्पनी रामनगर	श्री जगत सिंह	श्री अमृत सिंह	रामनगर	रामनगर
4.	मे० जयबजरंग ग्रेनाइट क्रेसिंग कम्पनी रामनगर	श्री घनश्याम सिंह	श्री कैलाश सिंह	रामनगर	रामनगर
5.	मे० कृष्णा मिनरल्स स्टोन क्रेसिंग कम्पनी रामनगर	श्री रमाकान्त सिंह	श्री नाराम सिंह	रामनगर	रामनगर
6.	मे० विष्णु ग्रेनाइट स्टोन कम्पनी रामनगर	श्री जय प्रकाश	श्री कामता प्रसाद	रामनगर	रामनगर
7.	मे० शिवशक्ति एण्ड कम्पनी रामनगर	श्री जय प्रकाश	श्रीकामता प्रसाद	रामनगर	रामनगर

स्रोत : शोधार्थी द्वारा पायलट सर्वेक्षण एवं शोधावधि के मध्य अनुवीक्षण द्वारा संकलित।

विरखं० → मोंठ

सारणी संख्या 2.4
विकासखण्ड मोठ

क्र.सं.	फर्म का नाम	नाम	पिता का नाम	पता	कार्यस्थल
1.	आशीष ग्रेनाइट इण्ड्रस्टीज रामपुर रोड, ग्राम खिल्ली	श्री महाराज सिंह	श्री रामसेवक यादव	खिल्ली मड़ोरा	खिल्ली
2.	मे0 नील लौहिक क्रसिंग कम्पनी खिल्ली	श्री रवीन्द्र सिंह	श्री गन्धर्व सिंह यादव	खिल्ली	खिल्ली
3.	मे0 सिंहरज ग्रेनाइट इण्ड्रस्टीज खिल्ली	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री गयाप्रसाद यादव	खिल्ली	खिल्ली
4.	मे0 बुद्ध सिंह ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज खिल्ली, भडोरा	श्री बुद्ध सिंह	श्री शत्रुघन सिंह यादव	खिल्ली	खिल्ली
5.	मे0 करतार सिंह स्टोन क्रेसिंग कम्पनी खिल्ली	करतार सिंह	चतुर्भुज यादव	खिल्ली	खिल्ली
6.	मे0 गिरनार स्टोन क्रसिंग कम्पनी खिल्ली, भडोरा	श्री कृष्ण कुमार	श्री अमर सिंह यादव	खिल्ली	खिल्ली
7.	मे0 अभिषेक स्टोन मिनरल्स खिल्ली	श्री माधी सिंह	श्री श्यामलाल यादव	खिल्ली	खिल्ली
8.	मे0 राज ग्रेनाइट इण्ड्रस्टीज कानपुर रोड, झांसी	श्री संसार चन्द	श्री चूरामन	सेसा	सेसा

स्रोत : शोधार्थी द्वारा पायलट सर्वेक्षण एवं शोधावधि के मध्य अनुवीक्षण द्वारा संकलित।

विकास खण्ड
मऊरानीपुर
धवाकर
बड़ागाँव
कोटरा
नयागाँव
घाट कोटरा
पठा

सारणी संख्या 2.5

विकासखण्ड मऊरानीपुर

क्र.सं.	फर्म का नाम	नाम	पिता का नाम	पता	कार्यस्थल
1.	मे0 पंकज ग्रेनाइट इण्ट्रस्ट्रीज केजा, मऊरानीपुर	श्री पंकज कुमार	श्री मनोहर लाल अग्रवाल	अलमाई मऊरानीपुर	केजाग्राम
2.	मे0 पाठक स्टोन ग्रेनाइट क्रेसिंग कम्पनी केजा, मऊरानीपुर	श्रीमती गोमती देवी	श्री छोटे लाल पाठक	पाठकपुरा मऊरानीपुर	केजाग्राम

स्रोत : शोधार्थी द्वारा पायलट सर्वेक्षण एवं शोधावधि के मध्य अनुवीक्षण द्वारा संकलित।

विकास खण्ड - बंगरा
5

उपरोक्त वर्णित पांच विभिन्न विकासखण्डों के अन्तर्गत कुल 68 स्टोन क्रेशर फर्मो की संख्या दी गयी है। तीन और विकासखण्डों में स्थित स्टोन क्रेशर फर्मो की संख्या उपलब्ध न हो पाने के कारण प्रस्तुत अध्ययन में विवशतावश उन्हें दर्शाया नहीं जा सका है जव कि सभी आठ विकासखण्डों में स्थित कुल स्टोन क्रेशर फर्मो की संख्या लगभग 100 के ऊपर है।

उपरोक्त वर्णित सारणियों के विवेचन से स्पष्ट है कि जनपद झांसी में कुल क्रेशर फर्मो की है जिसमें सर्वाधिक 32 क्रेशर फर्म विकासखण्ड बड़ागांव में स्थित है तथा दूसरा स्थान विकासखण्ड बबीना का है जहां 20 क्रेशर फर्म स्थित है। सबसे कम 2 क्रेशर फर्मे विकासखण्ड मऊरानीपुर में स्थित है।

जहां तक स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की श्रम-संरचना का सवाल है, तो इस उद्योग में कार्यरत श्रमिकों में बहुत कुछ समानताएं होते हुए अनेक विभिन्नताएं विद्यमान हैं श्रमिक स्थानीय होने के साथ-साथ देश के विभिन्न हिस्सों से यहां आकर रोजगार प्राप्त किये हुए है। इस शोध-अध्ययन में स्टोन केशर उद्योग में कार्यरत लगभग 2000 श्रमिकों में से 200 का प्रतिदर्श का चयन करके उनका साक्षात्कार अनुसूची द्वारा विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन करके समग्र के सम्बन्ध में सामान्य निष्कर्ष निकाले गये हैं जो अग्रविवरण से स्पष्ट होगा।

उपर्युक्त वर्णित स्टोन क्रेशर फर्मों द्वारा निम्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, जैसे बोल्डर (ढोका), बड़ी पटिया, छोटी पटिया, मझोली पटिया, मिट्टी (एक इंच, पौन इंच, आधा इंच, जीरा) एवं अन्य इमारती पटिया। अग्रलिखित सारणी 2.6 द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में स्टोन क्रेशर उद्योग में उत्पादित उत्पादन की मात्रा को दर्शाया गया है-

सारणी संख्या 2.6

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड प्रभाग में स्टोन क्रेशर उद्योग का जनपदवार उत्पादन

(क्यूबिक मीटर्स में)

क्र०स०	जनपद	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	योग
1.	ललितपुर	86.605	35.138	1,89.889	1,60.364	1,90.695	6,62,689
2.	हमीरपुर	10,17.647	5,81.138	923.771	8,22.391	10,60.221	44,05.168
3.	झांसी	1,43.335	3,55.973	9,05.300	7,05.300	8,10.400	29,19.400
4.	बांदा	1,66.667	1,52.780	2,89.640	2,70.695	2,90.699	11,70.421
	योग	14,14.254	11,25.029	23,07.698	19,58.750	23,52.015	

स्रोतः- 1- भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र०, लखनऊ, उ०प्र० राज्य खनिज विकास निगम लखनऊ : खनिज सम्पदा एवं पर्यावरण - बुन्देलखण्ड पर विशेष प्रस्तुति, Environment Hazards Caused by Granite Industry in Bundelkhand : P.N. Saxena.

2- शोधार्थी द्वारा अन्वीक्षित अशोधित अनुभाग, 1996-97.

सारणी संख्या 2.7

आठवीं पंचवर्षीय योजना से अद्यतन समय तक झांसी जनपद में स्टोन क्रेशर उद्योग का समग्र उत्पादन

(क्यूबिक मीटर्स में)

क्र0सं0	अवधि	उत्पादन (क्यूबिक मीटर में)
1.	1992-93	1,43,335
2.	1993-94	3,55,973
3.	1994-95	9,04,400
4.	1995-96	7,05,300
5.	1996-97	8,10,400
6.	1997-98	7,11,370
7.	1998-99	9,03,400
8.	1999-2000	10,11,391
9.	2000-01	12,20,210
10.	2001-2002	11,44,211
11.	2002-2003	-
योग		79,09.982

स्रोतः- 1. भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ, उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लखनऊ : खनिज सम्पदा एवं पर्यावरण-बुन्देलखण्ड पर विशेष प्रस्तुति।

2. शोधार्थी द्वारा अन्वीक्षित अशोधित अनुमान 1996-97 से 2002-03 तक।

सारणी संख्या 2.8

आठवीं पंचवर्षीय योजना से अद्यतन समय तक जनपद झांसी के विभिन्न विकासखण्डों में स्टोन क्रेशर उद्योग का उत्पादन (क्यूबिक मीटर्स में)

क्र.स. जनपद	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	01-02	02-03	योग
1. बड़ा गांव	143817	111520	112210	133102	90440	140211	4155210	160210	120431	112233	114411	1581996
2. बबीना	1.20,331	1,14491	115340	80831	130301	142402	128291	113301	114312	115601	135402	1412211
3. चिरगांव	140311	112302	155411	135302	111411	112301	145402	140411	128210	120211	135302	1653302
4. मोंठ	90411	81431	112402	114301	115413	113402	116233	117303	145411	144119	112319	1356,419
5. मऊरानीपुर	144364	146379	1471433	175602	176611	150791	156602	155601	165402	160699	165411	190654
योग	639234	653611	580391	665671	565319	674411	672413	575302	682216	610211	677702	7909982

स्रोतः- 1. भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ, उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लखनऊः खनिज सम्पदा एवं पर्यावरण-- बुन्देलखण्ड पर विशेष प्रस्तुति।

2. शोधार्थी द्वारा अन्वीक्षित अशोधित अनुमान 1996-97 से 2002-03 तक।

सारणी संख्या 2.9

आठवीं पंचवर्षीय योजना से अद्यतन समय तक झांसी में स्टोन क्रेशर उद्योग के विभिन्न उत्पादों का समग्र उत्पादन

(क्यूबिक मीटर्स में)

क्र0सं0	उत्पाद के नाम	उत्पादन (92-93 से 2002-03 तक)
1.	बोल्डर	26,36,660.7
2.	मिट्टी	22,33,149.0
3.	जीरा	30.40.172.3
योग		79,09.982.0

स्रोतः- 1. भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ, उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लखनऊः खनिज सम्पदा एवं पर्यावरण- वुन्देलखण्ड पर विशेष प्रस्तुति।

2. शोधार्थी द्वारा अन्वीक्षित अशोधित अनुमान 1992-93 से 2002-03 तक।

सारणी संख्या 2.10

आठवीं पंचवर्षीय योजना से अद्यतन समय तक जनपद झांसी के विभिन्न विकासखण्डों में स्टोन क्रेशर उद्योग के मुख्य उत्पादों का उत्पादन (क्यूबिक मीटर्स में)

क्र0सं0	ब्लॉक के नाम	बोल्डर	गिट्टी	जीरा
1.	बड़ागांव	5,27,332,14	4,46,629	6,11,674
2.	ववीना	5,12,319,07	4,12,302	6,22,702
3.	चिरगांव	4,91,611.12	3,99,349	7,41,411
4.	मोठ	5,33,609.02	4,14,417	4,92,203
5.	मऊरानीपुर	5,71,789.50	5,60,398	5,72,182
योग		26,36,660.70	22,33,149	30,40,172

स्रोतः- 1. भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ, उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लखनऊः खनिज सम्पदा एवं पर्यावरण- वुन्देलखण्ड पर विशेष प्रस्तुति।

2. शोधार्थी द्वारा अन्वीक्षित अशोधित अनुमान 1996-97 से 2002-03 तक।

सारणी संख्या 2.11

जनपद झांसी के अन्तर्गत विभिन्न विकासखण्डों में श्रमिकों की समग्र संख्या

क्र0सं0	ब्लॉक के नाम	श्रमिकों की संख्या
1.	बड़ागांव	105
2.	ववीना	95
3.	चिरगांव	87
4.	मोठ	102
5.	मऊरानीपुर	116
योग		505

स्रोत- शोधार्थी द्वारा पायलट सर्वेक्षण एवं शोधावधि के मध्य अन्वीक्षण द्वारा।

टिप्पणी- शोधावधि के दौरान स्टोन क्रेशर श्रमिकों की संख्या घटती बढ़ती रही है।

सारणी संख्या 2.12

झांसी जनपद के अन्तर्गत विभिन्न विकासखण्डों में महिला एवं पुरुष श्रमिकों की संख्या

क्र0सं0	ब्लॉक के नाम	पुरुष श्रमिक	महिला श्रमिक	योग
1.	बड़ागांव	70	35	105
2.	बबीना	60	35	95
3.	चिरगांव	65	22	87
4.	मोंठ	88	14	102
5.	मऊरानीपुर	79	32	116
योग		362	138	505

स्रोत- शोधार्थी द्वारा पायलट सर्वेक्षण एवं शोधावधि के मध्य अन्वीक्षण द्वारा।

टिप्पणी- शोधावधि के दौरान स्टोन क्रेशर श्रमिकों की संख्या घटती बढ़ती रही है।

सारणी संख्या 2.13

झांसी जनपद के अन्तर्गत विभिन्न विकासखण्डों में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या

क्र०सं०	ब्लॉक के नाम	प्रशिक्षित श्रमिक	अप्रशिक्षित श्रमिक	योग
1.	बड़ागांव	12	93	105
2.	बबीना	18	77	95
3.	चिरगांव	19	68	87
4.	मोंठ	20	82	102
5.	मऊरानीपुर	21	410	116
	योग	90	410	505

स्रोत– शोधार्थी द्वारा पायलट सर्वेक्षण एवं शोधावधि के मध्य अन्वीक्षण द्वारा।

टिप्पणी– शोधावधि के दौरान स्टोन क्रेशर श्रमिकों की संख्या घटती बढ़ती रही है।

स्टोन क्रेशर उद्योग एक परम्परागत श्रम-प्रधान उद्योग है। इसके बावजूद इसमें पूंजी विनियोजन भी पर्याप्त मात्रा में होता है। साधारणतः एक स्टोन क्रेशर की स्थापना में लगभग 50 लाख रुपये का विनियोजन होता है। अतः प्रश्न यह है कि इस उद्योग में श्रम-पूंजी का क्या अनुपात होता होगा ? एक पार्श्व अनुवीक्षण द्वारा यह पाया गया कि अध्ययन अवधि में यह अनुपात औसत रूप से 5.1 है अर्थात 5 इकाई श्रम एवं एक इकाई पूंजी का प्रयोग। सारिणी संख्या 2.14 द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना से अद्यतन समय तक यह अनुपात दर्शित किया गया है यथा-

सारिणी संख्या- 2.14

आठवीं पंचवर्षीय योजना से अद्यतन समय तक स्टोन क्रेशर श्रमिकों की श्रम संरचना में श्रम-पूंजी अनुपात

वर्ष/योजना	श्रम-पूंजी अनुपात
आठवीं पंचवर्षीय योजना	
1992-93	6:1
1993-94	6:1
1994-95	5:1
1995-96	5:1
1996-97	5:1
नवीं पंचवर्षीय योजना	
1997-98	4:1
1998-99	4:1
1999-2000	5:1
2000-01	5:1
2001-02	4:1
अद्यतन समय	
2002-03	4:1

स्रोत : स्वयं के अनुवीक्षण द्वारा

किसी जनसंख्या की श्रम-शक्ति सहभागिता दर (Labour force participation rate) जनसंख्या के उस अनुपात या प्रतिशत को कहते हैं जो या तो कार्यरत है या जो श्रम-बाजार में काम की खोज में

है। दूसरे शब्दों में, कुल जनसंख्या में श्रम-शक्ति के प्रतिशत को श्रम-शक्ति सहभागिता दर कहते हैं। सारिणी संख्या- 2.15 के द्वारा कुछ चुने हुये देशों में श्रम-सहभागिता दर दिखलायी गयी है। इस सारिणी से स्पष्ट है कि विश्व के विकसित देशों की तुलना में अल्प-विकसित देशों मं श्रम-शक्ति सहभागिता दर बहुत कम है। भारत में यह दर 32.9 प्रतिशत है। स्टोन क्रेशर श्रमिकों की संरचना के संदर्भ में श्रम-सहभागिता दर का यह विवरण महत्वपूर्ण है। इससे यह निहितार्थ प्राप्त होता है कि स्टोन क्रेशर श्रमिकों में पुरुष जनसंख्या का बाहुल्य है और स्त्री जनसंख्या की मात्रा अति अल्प है। यह सारिणी निम्नवत् दर्शित है-

सारिणी संख्या- 2.15

चुने हुये देशों में श्रम-शक्ति सहभागिता दरें

देश	वर्ष (प्रतिशत में)	सहभागिता दर
रूस	1979	51.4
डेनमार्क	1979	51.3
जापान	1979	48.2
संयुक्त राज्य अमेरिका	1979	47.7
ग्रेट ब्रिटेन	1978	47.1
कैनाडा	1978	46.07
आस्ट्रेलिया	1979	44.7
फ्रांस	1979	43.1
भारत	1971	32.9
पाकिस्तान	1980	29.5
वंगला देश	1974	28.7
मेक्सिको	1979	28.3
लीबिया	1973	24.1

स्रोत- जी० पी० सिन्हा, पी०आर०एन० सिन्हा एवं के०के० सिंह : श्रम-शास्त्र की भूमिका, एस० चान्द एण्ड कं०, 1987, पृष्ठ- 83.

2.2 श्रमिकों की आयु का विवरण:-

प्रस्तुत शोध अध्ययन में 200 श्रमिकों के सन्दर्भ विशेष में निदर्शन प्रणाली को अपनाते हुए बृहद जानकारी प्राप्त की गयी है। श्रमिकों की आयु का विवरण सारणी संख्या 2.16 में प्रदर्शित किया गया है यथा-

सारणी संख्या 2.16

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की आयु का विवरण

क्रम संख्या	आयु वर्गान्तर वर्षो में	प्रतिदर्श	समग्र का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	18-24	32	16
2.	24-30	60	30
3.	30-36	56	28
4.	36-42	40	20
5.	42-48	12	06
6.	48-54	00	00
7.	54-60	00	00
योग		200	100

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची।

उपर्युक्त सारणी संख्या में स्टोन क्रेशर श्रमिकों का 16 प्रतिशत 18-24 वर्ष के मध्य, 30 प्रतिशत 24-30 वर्ष के मध्य, 28 प्रतिशत 30-36 वर्ष के मध्य, 20 प्रतिशत 36-42 वर्ष के मध्य तथा 6 प्रतिशत 42-48 के मध्य कार्यरत हैं जबकि 48-54 तथा 54-60 वर्ष के मध्य श्रमिकों की संख्या नगण्य है। गत पृष्ठ पर दी गयी सारणी से स्पष्ट है कि श्रमिकों का सर्वाधिक 30 प्रतिशत 20-30 आयु वर्ग संरचना के मध्य है जबकि वर्ग संरचना 48-54 एवं 54-60के मध्य श्रमिकों की संख्या शून्य है जो यह दर्शाता है कि श्रमिकों की आयु संरचना युवा वर्ग के इर्द-गिर्द है।

चित्र संख्या 2.1

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की आयु का विवरण

2.3 श्रमिकों की कुशलता अकुशलता का वर्गीकरणः-

जहां तक श्रमिकों की कुशलता एवं अकुशलता के वर्गीकरण का प्रश्न है तो अकुशल श्रमिकों की संख्या पूर्णतया है जवकि प्रतिदर्श में प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या शून्य है।

सारणी संख्या 2.17

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की कुशलता अकुशलता का वर्गीकरण

क्र.स.	वर्गीकरण	प्रतिदर्श	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	प्रशिक्षित श्रमिक	00	0
2.	अप्रतिक्षित श्रमिक	200	100
योग		200	100

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त सारणी यह प्रदर्शित करती है कि प्रतिदर्श में लिये गये 200 श्रमिकों में से कोई भी श्रमिक प्रशिक्षित नही है।

2.4 स्टोन क्रेशर श्रमिकों का शैक्षिक वर्गीकरणः-

किसी भी कार्य में लगे हुए व्यक्तियों में शिक्षा का अपना अलग स्थान होता है। अग्रपृष्ठ पर दी गयी सारणी संख्या 2.18 में स्टोन क्रेशर श्रमिकों का शैक्षिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी संख्या 2.18

श्रमिकों का शैक्षिक वर्गीकरण

क्र.स.	शैक्षिक स्तर	प्रतिदर्श	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	निरक्षर	80	40
2.	प्राथमिक	56	28
3.	मिडिल	36	18
4.	हाईस्कूल	28	14
5.	इण्टरमीडियट	00	00
योग		200	100

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपर्युक्त सारणी में वर्णित 200 प्रतिदर्श संख्या से निकाले गये निष्कर्षो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्टोन क्रेशर में कार्यरत श्रमिकों में निरक्षर क्षमिकों की संख्या सर्वाधिक 40 प्रतिशत है जबकि 28 प्रतिशत श्रमिक प्राथमिक, 18 प्रतिशत श्रमिक मिडिल, 14 प्रतिशत श्रमिक हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त हैं। जबकि कोई भी श्रमिक इण्टर की शिक्षा प्राप्त नहीं है।

2.5 स्टोन क्रेशर श्रमिकों का जातिगत वर्गीकरणः-

स्टोन क्रेशर श्रमिकों के जातिगत वर्गीकरण को अग्रसारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है-

चित्र संख्या 2.2

श्रमिकों का शैक्षिक विवरण

सारणी संख्या 2.19

स्टोन क्रेशर श्रमिकों का जातिगत वर्गीकरण

क्र.स.	जाति का नाम	प्रतिदर्श	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	ठाकुर	02	01
2.	गुप्ता	00	00
3.	यादव	08	04
4.	काछी	60	30
5.	चमार	60	30
6.	ब्राह्मण	02	01
7.	आदिवासी	00	00
8.	मुसलमान	02	01
9.	सहरिया	60	30
योग		200	100

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश श्रमिक निम्न जाति के हैं जिनसे सर्वाधिक प्रतिशत 30-30 काछी, चमार और सहारिया जाति का है जबकि उच्च जाति ब्राह्मण और क्षत्रिय का प्रतिशत केवल एक है।

2.6 स्टोन श्रमिकों का परिवारिक ढांचा:-

स्टोन क्रेशर श्रमिकों के आर्थिक स्तर का पता लगाने के लिए उनके पारिवारिक ढांचे का अध्ययन करना अत्यन्त ही आवश्यक है। इस तथ्य को अग्र सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है।

चित्र संख्या 2.3

स्टोन क्रेशर श्रमिकों का जातिगत वर्गीकरण

सारणी संख्या 2.20

स्टोन क्रेशर श्रमिकों का पारिवारिक ढांचा

क्र.स.	सदस्यों की संख्या	प्रतिदर्श	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	01	08	4
2.	02	02	1
3.	03	08	4
4.	04	44	22
5.	05	20	10
6.	06	44	22
7.	07	32	16
8.	08	04	2
9.	09	24	12
10	10	12	6
योग		200	100

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची,

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 22-22 प्रतिशत श्रमिकों के पारिवारिक सदस्यों की संख्या 6 और 4 है जबकि केवल 4 प्रतिशत श्रमिक अकेले रहते हैं। 16 प्रतिशत श्रमिकों के परिवार की सदस्य संख्या 7 है, 72 प्रतिशत श्रमिकों की पारिवारिक सदस्य संख्या 9 है जबकि सर्वाधिक दस की संख्या 6 प्रतिशत श्रमिकों के परिवारों की है।

2.7 स्टोन क्रेशर श्रमिकों की वर्तमान आय का विवरणः-

किसी भी व्यक्ति या परिवार की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाने के लिए उस व्यक्ति या परिवार के सदस्यों की आय का पूर्ण विवरण मालूम होना चाहिए। इसी तथ्य को ध्यान में

रखते हुए अग्र सारणी में जनपद झांसी के स्टोन क्रेशर श्रमिकों को प्राप्त होने वाली वर्तमान आय का विवरण दिया जा रहा है।

सारणी संख्या 2.21

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की वर्तमान आय का विवरण

क्र.स.	आयवर्ग (रु0 में)	प्रतिदर्श	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	100-500	00	00
2.	500-1000	00	00
3.	1000-1500	08	04
4.	1500-2000	52	26
5.	2000-2500	72	36
6.	2500-3000	12	06
7.	3000-3500	20	10
8.	3500-4000	04	02
9.	4000-4500	16	08
10.	4500-5000	16	08
11.	5000-5500	00	00
12.	5500-6000	00	00

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 36 प्रतिशत श्रमिकों की वर्तमान आय 2000-2500 आय वर्ग के बीच है, 26 प्रतिशत श्रमिकों की आय 1500-2000 के बीच है, 10 प्रतिशत श्रमिकों की आय 3000-3500 के बीच है जबकि सबसे उच्च्व आय वर्ग 4500-5000 के बीच आय वाले श्रमिकों का प्रतिशत 8 प्रतिशत है जबकि सबसे कम आय आर्य आय वर्ग 1000-1500 के बीच है।

चित्र संख्या 2.4

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की वर्तमान आय का विवरण

2.8 स्टोन क्रेशर श्रमिकों की आय के अन्य स्रोतों का विवरणः-

अधिकांश श्रमिक वर्ग प्राप्त वर्तमान मजदूरी से अपने व्यय का समायोजन नहीं कर पाता है जिसके कारण उसको आय के अन्य स्रोतों के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि करनी पड़ती है इसलिए श्रमिकों की आय वृद्धि के अन्य स्रोतों का विवरण ज्ञात करना अत्यन्त ही आवश्यक हो जाता हैं इस तथ्य को सारणी संख्या 2.22 में स्पष्ट किया गया है। यथा-

सारणी संख्या 2.22

स्टोन क्रेशर श्रमिकों के आय के अन्य स्रोतों का विवरण

क्र.स.	आय के अन्य स्रोत	प्रतिदर्श	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	कृषि कार्य	152	76
2.	पुताई कार्य	16	08
3.	बढ़ईगिरी	04	02
4.	गृह निर्माण कार्य	20	10
5.	अन्य कार्य	08	04
योग		200	100

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त सारणी से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आय के अन्य स्रोतों में कृषि कार्य का सर्वाधिक महत्व है जिससे 76 प्रतिशत श्रामिक आय प्राप्त करते हैं जबकि 10 प्रतिशत श्रमिक गृह निर्माण कार्य, 8 प्रतिशत श्रमिक पुताई कार्य, 2 प्रतिशत श्रमिक बढ़ईगीरी तथा 4 प्रतिशत श्रमिक आय के अन्य स्रोत के लिए विविध प्रकार के कार्यो में लगे हुए हैं।

2.9 विभिन्न पद कार्यो पर लगे स्टोन क्रेशर श्रमिकः-

स्टोन क्रेशर श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के कार्यो को सम्पन्न करना पड़ता है जिसके

चित्र संख्या 2.5

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की आय के अन्य स्रोत

लिए अलग-अलग पद सृजित किये गये हैं जो अग्र सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है-

सारणी संख्या 2.23

विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले स्टोन क्रेशर श्रमिक

क्र.स.	पद का नाम	प्रतिदर्श	समग्र का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	मुंशी	24	12
2.	मजदूर	120	60
3.	मिस्त्री	20	10
4.	हेल्पर	24	12
5.	वेल्डर	12	06
योग		200	100

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपर्युक्त सारणी 2.21 से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्वाधिक श्रमिक 60 प्रतिशत मजदूर के रूप में स्टोन क्रेशर में कार्य करते है, 12 प्रतिशत श्रमिक मुंशी, 10 प्रतिशत श्रमिक मिस्त्री के रुप में, 12 प्रतिशत श्रमिक हेल्पर के रुप में तथा 6 प्रतिशत श्रमिक वेल्डर के रुप में कार्य करते है।

2.10 स्टोन क्रेशर में कार्यशुरु करने की उम्रः-

इस शीर्षक के अन्तर्गत इस तथ्य का विश्लेषण किया जायेगा कि स्टोन क्रेशर में जब श्रमिक ने कार्य करना शुरु किया तो उसकी उम्र क्या थी जो साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार सारणी संख्या 2.22 द्वारा स्पष्ट किया गया है-

चित्र संख्या 2.6

विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले स्टोन क्रेशर श्रमिक

सारणी संख्या 2.24

स्टोन क्रेशर श्रमिकों में कार्य शुरु करने की उम्र

क्र.स.	कार्यशुरु करने का समय	प्रतिदर्श	समग्र का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	बचपन से	04	02
2.	18 वर्ष की उम्र से	80	40
3.	25 वर्ष की उम्र से	84	42
4.	पिछले 10 वर्षो से	32	16
योग		200	100

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 2 प्रतिशत श्रमिक बचपन से, 40 प्रतिशत श्रमिक 18 वर्ष की उम्र से, 16 प्रतिशत श्रमिक पिछले 10 वर्षो से तथा सर्वाधिक 42 प्रतिशत 25 वर्ष की उम्र से स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्य कर रहे हैं।

2.11 स्टोन क्रेशर श्रमिकों के स्थायी अस्थायी का वर्गीकरणः-

स्टोन क्रेशर श्रमिकों के स्थायी- अस्थायी वर्गीकरण को सारणी संख्या 2.25 द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है यथा-

चित्र संख्या 2.7

स्टोन क्रेशर में श्रमिक के रूप में कार्य प्रारम्भ करने की आयु

कार्य प्रारम्भ करने की आयु

सारणी संख्या 2.25

स्टोन क्रेशर श्रमिकों के स्थायी अस्थायी का वगीकरण

क्र.स.	वर्गीकरण	प्रतिदर्श	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	स्थायी	56	28
2.	अस्थायी	144	72
योग		200	100

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 72 प्रतिशत श्रमिक अस्थायी रूप से कार्यरत है। जबकि केवल 28 प्रतिशत श्रमिक ही स्थायी रूप से रोजगार प्राप्त किये हुए हैं।

इस अध्याय में जनपद झांसी में स्थित स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्यरत श्रामिकों की श्रम-संरचना का विविध पक्षीय विश्लेषण किया गया है। अगले अध्याय में स्टोन क्रेशर श्रमिकों की मजदूरीगत प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जायेगा।

चित्र संख्या 2.8

स्टोन क्रेशर श्रमिको के स्थायी - अस्थायी का वर्गीकरण

तृतीय अध्याय

श्रमिकों की मजदूरीगत प्रवृत्तियाँ

"For unto every one that hath shall be given and he shall have abundance but from him that hath not shall be taken away even that which he hath."

❑ Mathew 25:29

श्रम उत्पादन का एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण साधन है। औद्योगीकरण के विकास एवं प्रौद्योगिक तथा आर्थिक प्रगति के साथ-साथ श्रमिकों या कर्मचारियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। आज विश्व के कई देशों में मजदूरी अर्जकों के स्थायी वर्ग में जनसंख्या के अनेक लोग आ चुके हैं। अगर किसी कारणवश श्रमिकों को मजदूरी नहीं मिलती, तो केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कल्याणकारी राज्य के उदय तथा गणतंत्रात्मक एवं मानवीय सिद्धान्तों के व्यापक विस्तार के कारण आज श्रमिकों को उत्पादन का साधन मात्र ही नहीं समझा जाता। जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण अंश होने के कारण उनके जीवन-स्तर को ऊंचा बनाये रखने के लिए सर्वत्र प्रयास किये जा रहे हैं। श्रमिकों के जीवन-स्तर और उन्हें मिलने वाली मजदूरी की मात्रा में गहरा सम्बन्ध होता है। इस तरह श्रम समस्याओं एवं श्रम शास्त्र के अध्ययन में मजदूरी का विशेष स्थान है और इसका महत्व दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। इस अध्याय में उपरोक्त भूमिका के सापेक्ष झांसी जनपद के स्टोन क्रेशर श्रमिकों की मजदूरी की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला जायेगा।

3.1 मजदूरी का अर्थः-

अर्थशास्त्रियों ने मजदूरी की परिभाषा अपने-अपने ढंग से दी है। इनमें मार्शल, वेनहम तथा सेलिगमैन की परिभाषाएं निम्नवत् उद्वरित की जा रही है।

मार्शल के अनुसार- ''अर्थशास्त्र में मजदूरी मानवीय प्रयास के लिये किसी भी प्रकार का पुरस्कार है चाहे उसका भुगतान घण्टे, दिन या समय की किसी अन्य लम्वी अवधि के अनुसार हो या नकद या प्रकार में या दोनों में हो।''

बेन्हम के शब्दों में- ''मजदूरी मुद्रा की वह राशि है जिसका भुगतान नियोजक अपने श्रमिक को उसकी सेवाओं के लिए किसी संविदा के अनुसार करता है''

सेलिगमैन के अनुसार- ''मजदूरी श्रम का पारिश्रमिक है।''

पी०एच० कैस्सलमैन ने श्रम शब्दकोश में मजदूरी की परिभाषा इस प्रकार दी है, ''मजदूरी श्रम के विनिमय में श्रमिक द्वारा प्राप्त आय है। यह धनके वितरण में श्रमिक को दिया जाने वाला वह भाग है जिसे उसे धन के उत्पादन में उसके प्रयासों के बदले दिया जाता है, और यह लगान, सूद या लाभ से भिन्न होता है जो क्रमशः भूमि पूंजी तथा उद्यमी के लिए पारिश्रमिक होते हैं। 'मजदूरी' शब्द श्रमिक के सभी प्रकार के पारिश्रमिक के साथ लागू नहीं होता, बल्कि यह विशेष रूप से भाड़े के साथ लागू होता है।''

कई श्रम विधानों जैसे कारखाना अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में भी मजदूरी की परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन इन परिभाषाओं का उल्लेख यहां आवश्यक नहीं क्योंकि वे अधिनियमों के विशेष सन्दर्भ में प्रयुक्त किए गए हैं।

सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि श्रम को उसके प्रयोग के लिए दी गई कीमत ही मजदूरी है। दूसरे शब्दों में, मजदूरी राष्ट्रीय आय का वह भाग है जो श्रम को उत्पादन-क्रिया में उसके सहयोग या उसकी सेवाओं के लिए दिया जाता है। मजदूरी शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार की सेवाओं के लिए दी जा सकती है। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से श्रमिक या कर्मचारी चाहे वे कारखानों, खानों कार्यालयों या अन्य प्रतिष्ठानों या सेवाओं में नियोजित क्यों न हों, उनकी सेवाओं के लिए दी जाने वाली कीमत मजदूरी कहलायेगी। यहां मजदूरी के महत्वपूर्ण तत्वों का

उल्लेख उचित प्रतीत होता है। ये तत्व हैंः-

(क) मजदूरी उत्पादन-क्रिया में श्रमिकों को उनकी सेवाओं के लिए दिया जाने वाला पारिश्रमिक है,

(ख) मजदूरी शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार के श्रम के लिए पारिश्रमिक है,

(ग) मजदूरी नकद या प्रकार में दी जा सकती है, तथा

(घ) मजदूरी के भुगतान के लिए कोई भी अवधि हो सकती है, जैसे दैनिक, साप्ताहिक या मासिक।

मजदूरी के प्रकार

मजदूरी का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है, जैसे-मजदूरी के भुगतान के तरीके, मजदूरी की क्रय-शक्ति की मात्रा, मजदूरी भगतान की अवधि आदि।

मजदूरी के भुगतान के तरीके के आधार पर मजदूरी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैः-

(क) समयानुसार मजदूरी तथा

(ख) कार्यानुसार मजदूरी

(क) समयानुसार मजदूरीः-

समयानुसार मजदूरी में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान निर्धारित समय के अनुसार किया जाता है, जैसे घण्टे, दिन, सप्ताह या महीने के अनुसार। इसमें श्रमिकों के उत्पादन की मात्रा या उसकी प्रकृति को ध्यान में रखा जाता है। भारत तथा विश्व के अन्य देशों में श्रमिकों या कर्मचारियों को मुख्यतः इसी तरीके के अनुसार मजदूरी दी जाती है। अधिकांश श्रम-संघ समयानुसार मजदूरी को ही पसंद करते हैं।

समयानुसार मजदूरी के गुण

(1) मजदूरी भुगतान की यह प्रद्धति सरल होती है जिसे अकुशल एवं सामान्य श्रमिक भी आसानी से समझ सकते हैं।

(2) इस पद्धति में निर्धारित अवधि के लिए श्रमिकों की आय सुनिश्चित होती है और उन्हें मजदूरी के कटने या कम होने का भय नहीं होता।

(3) इससे उत्पादित वस्तुओं के गुण को ऊंचा बनाए रखने में सहायता मिलती है। यह कलात्मक तथा कौशल वाले कार्य के लिए अधिक उपयुक्त है।

(4) इससे वर्बादी और खराब कार्य पर अंकुश रखने में सहायता मिलती है।

(5) श्रमिक संघों और श्रमिकों की दृष्टि में यह श्रमिकों के वीच प्रतिस्पर्द्धा या होड़ को रोकती है और उनमें भाई-चारे एवं एकता की भावना के विकास में सहायक होती है, तथा जहां उत्पादन की मात्रा या उसके गुण को नापना कठिन होता है, वहां यह तरीका सबसे उपयुक्त होता है।

(ख) कार्यानुसार मजदूरी

इस तरीके में श्रमिकों को उनके कार्य या उत्पादन की मात्रा के अनुसार मजदूरी दी जाती है। उदाहरणार्थ, किसी कोयला खान में कार्यरत कुछ श्रमिकों को उनके द्वारा काटे हुए कोयले की मात्रा के अनुसार मजदूरी दी जा सकती है। अगर मान लिया जाए के कोयला काटने की दर 5 रु० प्रति मन है, तो जो श्रमिक 4 मन कोयला काटता है तो उसे 20 रु० और जो 6 मन कोयला काटता है उसे 30 रु० मजदूरी मिलेगी। इस पद्धति में कार्य पूरा करने में समय का ध्यान नहीं रखा जाता। हो सकता है कि कोई मजदूर 4 मन कोयला केवल 2 ही घण्टे में काट डाले और दूसरा उसके लिए 6 घण्टे लगाए। इसी प्रकार कई अन्य प्रकार के कार्यो में उत्पादन की प्रति इकाई दर निश्चित कर दी जाती है। जो श्रमिक अधिक उत्पादन करता है उसे अधिक और जो कम उत्पादन करता है उसे कम मजदूरी मिलती है।

कार्यानुसार मजदूरी के गुण

(1) कार्यानुसार मजदूरी से श्रमिकों, विशेषकर निपुण एवं कुशल श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि होती है जिससे एक ओर तो उनकी आय बढ़ती है, तो दूसरी ओर नियोजकों को अधिक लाभ होता है।

(2) इस पद्धति में श्रमिकों की मजदूरी उनकी उत्पादकता से प्रत्यक्ष रूप में जुड़ी होती है। इस कारण, वे अपनी आय बढ़ाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्द्धा करते हैं जिससे कम समय में अधिक उत्पादन होता है और उत्पादन-लागत में कमी होती

है।

(3) उत्पादन-लागत में कमी होने से वस्तुओं के मूल्य को कम किया जा सकता है। इससे उपभोक्ता लाभान्वित होते हैं।

(4) इस पद्धति से मशीनों एवं यन्त्रों के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है।

मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी

मौद्रिक मजदूरीः-

किसी श्रमिक को उसके श्रम के लिए जो मजदूरी मुद्रा में या नकद दी जाती है, उसे मुद्रा-रूप मजदूरी कहते हैं। उदाहरणार्थ, अगर किसी श्रमिक को उसके कार्य के लिए 500 रु0 प्रति-माह मजदूरी दी जाती है तो उसकी मुद्रा-रूप मजदूरी 500 रुपए प्रतिमाह कही जाएगी। इस तरह 400 रु0, 600 रु0 तथा 800 रु0 प्रतिमाह नकद मजदूरी पाने वाले श्रमिक की मुद्रा-रूप मजदूरी क्रमशः 400 रु0, 600 रु0 तथा 800 रु0 प्रतिमाह कही जाएगी। यह सम्भव है कि मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण मुद्रा-रूप मजदूरी से खरीदे जाने वाले सामानों या सेवाओं की मात्रा एक समान नहीं हो। जैसे, जब श्रमिक के उपभोग में आने वाली वस्तुओं की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है तो 500 रु0 प्रतिमाह मुद्रा-रूप मजदूरी पाने वाला श्रमिक मूल्य वृद्धि के कारण अपनी मजदूरी से कम ही सामान खरीद सकता है, लेकिन जब उसके उपभोग में आने वाली वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं तो वह अपनी मुद्रा-रूप मजदूरी से अधिक सामान खरीद सकता है। दोनों दशाओं में श्रमिक की मुद्रा-रूप मजदूरी 500 रु0 प्रतिमाह ही कही जाएगी।

वास्तविक मजदूरीः-

मुद्रा-रूप मजदूरी की क्रय-शक्ति को वास्तविक मजदूरी कहते हैं। दूसरे शब्दों में, मुद्रा-रूप मजदूरी से खरीदी जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा ही वास्तविक मजदूरी कहलाती है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, वस्तुओं तथा सेवा ओं की कीमत सदा एक समान नहीं होती। मुद्रा-स्फीति की अवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ी हुई होती है। मूल्य-वृद्धि के कारण श्रमिक की मुद्रा-रूप मजदूरी से कम वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदी जा सकती

हैं। दूसरी ओर, जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य कम हो जाते हैं, तो श्रमिक अपनी मुद्रा-रूप मजदूरी से अधिक मात्रा में वस्तुएं तथा सेवाएं खरीद सकता है और ऐसी दशा में उसकी वास्तविक मजदूरी अधिक होगी। अगर मान लिया जाए कि किसी श्रमिक की मुद्रा-रूप मजदूरी 500रु० प्रतिमाह है तो मुद्रा-स्फीति या मंहगाई की दशा में उसकी वास्तविक मजदूरी कम होगी तथा सस्ती की दशा में उसकी वास्तविक मजदूरी अधिक होगी, यद्यपि दोनों ही अवस्थाओं में उसकी मौद्रिक-रूप मजदूरी एक ही अर्थात् 500 रु० प्रतिमाह ही कही जाएगी।

विगत वर्षों में भारतीय श्रमिकों, विशेषकर औद्योगिक श्रमिकों की मौद्रिक मजदूरी में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। लेकिन सामान्यतः उनकी वास्तविक मजदूरी या तो स्थिर रही है, या उसमें ह्रास हुआ है। भारत सरकार का श्रमिक ब्यूरो देश के विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों तथा सारे देश के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक तैयार करता है जिनसे श्रमिकों के उपभोग में आने वाली वस्तुओं जैसे भोजन,वस्त्र निवास तथा अन्य विविध वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन की मात्रा का पता चलता रहता है। इन सूचकांको के आधार पर मुद्रा-रूप मजदूरी की क्रय-शक्ति या वास्तविक मजदूरी की जानकारी मिलती रहती है। मूल्य-वृद्धि से होने वाले मजदूरी की क्रय-शक्ति के ह्रास की क्षतिपूर्ति के लिए मंहगाई भत्ता देने की योजनाएं व्यापक रूप से क्रियान्वित की गई है। अधिकांश योजनाओं में मंहगाई भत्ता उपभोक्ता कीमत सूचकांको से जुड़ा होता है।

मजदूरी-निर्धारण के तरीकेः-

मजदूरी-निर्धारण के उपयुक्त तरीके के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों के बीच व्यापक मतभेद रहा है। समय-समय पर मजदूरी-निर्धारण सम्बन्धी कई सिद्धान्त दिए गए हैं। मजदूरी के अधिक चर्चित पुराने सिद्धान्तों में मुख्य हैः- जीवन निर्वाह सिद्धान्त या मजदूरी का लौह नियम जीवन सिद्धान्त मजदूरी कोष सिद्धान्त अवशिष्ट दावी सिद्धान्त तथा सीमांत उत्पादकता सिद्धान्त।

मजदूरी के जीवन-निर्वाह सिद्धान्त का प्रभाव एक लम्बी अवधि तक रहा। इस सिद्धान्त के अनुसार दीर्घकाल में मजदूरी की दर मुद्रा की उस मात्रा की ओर अभिमुख होती है जो श्रमिक को जीवन-निर्वाह के लिए उसके भोजन, वस्त्र और आश्रय की निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। मजदूरी के जीवन-स्तर सिद्धान्त की धारणा में मजदूरी-निर्धारण केवल-निर्वाह के आध

ार पर नहीं होता, बल्कि जीवन-स्तर के अनुसार होता है जिसमें श्रमिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं के अतिरिक्त उनके लिए उपयुक्त सुख-सुविधाएं भी सम्मिलित होती है। मजदूरी कोष सिद्धान्त का विश्वास है कि श्रमिकों को मजदूरी देने के लिए देश की पूंजी का एक निश्चित अनुपात पृथक कर दिया जाता है। किसी समय-विशेष में मजदूरी की मात्रा मजदूरी कोप में एकत्र राशि एवं देश के कुल श्रमिकों की संख्या पर निर्भर करेगी। अवशिष्ट दावी सिद्धान्त के अनुसार श्रमिक उद्योग के उत्पाद का अवशिष्ट दावेदार है। भूमि के लिए लगान, पूंजी के लिए सूद और संगठन के लिए मुनाफे के रूप में पारितोषिक या पारिश्रमिक देने के बाद ही जो बचता है, श्रमिक उसी का दावेदार है और उसी के अनुसार उसे मजदूरी मिलती है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार श्रम बाजार और उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में, प्रत्येक श्रमिक को उसके श्रम के सीमांत उत्पाद के मूल्य के बराबर मजदूरी मिलेगी।

मजदूरी-निर्धारण सम्बन्धी उपर्युक्त सभी सिद्धान्त दोषपूर्ण हैं और उनका तीव्रता से खंडन किया गया है। आधुनिक श्रम शास्त्रियों ने मजदूरी-निर्धारण में बाजार की शक्तियों सामूहिक सौदेबाजी और राज्य की शक्ति को विशेष महत्व दिया है। इन तीनों शक्तियों के प्रभाव में मजदूरी-निर्धारण के तरीकों की व्याख्या अलग-अलग शीर्षकों में नीचे की जा रही हैं।

(अ) बाजार की शक्तियों के प्रभाव में मजदूरी का निर्धारणः-

आधुनिक श्रम-शास्त्रियों ने मूल्य के सामान्य सिद्धान्त का प्रयोग मजदूरी के निर्धारण में भी किया है। जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है, उसी प्रकार मजदूरी-दर का निर्धारण भी श्रमिकों की मांग और उनकी पूर्ति के द्वारा होता है। इस सिद्धान्त को मजदूरी का मांग और पूर्ति सिद्धान्त कहते हैं। इस सिद्धान्त को आज व्यापक मान्यता मिली है। इस सिद्धान्त की व्याख्या आगे की जा रही है।

श्रम की मांगः-

श्रम की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। दूसरे शब्दों में, श्रम की मांग उसकी सहायता से उत्पादित होने वाली वस्तुओं के कारण होती है। सामान्यतः जब उपभोक्ताओं के लिए किसी वस्तु की मांग अधिक होती है, तो उस वस्तु के उत्पादन के लिए नियोजक

श्रम की अधिक मांग करते हैं। दूसरी ओर, जब उपभोक्ता किसी वस्तु की कम मांग करते है, तो उस वस्तु के उत्पादन के लिए नियोजक भी श्रम की कम मांग करेंगे। श्रम की मांग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं- उत्पादित होने वाली वस्तु की मांग की लोच, उत्पादन में सहायक कारकों के मूल्य तथा तकनीकी प्रगति। श्रम की मांग को निर्धारित करने वाले चाहे जो भी कारक हों, नियोजक द्वारा श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी मुख्यतः उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार निर्धारित होती है। सीमांत उत्पादकता श्रमिक की उस इकाई की उत्पादकता को कहते हैं, जिस इकाई को नियोजक द्वारा विशेष मजदूरी या उत्पादित वस्तु के तत्कालीन मूल्य पर रोजगार में लगाना लाभदायक होता है। नियोजक किसी भी स्थिति में सीमान्त उत्पादकता से अधिक मजदूरी देने को तैयार नहीं होता। इसे निम्नलिखित ढंग से और स्पष्ट किया जा सकता है।

मान लिया जाय कि कोई नियोजक श्रमिकों को एक-एक कर उत्पादन कार्य पर लगाता जाता है, ऐसा करते-करते एक स्थिति आएगी जब क्रमागत सीमान्त उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लगेगा। इस तरह कुल उत्पादन में नियोजित होने वाले प्रत्येक अतिरिक्त श्रमिक के योगदान में क्रमशः ह्रास होता जाएगा और इस क्रम में एक ऐसी स्थिति आएगी जब एक श्रमिक या सीमान्त श्रमिक को नियोजित करने में होने वाली लागत उस श्रमिक द्वारा होने वाले अतिरिक्त उत्पादन के मूल्य के बराबर हो जाएगी। इस तरह नियोजक सीमांत श्रमिक को उस श्रमिक के सीमांत उत्पादन के मूल्य के बराबर मजदूरी देगा।

श्रम की पूर्तिः-

श्रम की पूर्ति से मजदूरी की भिन्न-भिन्न दरों पर कार्य करने के लिए तैयार श्रमिकों की संख्या, उनके कार्य के घंटों तथा उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की प्रकृति का बोध होता है। सामान्य धारणा के अनुसार मजदूरी की दर अधिक होने से श्रम की पूर्ति बढ़ती है और मजदूरी की दर कम होने से श्रम की पूर्ति कम हो जाती है। लेकिन इस तरह की बात प्रत्येक स्थितियों में नहीं होती। उदाहरणार्थ, किसी उद्योग या प्रतिष्ठान न

विशेष में श्रम की अधिक पूर्ति अथवा अधिक संख्या में श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए मजदूरी की दर बढ़ाना आवश्यक होता है। दूसरी ओर सम्पूर्ण देश या अर्थ-व्यवस्था में श्रम की पूर्ति आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत कारकों पर निर्भर करती है। इसमें जनसंख्या की बनावट, घर के बाहर कार्य के प्रति श्रमिकों की प्रवृत्ति, बालकों की विद्यालय-शिक्षा के लिए निर्धारित उम्र, कारखानों, खानों या अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बालकों के नियोजन पर वैधानिक प्रतिबन्ध परिवार का आकार, जन्म-नियन्त्रण, चिकित्सीय सुविधाओं की प्रकृति, शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएं, औद्योगिक विकास के स्तर, आदि का उल्लेख किया जा सकता है। कई स्थितियों में मजदूरी की दर में वृद्धि का श्रम की पूर्ति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा भी होता है कि मजदूरी की दर के बढ़ने से कई परिवारों की महिलाएं और बच्चे काम करना बन्द कर देते हैं और इस प्रकार श्रम की पूर्ति कम हो जाती है। ऐसी भी स्थितियां आती हैं जब मजूदरी की दर कम करने पर भी श्रम की पूर्ति में कोई कमी नहीं आती। श्रम की पूर्ति से सम्बन्धित उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद, यह समझा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में मजदूरी की दर बढ़ाने से श्रम की पूर्ति बढ़ाने से और श्रम की पूर्ति बढ़ेगी और उसे कम करने से श्रम की पूर्ति घटेगी।

मांग और पूर्ति का संतुलनः-

पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में, अर्थात् ऐसी अवस्था में जब नियोजकों और श्रमिकों पर किसी प्रकार की रोक या सीमाएं नहीं हों, मजदूरी की दर उस बिन्दु पर निर्धारित होगी जहां श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति की वक्र रेखाएं एक दूसरे को काटें अर्थात् श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर हो। इसे निम्न रेखा-चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

निम्न रेखा-चित्र में AB रेखा श्रम की मात्रा और AC रेखा मजदूरी की दर को निरूपित करती है। DD' वक्र रेखा श्रम की मांग और SS' वक्र रेखा श्रम की पूर्ति को दिखलाती हैं। दोनों वक्र रेखाएं एक दूसरे को W बिन्दु पर काटती हैं। W से AB रेखा पर

एक लम्ब खींचा गया जो AB रेखा को O बिन्दु पर काटता है। WO ही मजदूरी की दर होगी। मज़दूरी की WO दर पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर है।

चित्रसंख्या-3.1

मजदूरी निर्धारण का माँग-पूर्ति सिद्धान्त

मजदूरी की मांग और पूर्ति सिद्धांन्त कई मात्राओं पर आधारित है। इस सिद्धान्त के लागू होने के लिए पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था का होना आवश्यक है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था की केवल कल्पना ही की जा सकती है, विशेष कर श्रम की मांग और पूर्ति के सम्बन्ध में। फिर भी, मजदूरी का यह सिद्वान्त मजदूरी निर्धारण सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति को दर्शाता है।

(ब) सामूहिक सौदेबाजी द्वारा मजदूरी का निर्धारण-

कई श्रम-अर्थशास्त्रियों ने मजदूरी-निर्धारण में सौदेवाजी की शक्ति को महत्वपूर्ण बतलाया है। आधुनिक श्रम-संघों के प्रादुर्भाव के साथ-साथ नियोजन की शर्तों, विशेषकर मजदूरी का मात्रा के निर्धारण में सामूहिक सौदेबाजी का प्रयोग व्यापक रूप से हुआ है। श्रमिक अपनी सेवाओं के लिए अधिक से अधिक मजदूरी चाहते हैं और इस कारण, वे मजदूरी की मात्रा में वृद्धि के लिए नियोजकों पर दबाव डालते हैं और उन्हें सौदेबाजी के लिए बाध्य करते हैं। कुछ देशों, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने सामूहिक सौदेबाजी को श्रम-संघों और नियोजकों दोनों के लिए विधि के अन्तर्गत अनिवार्य कर दिया गया है। जिन देशों में सामूहिक सौदेवाजी विधि के अन्तर्गत अनिवार्य

नहीं भी है, वहां भी श्रम संघ और नियोजक के वीच मजदूरी की दर के निर्धारण में सामूहिक सौदेवाजी का प्रयोग भी व्यापक रूप से होता है।

मजदूरी-निर्धारण के सामूहिक सौदेवाजी सिद्धांत के प्रणेताओं के मत में प्रत्येक मजदूरी दर मांग और पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित नहीं हो सकती और न ही इन शक्तियों द्वारा निर्धारित कोई एक दर सभी जगह लागू हो सकती है। उनके अनुसार 'अधिकतम' और 'निम्नतम' सीमाओं के अन्तर्गत मजदूरी की कई सम्भव दरें हो सकती है। मजदूरी की अधिकतम सीमा नियोजक द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकतम राशि और निम्नतम सीमा श्रमिकों द्वारा स्वीकार्य निम्नतम मजदूरी होगी। इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी की वास्तविक दर श्रम के क्रेताओं अर्थात् नियोजकों ओर श्रम के विक्रेताओं श्रमिकों की सौदेबाजी की सापेक्ष शक्ति पर निर्भर करेगी। अगर श्रम के क्रेताओं की सौदेबाजी-शक्ति अधिक है, तो मजदूरी की दर कम होगी और अगर श्रम के विक्रेताओं की सौदेबाजी-शक्ति अधिक है, तो मजदूरी की दर अधिक होगी। लेकिन, किसी भी अवस्था में नियोजक अपनी अनुमानित अधिकतम सीमा से अधिक मजदूरी देने से इन्कार कर देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अधिक मजदूरी देने की अपेक्षा अपने प्रतिष्ठान को ही बन्द कर देना पसन्द करते हैं। दूसरी ओर, श्रमिक भी अपनी अनुमानित मजदूरी से कम पर कार्य करने से इंकार कर देते हैं।

सामूहिक सौदेबाजी में नियोजक द्वारा प्रदान की जाने वाली मजदूरी की अधिकतम दर कई बातों पर निर्भर करती है जैसे- श्रम की उत्पादकता पूंजीगत उपकरणों में नियोजक का निवेश संचालन के लिए ऋण के रूप में मुद्रा लेने की लागत, अन्य प्रतिष्ठानों के साथ प्रतिस्पर्द्धा, और उत्पादन में श्रम के मशीन या उत्पादन के अन्य कारकों द्वारा विस्थापन की सम्भावना। इसी तरह श्रमिकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली मजदूरी की निम्नतम दर भी कई बातों पर निर्भर करती हैं, जैसे- बेरोजगारी की मात्रा, श्रमिकों के आत्म-सम्मान की प्रकृति श्रम-बाजार की स्थिति के बारे में श्रमिकों की जानकारी, श्रम-संघों की नीतियां, श्रम-विधान के प्रावधान, आदि।

नियोजकों या श्रम-संघों की सौदेबाजी की शक्ति कई आर्थिक एवं आर्थिकेतर कारकों पर निर्भर करती है। जहां श्रमिक असंगठित हैं तथा उन्हें दूसरी जगह काम के अवसर नहीं हैं वहां

उनकी सौदेबाजी की शक्ति कम होगी। इसी तरह अधिक पारिवारिक उत्तरदायित्व, कम आय, जीविकोपार्जन के लिए अन्य साधनों के अभाव, श्रमिकों में गतिशीलता की कमी आदि भी उनकी सौदबाजी की शक्ति को कमजोर बनाती है। दूसरी ओर, जहां श्रमिक श्रम-संघों में संघठित हैं, श्रम-संघों के बीच प्रतिद्वन्द्विता या प्रतिस्पर्द्धा नहीं होती, श्रमिकों और श्रम-संघों की आय अधिक हैं, तथा जनमत श्रम-संघों के पक्ष में है, वहां श्रमिकों की सौदेवाजी की शक्ति अधिक होगी।

रक्षात्मक श्रम अधिनियमों जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिहनयम तथा मजदूरी-भुगतान अधिनियम से सौदेवाजी के लिए न्यूनतम श्रम मानकों की स्थापना होती है और इनमें श्रमिकों को सौदेवाजी के माध्यम से उच्चतर श्रम मानकों की स्थापना में सहायता मिलती है। कई देशों में औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियमों के अन्तर्गत श्रमिक संघों को विशेष अधिकार दिए गए हैं जिनसे श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति मजबूत हुई है। इसी तरह नियोजकों की सौदेबाजी की शक्ति को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जैसे- उत्पादित वस्तुओं की मांग की लोच, नियोजन की वित्तीय स्थिति औद्योगिक सम्बन्ध के प्रति सरकार की नीति, नियोजकों के बीच संगठन का होना या उसका अभाव, उद्योग की तकनीकी स्थिति, आदि।

इस तरह, मजदूरी के सामूहिक सौदेबाजी सिद्धांत के अनुसार मजदूरी की दर श्रमिकों और नियोजकों की सापेक्ष सौदेबाजी-शक्ति पर निर्भर करती है। कभी-कभी तो श्रम-संघों या श्रमिकों की सौदेबाजी-शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वे नियोजकों को श्रमिक की सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से भी अधिक दर पर मजदूरी देने के लिए बाध्य कर देते हैं। ऐसी स्थिति में, नियोजक या तो श्रमिक की सीमान्त उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करता है या श्रमिकों की तब तक छंटनी करने की कोशिश करता है जब तक मजदूरी की दर सीमान्त उत्पादकता के मूल्य क बराबर नहीं हो जाए। इस तरह जब मजदूरी की दर उत्पादकता के मूल्य से अधिक होती है तो बेरोजगारी में वृद्धि की सम्भावना बढ़ जाती है। कभी-कभी तो नियोजक को इतना घाटा होने लगता है कि वह अपना प्रतिष्ठान ही बन्द कर देता है।

(स) राज्य की शक्ति के प्रभाव में मजदूरी का निर्धारणः-

मजदूरी के निर्धारण में राज्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समाजवादी देशों में तो मजदूरी के सभी महत्वपूर्ण पहलू सरकार के तत्वावधान में सुनिश्चित कर दिए जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी मजदूरी के क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप बहुत अधिक बढ़ा है। राज्य के तत्वावधान में मजदूरी नियमन के कुछ विशेष उद्देश्य रहे हैं तथा उसके लिए कुछ विशेष तरीकों का प्रयोग किया गया है। इसी तरह, सरकार की ओर से मजदूरी-निर्धारण में कुछ विशेष आध ारों या सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। राज्य के तत्वावधान में मजदूरी नियमन या निध ारण के उद्देश्यों और सिद्धांतों की विवेचना नीचे की जा रही है।

(द) राज्य के तत्वावधान में मजदूरी-निर्धारण के सिद्धान्तः-

विभिन्न देशों में किसी उद्योग, नियोजन या प्रतिष्ठान में मजदूरी निर्धारण करते समय अधिकारियों ने भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों या आधारों का सहारा लिया है। इनमें निर्वाह मजदूरी, उचित मजदूरी तथा उद्योग की भुगतान-क्षमता के सिद्धान्तों को सबसे अधिक अपनाया गया है। इन सिद्धांतों की व्याख्या नीचे की जाती है।

(1) निर्वाह मजदूरी का सिद्धान्तः-

राज्य के तत्वावधान में मजदूरी-निर्धारण में निर्वाह-मजदूरी के सिद्धान्त को सबसे अधिक अपनाया गया है इस सिद्धान्त के आधार पर मजदूरी की दर श्रमिकों के प्रचलित जीवन-स्तर को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। विभिन्न देशों में श्रमिकों के जीवन-स्तर में अन्तर होने के कारण निर्वाह-मजदूरी के स्तर में भी अन्तर रहा है। विकसित देशों में श्रमिकों को जीवन के ऊंचे स्तर उपलब्ध है, लेकिन निर्धन देशों में उनके जीवन-स्तर निम्न होते हैं। सभी विकसित देशों में भी श्रमिकों के जीवन-स्तर एक समान नहीं होते। इसी तरह, विकसित देशों में भी श्रमिकों के जीवन स्तर में व्यापक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस कारण, निर्वाह-मजदूरी की कोई विश्वव्यापी परिभाषा देना कठिन है।

भारत में उचित मजदूरी समिति, 1948 द्वारा दी गई निर्वाह-मजदूरी

की परिभाषा को ही व्यापक रूप से अपनाया गया है। समिति के अनुसार, ''निर्वाह-मजदूरी ऐसे जीवन-स्तर का द्योतक है जो केवल शरीरिक जीवन-निर्वाह भर के लिए व्यवस्था नहीं करता, बल्कि वह स्वास्थ्य एवं मनुष्योचित जीवन की जरूरतों के अनुरक्षण, साधारण आराम तथा अधिक महत्वपूर्ण विपत्तियों के प्रति कुछ सुरक्षा की भी व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान में निर्वाह-मजदूरी को इसी अर्थ में अपनाया गया है। उच्चतम न्यायालय ने भी मजदूरी सम्वन्धी मामलों में निर्वाह मजदूरी की इसी अवधारणा को ही अपनाया है।

निर्वाह-मजदूरी की उपर्युक्त धारणाओं से यह स्पष्ट है कि यह केवल श्रमिकों के भोजन, वस्त्र तथा निवास सम्बन्धी आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं करती, बल्कि उनके लिए अन्य सुख-सुविधाओं से युक्त जीवन-यापन की व्यवस्था भी करती है।

विभिन्न देशों के श्रमिकों के लिए ऊंचे स्तर के जीवन यापन के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं और सेवाओं में महत्वपूर्ण अन्तर होता है। इस कारण, इस सिद्धान्त के आधार पर निर्धारित की जाने वाली मजदूरी विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न होगी और उनका श्रमिकों के जीवन-स्तर पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय संविधान में राज्यनीति के निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत कहा गया है कि राज्य औद्योगिक एवं कृषक दोनों प्रकार के श्रमिकों को निर्वाह-मजदूरी दिलाने के लिए प्रयास करेगा। लेकिन, भारत में मान्य उचित मजदूरी समिति द्वारा दी गई निर्वाह-मजदूरी की परिभाषा इतने ऊंचे स्तर की है कि उसे आज भी भारतीय श्रमिकों को दिलाना सम्भव नहीं हो सका है। निर्वाह-मजदूरी भारतीय श्रमिकों के लिए एक लक्ष्य के रूप में रखा गया है, जिसके लिए उन्हें एक लम्बी अवधि तक प्रतीक्षा करनी होगी।

(2) उचित मजदूरी का सिद्धांतः-

मजदूरी के राजकीय निर्धारण में उचित मजदूरी के सिद्धान्त को भी व्यापक रूप से अपनाया गया है। उचित मजदूरी को मुख्यतः तीन अर्थो में प्रयुक्त किया जाता है। पहला, जब किसी स्थान-विशेष के विभिन्न उद्योगों में एक ही तरह के काम करने वाले श्रमिकों को समान मजदूरी मिलती हो तो उन्हें उचित मजदूरी कहते हैं। उदाहरणार्थ, अगर मुम्वई के विभिन्न सूती वस्त्र कारखानों के जुलाहों को समान मजदूरी दी जाती हो तो वह उचित मजदूरी कहलायेगी। दूसरे जब किसी उद्योग या औद्योगिक प्रतिष्ठान में समान स्तर के कार्य पर काम करने वाले श्रमिकों को समान मजदूरी मिलती हो, तो उसे भी उचित मजदूरी कहेंगे। उदाहरणस्वरूप, अगर यह समझा जाय कि किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत लिपिक और टंकण के कार्य समान स्तर के या समरूप हैं और इस कारण उन्हें समान मजदूरी मिलती हो, तो उसे भी उचित मजदूरी कहेंगे। तीसरे, जब कुशलता के विभिन्न पार्श्वों को ध्यान में रखकर मजदूरी के अन्तर को निर्धारित किया जाता हो, तो उसे भी उचित मजदूरी कहेंगे। इस तीसरे अर्थ में अकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की विभिन्न दरें निश्चित करना आवश्यक होता है।

भारत में उचित मजदूरी समिति ने उचित मजदूरी के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद उसकी नये ढंग से परिभाषा दी है जो निम्नलिखित है:-

''उचित मजदूरी की निचली सीमा न्यूनतम मजदूरी होगी तथा इसकी ऊपरी सीमा उद्योग की भुगतान-क्षमता पर आश्रित होगी।'' दोनों सीमाओं के बीच वास्तविक मजदूरी (क) श्रम की उत्पादकता, (ख) प्रचलित मजदूरी की दरों, (ग) राष्ट्रीय आय के स्तर तथा उसके वितरण, (घ) देश की अर्थ-व्यवस्था में उद्योग के स्थान पर आश्रित होगी।

भारत के कई विकसित उद्योगों में इस सिद्धान्त को ध्यान में रखकर मजदूरी निर्धारित की गई है। इस क्षेत्र में केन्द्रीय मजदूरी बोर्डो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

(3) उद्योग की भुगतान-क्षमता का सिद्धान्तः-

राजकीय अभिकरणों द्वारा मजदूरी के निर्धारण में उद्योग की भुगतान-क्षमता का आधार भी महत्वपूर्ण रहा है। इस सन्दर्भ में अधिकारियों या अभिकरणों को दो मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है- एक तो उद्योग के अर्थ तथा दूसरे भुगतान-क्षमता के मापन के सम्बन्ध में।

(क) उद्योग का अर्थ-

भुगतान-क्षमता के निर्धारण में 'उद्योग' को सामान्यतःतीन अर्थो में देखा जाता है- (1) किसी विशेष औद्योगिक इकाई की भुगतान क्षमता, (2) सारे देश में किसी उद्योग की भुगतान-क्षमता, तथा (3) देश के सभी उद्योगों की सामान्य-क्षमता। व्यावहारिक दृष्टिकोण से जब मजदूरी किसी विशेष औद्योगिक इकाई के लिए निर्धारित की जाती है वहां उस इकाई की ही भुगतान-क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। जहां मजदूरी उद्योग के स्तरपर निर्धारित होती हैं, वहां भुगतान क्षमता उस उद्योग के संदर्भ में ही निश्चित की जाती है। जिस उद्योग में कई इकाइयां होती हैं, वहां भुगतान-क्षमता के निर्धारण में क्षेत्रीय विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। किसी देश के सारे उद्योगों की सामान्य क्षमता को कभी-कभी ही ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है और वह भी राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण या मजदूरी सम्बन्धी व्यापक नीति बनाने के सिलसिले में।

(ख) भुगतान-क्षमता का मापन-

उद्योग की भुगतान-क्षमता के मापन के लिए अनेक मापदण्डों का सहारा लिया जाता है जैसे- (1) उद्योग की सम्पूर्ण उत्पादकता, (2) उत्पादित वस्तुओं के विक्रय मूल्य, (3) कच्चे माल की लागत, (4) अधिकांश नियोजकों द्वारा समस्त

मजदूरी की दरें, (5) प्रतियोगियों द्वारा निर्धारित मजदूरी की दरें, (6) व्यवसाय में लाभ या हानि (7) मजदूरी-निर्धारण क फलस्वरूप होने वाली संभावित बेरोजगारी की मात्रा, (8) उत्पादित वस्तुओं की मांग की लोच, (9) मजदूरी में वृद्धि के फलस्वरूप संगठन को अधिक कुशल बनाने की सम्भावना, तथा (10) मजदूरी-वृद्धि के फलस्वरूप श्रमिकों के कौशल में वृद्धि की सम्भावना। इनके अतिरिक्त उद्योग में लगी पूंजी, उद्योग के प्रति सरकार की नीति, निर्यात की स्थिति, आदि को भी ध्यान में रखा जाता है। इन विभिन्न मापदण्डों को सभी जगह एक ही तरह से प्रयोग में नहीं लाया जाता है। कभी-कभी उद्योग में होने वाले लाभ और हानि पर जोर दिया जाता है, तो कभी उत्पादकता पर। भुगतान-क्षमता के मापन के लिये मापदण्डों का चयन स्थिति-विशेष की मांगों को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारत में उच्चतम न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार भुगतान-क्षमता के निर्धारण में उत्पादित वस्तु की मांग की लोच, संगठन की संभावित कुशलता तथा मजदूरी बढ़ाने के फलस्वरूप श्रमिकों के कौशल में वृद्धि के आधारों को ध्यान में रखना आवश्यक है। लेकिन, व्यवहार में इन आधारों के अतिरिक्त अन्य आधारों के अतिरिक्त अन्य आधारों को भी ध्यान में रखा जाता है।

वैधानिक न्यूनतम मजदूरी

आज अनेक देशों में कानून के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है। कुछ देशों में सारे देश के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है। कई देशों में कुछ विशेष प्रकार के उद्योगों या नियोजकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए विशेष अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ग्रेट ब्रिटेन में मजदूरी परिषद् अधिनियम, 1959, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न राज्यों के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम।

कुछ देशों में विधि के अन्तर्गत ही विभिन्न उद्योगों या व्यवसायों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें निश्चित कर दी जाती हैं। लेकिन, अधिकांश देशों में अधिनियमों के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए तन्त्रों या अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था है। इन तन्त्रों में त्रिपक्षीय समितियों या निकायों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। उदाहरणार्थ, ग्रेट ब्रिटेन में मजदूरी परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत श्रम-मन्त्री को अधिकार दिया गया है कि वे उपयुक्त उद्योगों या व्यवसायों के लिए त्रिपक्षीय मजदूरी परिषदों का गठन करें। इन परिषदों की अनुशंसा के आधार पर विभिन्न उद्योगों या व्यवसायों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों की घोषणा राजकीय आदेशों द्वारा कर दी जाती है।

भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विभिन्न अनूसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करनेकी व्यवस्था है। अधिनियम की अनुसूची में कई प्रकार के नियोजन, उद्योग या आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं जैसे-कृषि, चावल मिल, दाल मिल, बीड़ी उद्योग, निर्माण कार्य, कालीन और शाल की बुनाई वाले प्रतिष्ठान, अभ्रक कारखाने, लाख उद्योग, आदि।

अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों को अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र में अनूसूचित उद्योगों या नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने और लागू करने और लागू करने का अधिकार है। अधिनियम के उपबन्धों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए दो तरीकों का उल्लेख किया गया है जिनमें किसी को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। पहले तरीके में सरकार किसी विशेष नियोजन के लिए सलाहकार समिति या अलग-अलग क्षेत्रों के लिए सलाहकार उप-समिति का गठन कर सकती है। ये समितियां त्रिपक्षीय होती हैं। समिति की अनुशंसा के आधार पर सरकार राजकीय गजट में न्यूनतम मजदूरी की दरों को प्रकाशित कर उन्हें लागू कर देती है। न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण की दूसरी विधि में सरकार बिना किसी पक्ष के परामर्श के स्वयं किसी अनुसूचित नियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों के प्रस्तावों को राजकीय गजट में प्रकाशित करती है और प्रभावित होने वाले पक्षों को निर्धारित समय के अन्दर अपने सुझाव या अपनी आपत्तियां देने का मौका देती है। इन प्रतिनिधित्वों को

ध्यान में रखकर सरकार न्यूनतम मजदूरी की दरों के सम्वन्ध में अन्तिम निर्णय लेती है और राजकीय गजट में प्रकाशित कर, उन्हें लागू करने की घोषणा करती है।

इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा विश्व के कई अन्य देशों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियमों के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है। वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के सम्वन्ध में एक विशेष बात यह है कि कई नियोजनों में उन्हें लागू करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई नियोजन या उद्योग देश भर में विखरे होते हैं और निरीक्षकों के लिए उनमें न्यूनतम मजदूरी दिलाना कठिन होता है। वैधानिक न्यूनतम मजदूरी की दरों को कृषि में लागू करने में विशेष कठिनाइयां होती हैं।

स्टोन क्रेशर श्रमिक अकुशल श्रमिक है। न केवल वे अकुशल हैं बल्कि वे असंगठित भी है। उनकी स्थिति भूमिहीन कृषकों से वहुत भिन्न नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से कृषि श्रमिकों की निम्न मजदूरी वस्तुतः घटती हुई वास्तविक मजदूरी की प्रवृत्ति को स्टोन क्रेशर श्रमिकों पर लागू किया जा सकता है। 23वें नेशनल सैम्पल सर्वे में कुछ राज्यों में खेतिहर मजदूरों की मजदूरी का आंकलन किया गया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार 1970-71 में सर्वाधिक मजदूरी पंजाब में 4.74 रुपये प्रतिदिन और सबसे कम मजदूरी मध्य प्रदेश में 1.11 रुपये प्रतिदिन थी। अन्य राज्यों की मजदूरी इन अधिकतम और न्यूनतम सीमाओं के भीतर थी तथा महिला खेतिहर मजदूरों की मजदूरी सभी राज्यों में पुरुषों की तुलना में कम थी।[7]

1974-75 में इन पुरुष श्रमिकों की दैनिक मजदूरी रुपये 4.24 थी। इन आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि इनकी मजदूरी में वृद्धि हुयी है। लेकिन मजदूरी में नाम मात्र की यह मौद्रिक वृद्धि बढ़े हुये मूल्यों में समा गई और वास्तविक वृद्धि लगभग शून्य हो गयी। तथ्य यह है कि अकुशल श्रमिक चाहे वे खेतिहर हों अथवा स्टोन क्रेशर श्रमिक, उनकी वास्तविक मजदूरी घटी है। राष्ट्रीय कृषि आयोग का विचार है कि पंजाब और केरल को छोड़कर अन्य राज्यों में खेतिहर

7- डॉ० बद्री विशाल त्रिपाठी : भारतीय अर्थव्यवस्था (नियोजन एवं विकास), किताब महल, इलहाबाद, 1999ए पृष्ठ 275

मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।[8] हाल के दशक में खेतिहर मजदूरों (अकुशल श्रमिक) की वास्तविक मजदूरी में बहुत कम वृद्धि हुई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में इन अकुशल कृषि श्रमिकों की वास्तविक आय (मजदूरी) में परिवर्तन की प्रवृत्ति का विवरण सारिणी 3.1 से दर्शित है।

सारणी संख्या 3.1

भारत में अकुशल कृषि श्रमिकों की वास्तविक आय में प्रतिशत परिवर्तन

वर्ष	आय में प्रतिशत परिवर्तन
1992-93	+5.21
1993-94	+5.61
1994-95	-0.39
1995-96	+0.72
1996-97	+1.64

स्रोत : भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण, 1997-98

इस सारणी के अनुक्रम में वर्ष 2001-02 में झांसी नगर की मजदूरी दर का अवलोकन सारिणी संख्या 3.2 द्वारा समीचीन होगा।

8- डॉ० बद्री विशाल त्रिपाठी : भारतीय अर्थव्यवस्था (नियोजन एवं विकास), किताब महल, इलहाबाद, 1999ए पृष्ठ 275

सारणी संख्या 3.2

झांसी नगर की मजदूरी दरें, 2001-02

माह/वर्ष	पेशा		
	अकुशल मजदूर	राज	वढ़ई
अप्रैल 2001	65.00	123.00	100.00
मई 2001	65.00	123.00	100.00
जून 2001	65.00	123.00	100.00
जुलाई 2001	65.00	123.00	100.00
अगस्त 2001	65.00	123.00	100.00
सितम्बर 2001	65.00	123.00	100.00
अक्टूबर 2001	65.00	123.00	100.00
नवम्बर 2001	65.00	123.00	100.00
दिसम्बर 2001	65.00	123.00	100.00
जनवरी 2002	65.00	123.00	100.00
फरवरी 2002	65.00	123.00	100.00
मार्च 2002	65.00	123.00	100.00
वार्षिक औसत 2001-02	65.00	123.00	100.00

स्रोत : राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 अर्थ एवं संख्या प्रभाग, झांसी।

सामाजार्थिक समीक्षा वर्ष 2001-02, पृ0 12

3.2 स्टोन क्रेशर श्रमिकों की मजदूरी वैभिन्य संरचना :-

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की मजदूरी संरचना की वैभिन्न इसकी मूल प्रवृत्ति है। यह मूल प्रवृत्ति तुलनात्मक रूप से निम्न स्तरीय मजदूरी के साथ संयोजित है। उल्लेखनीय है कि एक उपभोक्ता होने के नाते हम एक फर्म द्वारा उत्पादित मानक वस्तु का सामान्य भुगतान करते हैं। लेकिन मजदूरी मानव श्रम के लिए किया जाने वाला भुगतान है। लेकिन यह प्रायः विभेदित होती है। इस तथ्य के आधार पर यह विवेचित किया जा सकता है कि विभिन्न रोजगारों और व्यवसायों में मजदूरीगत वैभिन्य होते हैं। उल्लेखनीय है कि श्रमिकों द्वारा उत्पन्न वस्तु बाजारों में मजदूरीगत वैभिन्य जन्मित होते हैं। इसके अतिरिक्त मजदूरी दर में परिवर्तन के प्रति अलग-अलग किस्म के श्रमिक अलग-अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। दूसरे शब्दों में श्रम आपूर्ति की लोच व्यवित्तशः अन्तर रखती है। निश्चित ही यह कहा जा सकता है कि पुरुषों और महिला श्रमिकों की मजदूरियों में अंतर उनके श्रम आपूर्ति वक्र में सन्निहित है। इस प्रकार से व्यष्टि स्तर पर श्रम आपूर्ति वक्रों में भिन्नता के कारण मजदूरी वैभिन्य उत्पन्न होता है। अन्य कारकों में यह भी महत्वपूर्ण है कि श्रम में कितनी पूंजी विनियोजित की गयी है- अधिक अथवा कम। इस आधार पर भी मजदूरीगत भिन्नता की विवेचना की जा सकती है। श्रम में पूंजी विनियोजन के कारण श्रमिकों की कार्य कुशलता में भिन्नता आ जाती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कुशल श्रम की मजदूरी अधिक होगी और अकुशल श्रम की मजदूरी कम। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि मजदूरी का अंतराल श्रमिकों की गतिशीलता अथवा अगतिशीलता पर भी निर्भर है। यदि श्रमिक गतिशील हे तो उसे अधिक प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं और अगतिशील हैं तो स्वाभाविक रूप से कम प्रतिफल प्राप्त होगा। उदाहरणार्थ ग्रामीण श्रमिक यदि औद्योगिक केन्द्रों की ओर गतिशील होता है तो उसे अधिक मजदूरी प्राप्त होती है और यदि वह ग्राम अथवा कस्बे अथवा क्षेत्र में ही सीमित रहता है तो उसे कम मजदूरी प्राप्त होगी। इसी अनुक्रम में यह भी कहा जा सकता है कि संगठित श्रमिकों की मजदूरी अधिक और असंगठित श्रमिकों की मजदूरी कम होती है।

रैचेट प्रभाव (कैंची प्रभाव)

यह प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब एक आर्थिक चर का गुणांक मूल्य दूसरे आर्थिक चर के गुणांक मूल्य से समयान्तर मैं वैभिन्य प्रवृत्ति रखता है। झांसी जनपद के स्टोन क्रेशर श्रमिकों में कुशल एवं अकुशल श्रमिक दोनों कार्यरत हैं। कुशल श्रमिक प्रशिक्षित होते हैं। अनुभवगम्य समंकों के द्वारा यह अनुवीक्षित किया गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना से अद्यतन समयावधि तक कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की मौद्रिक मजदूरी में वैभिन्न प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है और दोनों प्रकार की मजदूरों की मजदूरी में एक विशेष प्रकार का प्रभाव ''रैचेट प्रभाव'' उत्पन्न हुआ है जिसे निम्न चित्र द्वारा दिखलाया जा सकता है।

चित्रसंख्या 3.2
रैचेट प्रभाव

उपरोक्त विवेचन के सापेक्ष लेफ्टविच का यह मत है कि श्रम संसाधनों में क्षैतिज एवं लम्बवत् अंतरालों के कारण मजदूरीगत वैभिन्य अस्तित्व में आता है। क्षैतिज अंतराल से उनका

तात्पर्य है कि श्रम स्वामित्व की मांग और पूर्ति की दशाओं में अंतर तथा लम्बवत् अंतराल से उनका मंतव्य है कि उस सापेक्षिक सरलता से जिसके अन्तर्गत श्रमिक वर्ग विभिन्न व्यवसायों में प्रविष्टि होते हैं।

झांसी जनपद में स्थित स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्यरत श्रमिकों में भी मजदूरीगत वैभिन्यता पायी जाती है। क्योंकि इस उद्योग में भी कुशल एवं अकुशल, शिक्षित एवं अशिक्षित प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित तथा महिला एवं पुरुष श्रमिक कार्य करते हैं जिस कारण उनकी कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में भी अन्तर पाया जाता है जो उनकी मजदूरीगत अन्तराल का मुख्य कारण है। अतः उपरोक्त विवेचन इस स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के सापेक्ष उपयोगी है क्यों कि इन श्रमिकों में भी मजदूरीगत वैभिन्यता पायी जाती है। झांसी जनपद में स्टोन क्रेशर श्रमिकों की मजदूरी की संरचनागत भिन्नता को सारणी संख्या 3.3 एवं 3.4 में दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि कुशल एवं अकुशल स्टोन क्रेशर श्रमिकों को मजदूरी की मात्रा में वर्ष 1992-93 से 2002-03 की दीर्घावधि में अन्तराल व्याप्त हैं। इस अन्तराल का विस्तार कुशल श्रमिकों के सन्दर्भ में रु0 60 से रु0 120 एवं अकुशल श्रमिकों के सन्दर्भ में रु0 40 से रु0 90 है। स्पष्ट रूप से कुशल श्रमिकों का भुगतान हमेशा ही अधिक है तथा अकुशल श्रमिकों का भुगतान हमेशा ही कम है। इसका यह भी तात्पर्य है कि कुशलता से मज़दूरी में अभिवृद्धि होती है। सारिणी संख्या 3.4 से यह भी स्पष्ट है कि स्टोन क्रेशर श्रमिकों में पुरुष एवं महिला श्रमिकों की मजदूरी दरों में स्थायी भिन्नता है। यह मजदूरी वैभिन्य संभवतः इस धारणा पर आधारित है कि पुरुष मजदूरों की तुलना में महिला श्रमिकों की कार्यकुशलता, उत्पादकता, उत्पादन-क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। यह धारणा स्त्री-शोषण का प्रतीक है और यह भी दर्शित करता है कि आज भी उद्यमशीलता पर पुरुष मूलक मानसिकता हावी है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में जनपद झांसी के स्टोन क्रेशर श्रमिकों की मजदूरीगत् प्रवृत्तियों के विश्लेषण हेतु मजदूरी के स्वरूपों एवं उनके प्रकारों का प्रकटीकरण अग्रदर्शित सारणियों द्वारा किया जा रहा है।

सारणी संख्या 3.3

श्रमिकों को प्राप्त होने वाले पुरस्कार का स्वरुप

क्र.स.	पुरस्कार का स्वरुप	प्रतिदर्श	समग्र का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	मात्र वेतन	72	36
2.	मात्र मजदूरी	116	58
3.	मजदूरी एवं वेतन दोनों	12	06
4.	आकस्मिक भुगतान	00	00
योग		200	100

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची,

उपरोक्त सारणी स्पष्ट करती है कि 58 प्रतिशत श्रमिक दैनिक मजदूरी प्राप्त करते हैं, 36 प्रतिशत श्रमिक वेतन प्राप्त करते हैं, जबकि 6 प्रतिशत श्रमिक मजदूरी एवं वेतन दोनों प्राप्त करते हैं। सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि स्टोन क्रेशर श्रमिकों को किसी भी प्रकार का आकस्मिक भुगतान नहीं किया जाता है।

3.3 भुगतान प्राप्त करने की विधियांः-

मजदूरी या वेतन श्रमिकों की आय का मुख्य आधार होता है। जो उनके दैनिक खर्च एवं जीवन यापन का मुख्य आधार होता है। यद्यपि कुछ श्रमिक ऐसे होते हैं जो आय के अन्य स्रोतों का भी सहारा लेते हैं लेकिन उनकी आय का मुख्य आधार उनकी मजदूरी ही होती है जो उन्हें विविध स्वरुपों में प्राप्त होती है जिसका वर्णन पिछले बिन्दु के अन्तर्गत किया जा चुका है। इस बिन्दु के अन्तर्गत इस तथ्य की जांच सर्वेक्षण अनुसूची के आधार पर की जायेगी कि श्रमिकों को जो भुगतान मजदूरी या वेतन के रूप में किया जाता है। वह नियमित होता है या नहीं, इस तथ्य का विश्लेषण सारणी 3.4 में किया गया है, जो अग्र है।

चित्र संख्या 3.3

श्रमिकों को प्राप्त होने वाले पुरस्कार का स्वरूप

सारणी संख्या 3.2

श्रमिकों के भुगतान प्राप्त की प्रवृत्ति

क्र.स.	कार्यशुरु करने का समय	प्रतिदर्श	समग्र का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	नियमित	140	70
2.	अनियमित	60	30
योग		200	100

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त सारणी स्पष्ट करती है कि स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्यरत श्रमिकों में 70 प्रतिशत श्रमिकों को नियमित भुगतान प्राप्त होता है जबकि 30 प्रतिशत श्रमिकों का कहना है कि उन्हें नियमित भुगतान प्राप्त नहीं होता है।

3.4 श्रमिकों को प्राप्त होने वाले ऋणः-

श्रमिक वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जिसकी आय एवं व्यय का अन्तराल सदैव बना रहता है। अधिकतर होता यही है कि श्रमिक वर्ग का व्यय उसकी आय से अधिक हो जाता है। यही प्रवृत्ति झांसी जनपद के स्टोन-क्रेशर श्रमिकों में भी सर्वेक्षण के दौरान देखने को मिलती है। इस आय व्यय अन्तराल के कई कारण हैं जैसे पारिवारिक सदस्यों की अधिक संख्या, आवश्यकता के अनुरुप आय का न होना, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ, श्रमिकों की उपभोग प्रवृत्ति का अधिक होना आदि। इस आय-व्यय अन्तराल के कारण अधिकतर श्रमिकों को ऋण का सहारा लेना पड़ता है जिसके लिए वे अपने मालिकों को अधिक उपयुक्त समझते हैं। अग्र सारणी में इसी तथ्य की जांच की जायेगी कि श्रमिकों को आवश्यकता पड़ने पर अपने मालिकों से अग्रिम ऋण प्राप्त होता है या नहीं।

चित्र संख्या 3.4

श्रमिकों के भुगतान प्राप्ति की प्रवृत्ति

सारणी संख्या 3.5

स्टोन क्रेशर श्रमिकों को प्राप्त होने वाले ऋण की प्रवृत्ति

क्र.स.	ऋण की प्रवृत्ति	प्रतिदर्श	समग्र का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	हां	136	68
2.	नहीं	64	32
योग		200	100

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त सारणी स्पष्ट करती है कि स्टोन क्रेशर में लगे श्रमिकों में 68 प्रतिशत श्रमिकों का कहना है कि उनको आवश्यकता पड़ने पर अपने मालिकों से अग्रिम ऋण की प्राप्ति हो जाती है जो स्टोन क्रेशर मालिकों के उदार व्यक्तित्व का परिचायक है जबकि 32 प्रतिशत श्रमिकों का कहना है कि उन्हें आवश्यकता पड़ने पर अपने मालिकों से अग्रिम ऋण की प्राप्ति नहीं होती है जो उनके अनुदार व्यक्तित्व का परिचायक है। लेकिन समग्र दृष्टि से यदि देखा जाये तो क्रेशर अपने श्रमिकों के लिए उदार व्यक्तित्व रखते है।

3.5 श्रमिकों को प्राप्त होने वाला चिकित्सा व्यय :-

इस बिन्दु के अन्तर्गत इस तथ्य की जांच की जायेगी कि श्रमिकों को आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा व्यय प्राप्त होता है कि नहीं।

चित्र संख्या 3.5

श्रमिकों को प्राप्त होने वाले ऋण की प्रवृत्ति

सारणी संख्या 3.6

मालिकों द्वारा प्राप्त होने वाला चिकित्सा व्यय

क्र.स.	चिकित्सा व्यय	प्रतिदर्श	समग्र का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	हां	112	56
2.	नहीं	88	44
योग		200	100

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची।

उपरोक्त सारणी द्वारा यह स्पष्ट है कि 44 प्रतिशत श्रमिकों को चिकित्सा व्यय अपने मालिकों द्वारा प्राप्त नहीं होता है जबकि 56 प्रतिशत श्रमिकों को कहना है कि उन्हें उनके मालिकों द्वारा चिकित्सा व्यय प्राप्त होता हैं जो कि उन्हें उनके मालिकों द्वारा चिकित्सा व्यय प्राप्त होता है जो कि एक अच्छा संकेत है।

3.6 श्रमिकों द्वारा मजदूरी वृद्धि हेतु किये जाने वाले प्रयासः-

इसके अन्तर्गत इस तथ्य का विश्लेषण किया जायेगा कि स्टोन क्रेशर में कार्य करने वाले श्रमिक अपनी मजदूरी या आय में वृद्धि हेतु प्रयास कर रहे हैं कि नहीं जो अग्र सारणी द्वारा स्पष्ट है।

चित्र संख्या 3.6

श्रमिकों को प्राप्त होने वाला चिकित्सा व्यय

सारणी संख्या 3.7

मजदूरी वृद्धि हेतु श्रमिकों द्वारा किये गये प्रयास

क्र.स.	श्रमिकों द्वारा प्रयास	प्रतिदर्श	समग्र का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	हां	188	94
2.	नहीं	12	06
योग		200	100

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि स्टोन क्रेशर श्रमिको के 94 प्रतिशत वर्ग द्वारा अपनी आय वृद्धि हेतु प्रयास किये जा रहे हैं जबकि 6 प्रतिशत ऐसे श्रमिक भी हैं जो अपनी मजदूरी में वृद्धि हेतु कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं।

3.7 श्रमिकों की पत्नियों द्वारा कार्य करनाः-

इस विन्दु के अन्तर्गत इस तथ्य का पता लगाने की कोशिश की गयी है कि स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की पत्नियों उनके साथ कार्य करती हैं अथवा नहीं। जो अग्र सारणी द्वारा स्पष्ट है-

सारणी संख्या 3.8

श्रमिकों की पत्नियों द्वारा कार्य करना

क्र.स.	पत्नियों की स्थिति	प्रतिदर्श	समग्र का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	हां	80	40
2.	नहीं	120	60
योग		200	100

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 60 प्रतिशत श्रमिक ऐसे हैं जिनकी पत्नियां उनके साथ कार्य नहीं करती हैं जबकि 40 प्रतिशत श्रमिक ऐसे हैं जिनकी पत्नियां उनके साथ स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्य करती हैं ये तथ्य स्त्रियों की कार्य सहभागिता को स्पष्ट करता है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जनपद झांसी में स्थित स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के संगठित न होने के कारण उनमें सामूहिक सौदेबाजी का आभाव पाया जाता हैं जिसका परिणाम यह है कि उनके हितार्थ किसी भी कल्याणकारी योजना का पर्याप्त क्रियान्वयन सेवायोजकों द्वारा नहीं किया जाता है। श्रमिकों को प्राप्त होने वाली मजदूरी न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम के आधार पर न दी जाकर उससे कम दर पर दी जाती है जो इन श्रमिकों के सामूहिक सौदेवाजी के अभाव का ही परिणाम है। शासन द्वारा समान कार्य के लिए समान मजदूरी का नियम है, लेकिन सेवायोजकों द्वारा इसका खुला उल्लघंन किया जाता है क्योंकि पुरुष श्रमिक महिला श्रमिक एवं बाल श्रमिक सभी को अलग- अलग दर से भुगतान किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि श्रमिकों का शोषण, अन्य क्षेत्रों के समान स्टोन क्रेशर उद्योग में भी जारी है जो उनके असंगठित होने का परिणाम है। साथ ही, किसी एक मुश्त मजदूरीगत प्रवृत्ति का अवलोकन नहीं पाया गया है सिवा इसके कि प्रचलित कीमतों के अनुरूप इनकी औसत मजदूरी दर निम्नस्तरीय, वैभिन्यपूर्ण, अनियमित, ठेकेदारों द्वारा निर्धारित, जीवननिर्वाह योग्य एवं मौसमी परिवर्तन वाली हैं।

चित्र संख्या 3.7

श्रमिकों की पत्नियों द्वारा कार्य सहभागिता

चतुर्थ अध्याय

श्रमिकों की उपभोगगत प्रवृत्तियाँ

"The advantage of economic growth is not that wealth increases happiness but that it increases the range of human choice."

❑ W. Arthur Lewis

प्रस्तुत अध्याय में जनपद झांसी में स्थित स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की व्यय या उपभोगगत् प्रवृत्तियों का विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन किया जायेगा।

आर्थिक विश्लेषण के अन्तर्गत व्यय-संरचना या उपभोग- संरचना की भी मीमांसा पूर्ण तर्क संगत एवं समीचीन है। चाहे व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण हो अथवा समष्टि आर्थिक विश्लेषण, दोनों में ही विभिन्न आर्थिक चरों में न केवल प्रकार्यात्मक सम्बन्धों के एक तन्तु जाल का अध्ययन किया जाता है बल्कि उनके चरात्मक ढांचे का भी अध्ययन किया जाता है और इसी चरात्मक ढांचे को ही संरचना कहते हैं।

जहां तक उपभोग संरचना के प्रत्यय का प्रश्न हैं इसकी संरचना व्यष्टि और समष्टि दोनों ही प्रकार की हो सकती है लेकिन प्रस्तुत शोध अध्ययन व्यष्टि प्रकृति का है अतः उपभोग संरचना से आशय व्यय के विभिन्न प्रकारों के योगीकरण अथवा अध्ययन में प्रयुक्त स्टोन क्रेशर श्रमिकों के द्वारा किये जाने वाले सभी प्रकार के व्ययों के सकल ढांचे से है।

व्यय संरचना के संगठक चरों के स्पष्टीकरण करने के पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि व्यय समीकरण को ज्ञात किया जाए।

व्यय का समीकरणः-

स्टोन क्रेशर श्रमिक अपनी मासिक आय का उपयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उपभोग में करते हैं। उनके विभिन्न प्रकार के व्यय चरों का योगीकरण ही कुल व्यय संरचना का निर्माण करता है।

समय पश्चता को ध्यान में रखते हुए स्टोन क्रेशर श्रमिकों की व्यय संरचना को एक समीकरण के रुप में निम्न प्रकार से रूपायित किया जा सकता है।

EF=EEF+EEF+EDEF+CVEF+MEF+JEF+AEF+IE+EEF

जहां EF = वर्तमान समय का सकल व्यय

EEF = सामान्य उपभोग व्यय

EEF = विलासिता गत व्यय

EDEF = शिक्षा परक व्यय

YEF = मनोरंजन व्यय

MEF = चिकित्सा व्यय

JEF = यात्रा परक व्यय

AEF = व्यसनगत व्यय

JEF = आकस्मिक लाभगत व्यय

EEF = अन्य व्यय

उपर्युक्त समीकरण से स्पष्ट है कि उपभोक्ता यथा स्टोन क्रेशर श्रमिकों का एक समय बिन्दु पर किया गया सकल व्यय विभिन्न मदों का योग है। ध्यातव्य है कि उपभोक्ता यथा स्टोन क्रेशर श्रमिकों का वर्तमान सकल व्यय वर्तमान आय का ही फलन नहीं वरन पिछले समय में अर्जित आय का भी फलन है। इस तथ्य को समीकरण के रूप में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है।

FF=F(YF+YF-1+YF-2+YF-3+..........+YF-n) =

(EEF+EEF+EDEF+MEF+ JEF+AEF+IEF+EEF)

जहां,	EF	=	एक समय बिन्दु पर सकल व्यय
	YF	=	वर्तमान समय की आय
	YF-1, YF-2, YF-3	=	पिछले समय बिन्दुओं की आय
	YF-n	=	पिछले अनंत समय कर आय

4.1 श्रमिकों के उपभोग व्यय का वर्गीकरणः-

स्टोन क्रेशर श्रमिकों का सकल व्यय निम्नांकित संगठक चरों पर आधारित है।

सारणी संख्या 4.1

स्टोन क्रेशर श्रमिकों के सामान्य उपभोग की वस्तुएं

क्रं.स.	सामान्य उपभोग की वस्तुएं	प्रतिदर्श	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	खाद्यान्न (गेहूं, दाल, चावल आदि)	200	100
2.	वस्त्र	200	100
3.	सब्जी	200	100
4.	मसाला	200	100
5.	दूध	72	36
6.	तेल	200	100
7.	फल एवं मेवे	44	22
8.	मक्खन (घी)	64	32
9.	चाय	168	84
10.	साबुन	156	78
11.	ईधन	72	36
12.	मांस, मछली	84	42

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

चित्र संख्या 4.1

स्टोन क्रेशर श्रमिकों के सामान्य उपभोग की वस्तुएं

सारणी संख्या, 4.1 स्पष्ट करती है कि सम्पूर्ण श्रमिक खाद्यान्न (गेहूं, दाल, चावल) आदि, वस्त्र, सब्जी, मसाला तथा तेल का उपभोग करते हैं। इसी प्रकार 36 प्रतिशत श्रमिक दूध, 22 प्रतिशत श्रमिक फल एवं मेवे, 32 प्रतिशत श्रमिक मक्खन (घी), 84 प्रतिशत श्रमिक चाय, 78 प्रतिशत श्रमिक साबुन, 36 प्रतिशत श्रमिक ईधन एवं 42 प्रतिशत श्रमिक मांस व मछली का उपभोग करते हैं।

4.2 सामान्य उपभोग व्यय की वस्तुएंः-

झांसी जनपद के स्टोन क्रेशर श्रमिकों का उपभोग व्यय उपभोग किये जाने वाली वस्तुओं पर आधारित है। इस तथ्य को सारणी संख्या 4.2 द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या 4.2

स्टोन क्रेशर श्रमिकों के सामान्य उपभोग व्यय का विवरण

क्र.स.	आयवर्ग	प्रतिदर्श	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	100-150	16	08
2.	150-200	28	14
3.	200-250	32	16
4.	250-300	64	32
5.	300-350	28	14
6.	350-400	16	08
7.	400-450	08	04
8.	450-500	08	04
योग		200	100

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची,

चित्र संख्या 4.2

स्टोन क्रेशर श्रमिकों के सामान्य उपभोग व्यय का विवरण

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 8 प्रतिशत श्रमिक अपनी मजदूरीगत आय का 100 रूपये से 150 रु0 के मध्य, 14 प्रतिशत श्रमिक 150 रु0 से 200 रु0 के मध्य, 16 प्रतिशत 200 रु0 से 250 रु0 के मध्य, 22 प्रतिशत श्रमिक 300 रु0 350 रु0 के मध्य, 8 प्रतिशत श्रमिक 350 रु0 से 400 रु0 के मध्य, 4 प्रतिशत श्रमिक 400 रु0 से 450 रु0 के मध्य एवं 5 प्रतिशत श्रमिक 450 रु0 से 500 रु0 के मध्य सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर व्यय करते हैं।

4.3 स्टोन क्रेशर श्रमिकों का आवास पर किया गया व्ययः-

स्टोन क्रेशर श्रमिकों में प्रत्येक श्रमिक के पास अपना मकान नहीं है। कुछ श्रमिक तो स्टोन क्रेशर के पास ही झुग्गी बनाकर रहते हैं एवं कुछ श्रमिकों के पास स्वयं का आवास है जबकि अन्य श्रमिकों को रहने के लिए किराये पर मकान लेना पड़ता है। श्रमिकों द्वारा आवास पर किये गये व्यय को सारणी संख्या 4.3 के द्वारा दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 4.3

स्टोन क्रेशर श्रमिकों का आवास पर किया गया व्यय

क्र.स.	व्ययवर्ग	प्रतिदर्श	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	50-100	28	14
2.	100-150	20	10
3.	150-200	16	08
4.	200-250	12	06
5.	250-300	04	02
योग		80	40

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपर्युक्त सारणी स्पष्ट करती है कि 40 प्रतिशत श्रमिकों के पास मकान नहीं है और

चित्र संख्या 4.3

स्टोन क्रेशर श्रमिकों का आवास पर किया गया व्यय

किराया व्यय राशि वर्ग

वे किराये पर निवास करते हैं। जबकि 60 प्रतिशत श्रमिकों के पास रहने की व्यवस्था है। अतः उनका आवास व्यय शून्य है। सारणी से स्पष्ट है कि 14 प्रतिशत श्रमिक 50 से 100 रु0 के मध्य, 10 प्रतिशत श्रमिक 100 से 150 रु0 के मध्य, 8 प्रतिशत श्रमिक 150-200रु0 के मध्य 6 प्रतिशत श्रमिक 200 रु0 250 रु0 के मध्य एवं 2 प्रतिशत श्रमिक 250 रु0 से 300 रु0 के मध्य किराये पर रहते हैं।

4.4 स्टोन क्रेशर श्रमिकों का विलासितागत वस्तुओं का वर्गीकरण:-

आज के इस प्रौद्योगिक एवं आधुनिक युग में विलासितागत वस्तुओं का उपभोग करना एक फैशन हो गया है तथा इनका उपभोग आज चरमोत्कर्ष पर है। परन्तु श्रमिक वर्ग की क्रय शक्ति इतनी अधिक क्षीण प्रकृति की है कि वह अनेक प्रकार की विलसिता की वस्तुओं को क्रय करना तो दूर उनके प्रति सोचते तक नहीं है। प्रस्तुत शोध-अध्ययन में केवल उन्हीं वस्तुओं का चयन किया गया है जिनका प्रयोग श्रमिक वर्ग द्वारा होता है।

सारणी संख्या 4.4

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की विलासितागत वस्तुएं

क्र.स.	वस्तुएं	प्रतिदर्श	समग्र का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	रेडियो एवं ट्रांजिस्टर	84	42
2.	पंखा	20	10
3.	फर्नीचर	08	04
योग		112	56

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 42 प्रतिशत श्रमिक रेडियो एवं ट्रांजिस्टर, 10 प्रतिशत श्रमिक पंखा एवं 4 प्रतिशत श्रमिक फर्नीचर का उपयोग करते हैं इस प्रकार से स्पष्ट है कि स्टोन क्रेशर श्रमिकों द्वारा सबसे अधिक रेडियो एवं ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है।

चित्र संख्या 4.4

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की विलासितागत वस्तुएं

4.5 स्टोन केशर श्रमिकों का विलासितागत व्ययः-

स्टोन क्रेशर श्रमिकों के विलासितागत व्यय को अग्र सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है-

सारणी संख्या 4.5

स्टोन केशर श्रमिकों का विलासितागत व्यय

क्र.सं.	व्यय वर्ग	प्रतिदर्श संख्या	प्रतिशत
1.	2	3	4
1.	25-50	16	08
2.	50-75	32	16
3.	75-100	20	10
4.	100-125	08	04
5.	125-150	08	04
6.	150-175	16	08
7.	175-200	04	02
योग		104	52
अन्तराल		96	48

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 8 प्रतिशत श्रमिक 25 रु0 से 50 रु0 के मध्य 16 प्रतिशत श्रमिक 50 रु0 से 75 रु0 के मध्य, 10 प्रतिशत श्रमिक 75 रु0 से 100 रु0 के मध्य, 4 प्रतिशत श्रमिक 100 रु0 से 125 रु0 के मध्य, 4 प्रतिशत श्रमिक 125 रु0 से 150 रु0 के मध्य, 8 प्रतिशत श्रमिक 150 रु0 से 175 रु0 के मध्य एवं 2 प्रतिशत श्रमिक 175 रु0 से 200 रु0 के मध्य विलासिता सम्बन्धी वस्तुओं पर व्यय करते हैं। सारणी से स्पष्ट है कि श्रमिक अपनी आय का नाम मात्र भाग ही विलासिता की वस्तुओं में व्यय करता है।

चित्र संख्या 4.5

स्टोन क्रेशर श्रमिकों का विलासितागत व्यय

4.6 स्टोन क्रेशर श्रमिकों का मनोरंजन परक व्ययः-

ध्यातव्य है कि स्टोन क्रेशर श्रमिक निम्न आय-वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः मनोरंजन पर व्यय की जाने वाली राशि अत्यन्त न्यून स्तर की है। प्रस्तुत अध्ययन में मनोरंजन व्यय के अन्तर्गत केवल चलचित्र साधन को ही सम्मिलित किया गया है। स्टोन क्रेशर श्रमिकों द्वारा मनोरंजन पर किये गये व्यय को अग्र सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 4.6

स्टोन क्रेशर श्रमिकों का मनोरंजन परक व्यय

क्र.स.	व्ययवर्ग	प्रतिदर्श	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0-25	28	14
2.	25-50	60	30
3.	50-75	24	12
4.	75-100	16	08
5.	100-125	08	04
योग		136	68
अन्तराल		64	32

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 14 प्रतिशत श्रमिक 0-25 रु० तक, 30 प्रतिशत श्रमिक 25 रु० से 50 रु० तक, 12 प्रतिशत श्रमिक 50 रु० से 75 रु० तक, 8 प्रतिशत श्रमिक 75 रु० से 100 रु० तक तथा 4 प्रतिशत श्रमिक 100 रु० से 125 रु० के मध्य मनोरंजन पर व्यय करते हैं।

4.7 स्टोन क्रेशर श्रमिकों का शिक्षा परक व्ययः-

वर्तमान समय में शिक्षा जीवन का अनिवार्य अंग हैं लेकिन स्टोन श्रमिक शिक्षा पर बहुत

चित्र संख्या 4.6

स्टोन क्रेशर श्रमिकों का मनोरंजन पर व्यय

ही कम व्यय करते हैं। वस्तुतः बच्चों की शिक्षा पर व्यय परिवार में बच्चों की संख्या तथा उनके अध्ययन के स्तर पर निर्भर करता है। इसलिए शिक्षा परक व्यय के अन्तर्गत वह श्रमिक जिनके परिवार में बच्चे नहीं है अथवा वह श्रमिक जो अविवाहित हैं। उनकी शिक्षापरक राशि शून्य है। इसके साथ ही क्योंकि श्रमिक वर्ग अशिक्षा और पिछड़ेपन से पोषित हैं। अतः उनका ध्यान बच्चों की शिक्षा पर नहीं जाता है।

स्टोन क्रेशर श्रमिकों के शिक्षा परक व्यय को अग्रांकित सारणी के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या 4.7

स्टोन क्रेशर श्रमिकों का शिक्षा परक व्यय

क्र.स.	व्ययवर्ग	प्रतिदर्श	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	10-30	68	34
2.	30-50	08	04
3.	50-70	08	04
योग		84	42
अन्तराल		116	58

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 34 प्रतिशत श्रमिक 10 रु0 से 30 रु0 के मध्य, 4 प्रतिशत श्रमिक 30 रु0 से 50 के मध्य, एवं 4 प्रतिशत श्रमिक 50 रु0 से 70 रु0 के मध्य शिक्षा पर व्यय करते है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि केवल 42 प्रतिशत श्रमिक ही शिक्षा पर व्यय करते हैं जबकि 58 प्रतिशत श्रमिकों का शिक्षा परक व्यय शून्य है।

4.8 स्टोन क्रेशर श्रमिकों का चिकित्सा परक व्ययः-

स्टोन क्रेशर श्रमिकों के चिकित्सा परक व्यय को अग्र सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है।

चित्र संख्या 4.7

स्टोन क्रेशर श्रमिकों का शिक्षा परक व्यय

सारणी संख्या 4.8

स्टोन क्रेशर श्रमिकों का चिकित्सा परक व्यय

क्र.स.	व्ययवर्ग	प्रतिदर्श	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0-25	64	32
2.	25-50	12	06
3.	50-75	08	04
4.	75-100	04	02
5.	100-125	04	02
योग		92	46
अन्तराल		108	54

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 32 प्रतिशत 0 रु0 से 25 रु0 के मध्य, 6 प्रतिशत श्रमिक 25 रु0 से 50 रु0 के मध्य, 4 प्रतिशत श्रमिक 50 रु0 से 75 रु0 के मध्य, 2 प्रतिशत श्रमिक 75 रु0 से 100 रु0 के मध्य तथा 2 प्रतिशत श्रमिक 100 रु0 से 125 रु0 के मध्य चिकित्सा पर व्यय करते हैं। इस प्रकार से कुल 46 प्रतिशत श्रमिक ही चिकित्सा पर व्यय करते हैं। जबकि 54 प्रतिशत श्रमिकों का चिकित्सा परक व्यय शून्य है।

4.9 स्टोन क्रेशर श्रमिकों का यातायात परक व्ययः-

स्टोन क्रेशर श्रमिकों के सर्वेक्षण द्वारा इस तथ्य का खुलासा हुआ है कि श्रमिकों द्वारा यातायात पर किया गया व्यय अत्यन्त ही कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि स्टोन क्रेशर श्रमिक शारीरिक श्रम में इतना अधिक व्यस्त रहते हैं कि उनको यातायात के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। स्टोन क्रेशर में कार्य करने के पश्चात कुछ श्रमिक अपनी मजदूरी में सामान्य वृद्धि

चित्र संख्या 4.8

स्टोन क्रेशर श्रमिकों का चिकित्सा परक व्यय

करने के लिए पूर्व निश्चित अन्य स्रोतों का आश्रय लेते हैं फलतः वे एक निश्चित परिधि में अर्न्तनिहित हो जाते हैं और यातायात विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही निश्चित हो पाता है। श्रमिकों के यातायात सम्बन्धी व्यय को अग्र सारणी द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या 4.9

स्टोन क्रेशर श्रमिकों का यातायात परक व्यय

क्र.स.	व्यय वर्ग	प्रतिदर्श	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	25-50	60	30
2.	50-75	16	08
3.	75-100	04	02
योग		80	40
अन्तराल		120	60

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 30 प्रतिशत श्रमिक 25 रु0 से 50 रु0 के मध्य, 8 प्रतिशत श्रमिक 50 रु0 से 75 रु0 के मध्य एवं 2 प्रतिशत श्रमिक 75 रु0 से 100 रु0 के मध्य यातायात पर व्यय करते हैं। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल 40 प्रतिशत श्रमिक ही यातायात पर व्यय करते हैं जबकि 60 प्रतिशत श्रमिकों का यातायात परक व्यय शून्य है।

4.10 स्टोन क्रेशर श्रमिकों का मादक द्रव्यों पर व्यय अथवा व्यसनगत व्यय:-

झांसी जनपद में स्टोन क्रेशर श्रमिकों में मादक द्रव्यों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। स्टोन क्रेशर श्रमिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन किया जाता है। स्टोन क्रेशर श्रमिकों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले मादक द्रव्यों को अग्र सारणी द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

चित्र संख्या 4.9

स्टोन क्रेशर श्रमिकों का यातायात परक व्यय

सारणी संख्या 4.10

स्टोन क्रेशर श्रमिकों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले मादक द्रव्यों का वर्गीकरण

क्र.स.	मादक द्रव्य	प्रतिदर्श	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	पान-सुपाड़ी तम्बाकू	156	78
2.	बीड़ी-सिगरेट	136	68
3.	शराब-अफीम-भांग-गांजा	76	38

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त सारणी इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि 78 प्रतिशत श्रमिक पान, सुपाड़ी, तम्बाकू, 68 प्रतिशत श्रमिक बीड़ी, सिगरेट एवं 38 प्रतिशत शराब अफीम, भांग, गांजा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त सारणी स्पष्ट करती है कि स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्यरत श्रमिकों द्वारा सर्वाधिक उपयोग पान, सुपाड़ी, तम्बाकू का किया जाता है।

स्टोन क्रेशर श्रमिकों द्वारा मादक पदार्थों पर किये जाने वाले व्यय को अग्र-सारणी द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

चित्र संख्या 4.10

स्टोन क्रेशर श्रमिकों द्वारा मादक पदार्थों पर व्यय

व्यय वर्ग

सारणी संख्या 4.11

स्टोन क्रेशर श्रमिकों द्वारा मादक द्रव्यों पर व्यय अथवा व्यसनगत व्यय

क्र.स.	व्ययवर्ग	प्रतिदर्श	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0-20	28	14
2.	20-40	44	22
3.	40-60	60	30
4.	60-80	12	06
5.	80-100	04	02
6.	100-120	04	02
7.	120-130	08	04
योग		160	80
अन्तराल		40	20

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 0 रु0 से 20 रु0 के मध्य 14 प्रतिशत, 20 रु0 से 40 रु0 के मध्य 22 प्रतिशत, 40 से 60 रु0 के मध्य 80 प्रतिशत, 60रु0 से 80 रु0 के मध्य 6 प्रतिशत, 80 रु0 से 100 रु0 के मध्य 2 प्रतिशत, 100 रु0 से 120 रु0 के मध्य 2 प्रतिशत तथा 120 रु0 से 140 रु के मध्य 4 प्रतिशत श्रमिक व्यय करते हैं। सारणी से इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि 80 प्रतिशत श्रमिकों द्वारा ही मादक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। जबकि अन्य 20 प्रतिशत श्रमिकों द्वारा मादक द्रव्यों का प्रयोग नहीं किया जाता है।

4.11 स्टोन क्रेशर श्रमिकों का आकस्मिक लाभगत व्ययः-

स्टोन क्रेशर श्रमिकों द्वारा आकस्मिक लाभ हेतु लाटरी के टिकटों पर होने वाला व्यय अत्यन्त ही कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकांश श्रमिकों को लाटरी टिकट इत्यादि

जैसे आकस्मिक लाभ हेतु साधनों का ज्ञान नहीं होता है। इस तथ्य को अग्र सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है-

सारणी संख्या 4.12

स्टोन क्रेशर श्रमिकों का आकस्मिक लाभगत व्यय

क्र.स.	व्ययवर्ग	प्रतिदर्श	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0-10	32	16
2.	10-20	24	12
3.	20-30	08	04
4.	30-40	04	02
योग		68	34
अन्तराल		132	66

स्रोत- साक्षात्कार अनुसूची

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 16 प्रतिशत श्रमिक 0 रु0 से 10 रु0 के मध्य, 12 प्रतिशत श्रमिक 10 रु0 से 20 रु0 के मध्य, 4 प्रतिशत श्रमिक 20 रु0 से 30 रु0 के मध्य, तथा 2 प्रतिशत श्रमिक 30 रु0 से 40 रु0 के मध्य आकस्मिक लाभ हेतु व्यय करते हैं।

प्रस्तुत अध्याय चतुर्थ में गत पृष्ठों पर दिये गये विश्लेषण के द्वारा स्टोन क्रेशर श्रमिकों की उपभोग संरचना का विशद वर्णन किया गया है। विश्लेषण हमें यह दर्शाता हे कि एक श्रमिक अपनी सीमित आय द्वारा अपने विभिन्न व्ययों को किस प्रकार समायोजित करके अपना जीवन व्यतीत करता है।

4.12 श्रमिकों का उपभोग फलनः-

(अ) उपभोग फलन का अर्थः-

उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति आय और उपभोग की बीच व्यावहारिक सम्बन्ध है।

चित्र संख्या 4.11

स्टोन क्रेशर श्रमिकों का आकस्मिक लाभगत व्यय

यह "कुल उपभोग तथा समस्त राष्ट्रीय आय, इन दो समूहों के बीच फलनात्मक सम्बन्ध है।" प्रतीकात्मक रूप से इस सम्वन्ध को यों प्रकट किया जाता है।

$$c = f(y)$$

जहां c = वास्तविक कुल उपभोग व्यय,

y = कुल वास्तविक आय

f = फलनात्मक सम्बन्ध

इस प्रकार उपभोग c, फलन f तथा आय y के बीच फलनात्मक सम्बन्ध को प्रकट करता है, जहां c निर्भर चर है और y एक स्वतन्त्र चर है अर्थात c को निर्धारित y करता है। यह सम्बन्ध इस धारणा पर आधारित है कि अन्य बातें सामान्य रहती हैं, इसलिए केवल आय उपयोग संबध पर ही विचार किया जाता है और उपभोग पर पड़ने वाले सभी प्रभावों को स्थिर मान लिया जाता है।

वास्तव में उपभोग प्रवृत्ति अथवा उपभोग फलन आय के विभिन्न स्तरों के अनुरुप उपभोग व्यय की विविध मात्राओं की अनुसूची भी जा रही है जो अग्र पृष्ठ पर है-

सारणी संख्या 4.13

उपभोग प्रवृत्ति की अनुसूची (काल्पनिक)

आय (y)	उपभोग (c) (करोड़ रुपये में)
200	220
300	300
400	380
500	460
600	540
700	620

उपर्युक्त पृष्ठ में दी गयी सारणी में पहला कालम आय के विभिन्न स्तरों को प्रकट करता है। दूसरा कालम प्रत्येक आय स्तर के सापेक्ष उपभोग व्यय को प्रकट करता है। पूरी सारणी

आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग व्यय के विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित करती है और इसे 'उपभोग प्रवृत्ति' या उपभोग फलन कहा जाता है।

सारणी प्रकट करती है कि आय के बढ़ने के साथ-साथ उपभोग व्यय में भी वृद्धि होती है। उपभोग और आय सकारात्मक रूप से सह-सम्बन्धित है। सारणी में यह देखा जा सकता है कि आय के प्रत्येक 100 करोड़ की वृद्धि के साथ उपभोग व्यय में 80 करोड़ रुपये की वृद्धि होती है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि अल्पकाल में उपभोग प्रवृत्ति स्थित रहती है।

उपभोग फलन का रेखाचित्रीय विश्लेषण :-

चित्र संख्या 4.12

रेखीय उपभोग फलन

उपर्युक्त चित्र में आय को क्षैतिज अक्ष पर और उपभोग को अनुलम्ब अक्ष पर मापा गया है। 45° पर उठने वाली रेखा एकता रेखा है, जहां सब स्तरों पर आय तथा उपभोग बराबर है। वक्र AC रेखीय उपभोग फलन है, जो इस धारणा पर आधारित है कि उपभोग में समान मात्राओं में (रु० 80 करोड़) परिवर्तन होता है। इसका ऊपर की ओर दाएं को ढालू होना प्रकट करता है कि उपभोग आय का बढ़ता हुआ फलन है। B सम-भेदन बिन्दु है (Break-even point) जहां C=y अथवा $OY_1=OC_1$ । जब आय बढ़कर OY_2 हो जाती है, तो उपभोग भी बढ़कर OC_2 तक पहुंच जाता है, परन्तु आय में वृद्धि की अपेक्षा उपभोग में वृद्धि कम होती है अर्थात C_1

$C_2 < Y_1Y_2$ । आय के जिस भाग का उपभोग नहीं किया जाता है, वह बचत है जैसा कि 45°
की रेखा तथा वक्र C के बीच अनुलम्ब दूरी (SS^1) द्वारा दिखाया गया है। ''इस प्रकार, उपभोग
फलन केवल उपभोग पर व्यय की गयी राशि को ही नहीं बल्कि बचत की मात्रा को भी मापता
है। इसका कारण यह है कि उपभोग प्रवृत्ति वस्तुतः उपभोग न करने की प्रवृत्ति मात्र ही तो
है। इसलिए 45° की रेखा को शून्य-बचत रेखा माना जा सकता है और वक्र C की आकृति तथा
स्थिति उपभोग तथा बचतों में आय के विभाजन को व्यक्त करती है।''

चित्र संख्या 4.13

अ- रेखीय उपभोग फलन

उपभोग फलन की दो तकनीकी विशेषताएं अथवा गुण है। औसत उपभोग प्रवृत्ति और
सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति।

1. **औसत उपभोग प्रवृत्ति-** औसत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा यों दी जा सकती है
कि यह आय के किसी विशेष स्तर से उपभोग व्यय का अनुपात है।'' उपभोग व्यय को आय
से विभक्त करके निकाला जा सकता है अथति APC=C/Y. यह उपभोग की गयी आय के अनुपात
अथवा प्रतिशतता के रूप में व्यक्त की जाती है। ज्यों-ज्यों आय बढ़ती है, त्यों-त्यों APC घटती
जाती है क्योंकि उपभोग पर व्यय की गयी आय का अनुपात कम होता जाता है। परन्तु APS
(औसत बचत प्रवृत्ति) के सम्बन्ध में स्थिति इसके उलट रहती है और वह (APS) आय में वृद्धि
के साथ-साथ बढ़ती हैं इस प्रकार APC भी हमें APS का ज्ञान कराती है, APS=1-APC

औसत उपभोग प्रवृत्ति की आरेखीय व्याख्या रेखाचित्र 4.14 द्वारा की गयी है जो अग्र पृष्ठ पर दृष्टव्य है।

चित्र संख्या 4.14

औसत उपभोग प्रवृत्ति

उपर्युक्त चित्र में वक्र e पर APC को विन्दु R मापता है और और वह है OC/OY। वक्र को दाई ओर को चपटा हो जाना घटती APC को प्रकट करता है।

2. सीमान्त उपभोग प्रवृत्तिः-

सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा यों दी जा सकती है कि यह उपभोग में परिवर्तन का आय में परिवर्तन से अनुपात होता है अथवा यों कि यह आय में परिवर्तन होने पर औसत उपभोग प्रवृत्ति नें परिवर्तन की दर है।" इसे उपभोग में परिवर्तन को आय में परिवर्तन से विभक्त करके निकाला जा सकता है अथवा MPC=δC/δY. MPC आय के सभी स्तरों पर स्थिर रहती है।

सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति को आरेखीय रूप में चित्र संख्या 4.14 द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है जो अग्र पृष्ट पर पृष्ट पर दृष्टव्य है।

चित्र संख्या 4.15

सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति

उपर्युक्त चित्र में, सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति को वक्र C को ढलान द्वारा मापा जाता है। इसे चित्र में NQ/RQ द्वारा दिखाया गया है, जहां NQ तो उपभोग में परिवर्तन AC है और RQ आय में Ay है, अथवा c' e"/y'y"

उपभोग फलन के उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आय और उपभोग में सीधा सम्बन्ध होता है अथति आय में वृद्धि होने पर उपभोग व्यय में भी वृद्धि होती है। लेकिन उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम होता है अर्थात आय में जो वृद्धि होती है वह उपभोग में उसी मात्रा में वृद्धि नहीं करती है बल्कि आय का कुछ भाग बचत के रूप में बचा लिया जाता है। यह एक सार्वभौमिक नियम है। लेकिन यह नियम स्टोन क्रेशर श्रमिकों के ऊपर पूर्ण रूपेण लाभ नहीं होता है क्योंकि उनकी आय इतनी निम्न है कि सम्पूर्ण उपभोग की प्राप्ति उन्हें कभी हो ही नही पाती है। अतः यदि उनके आय में वृद्धि होती है तो उपभोग व्यय में आय से अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। परन्तु एक समय वाद उनके ऊपर भी यह नियम लागू होने लगेगा।

4.13 श्रमिकों के उपभोग व्यय में परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ :-

प्रस्तुत अध्याय में गत पृष्ठों पर दिये गये विश्लेषण के आधार पर स्टोन क्रेशर श्रमिकों के उपभोग संरचना में आये परिवर्तन की प्रवृत्तियों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। निम्न आय वर्ग वाले इन स्टोन क्रेशर श्रमिकों का उपभोग स्तर जीवन निर्वाह स्तर का होता है जिसके अन्तर्गत ये अपनी आय का अधिक से अधिक भाग जीवन की मूलभूत वस्तुओं रोटी, कपड़ा और मकान पर व्यय करते हैं। लेकिन ढाल के वर्षो में इन श्रमिकों के अन्दर आधुनिक विचारों ने अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया है तथा इस कारण इनकी उपभोग संरचना में आमूल-चूल परिवर्तन परिलक्षित होता है। सर्वेक्षण के दौरान पाया गया है कि श्रमिकों ने अपनी आय का कुछ भाग शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन आदि के मदों पर खर्च करना शुरू कर दिया है जो कि एक अच्छा संकेत है।

पंचम अध्याय

श्रमिकों की बचतगत प्रवृत्तियाँ

"If we could first knew where we are, and wither we are tending, we could better judge what to do and how to do it."

❑ Abraham Lincon.

इस अध्याय के अन्तर्गत जनपद झांसी में स्थित स्टोन क्रेशर श्रमिकों की बचतगत प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जायेगा।

5.1 श्रमिकों का बचत फलनः-

(अ) बचत से आशयः-

आय का वह भाग जो उपभोग व्यय में प्रयोग नहीं किया जाता है, बचत कहलाता है। बचत फलन, उपभोग फलन का ही एक भाग है, क्यों कि-

$$S = Y - C$$

$$S = f(y)$$

इस प्रकार, बचत फलन को रेखीय रूप में C+I के योग से बनाया जा सकता है। क्योंकि बचत आय का फलन है।

चित्र संख्या 5.1

बचत फलन का रेखीय प्रस्तुतीकरण

इस प्रकार, उपभोग वक्र के दिये होने पर, बचत वक्र निकाला जा सकता है, जैसा कि रेखा चित्र 5.1 से स्पष्ट है।

ध्यातव्य है कि बचत एवं उपभोग का योग आय के वराबर होता है अतः उपभोग फलन के ज्ञात होने पर बचत फलन को भी ज्ञात किया जा सकता है। सामान्यतः उपभोग फलन का समीकरण निम्नवत है-

$$E = cy$$

जहां c = उपभोग

Cy = आय में किया गया उपभोग व्यय

उपरोक्त समीकरण के आधार पर बचत फलन निम्नवत् होगा।

S = (1-C) y माना कि आय 100 रुपये है और e = 0.8 है तो,

C = 0.8 (100) = 80

तथा S = (1-0.8) (100) = 20

उपभोग और बचत का योग आय के बराबर होता है और उपभोग तथा बचत के गुणांको का भी योग 1 के ही बराबर होता है।

इसी प्रकार बचत भी आय फलन हैं यदि हम 1-C के स्थान पर S लिखे तो बचत फलन का स्वरूप निम्नवत प्राप्त होता है।

$$S = SY$$

जिस उपभोग फलन में निम्नतम् उपभोग (OC) को धनात्मक कारक के रुप में सम्मिलित किया जाता है, उससे सम्बन्धित बचत फलन में (OC) यह ऋणात्मक कारक का धारण कर लेता है।

जहां, OC न्यूनतम उपभोग को प्रदर्शित करता है।

बचत फलन, ब्वत और आय का अनुपात है। S = SY बचत फलन में S बचत फलन के मान को दिखाता है जो S/ y है। S/y औसत बचत प्रवृत्ति है तथा $\delta S/\delta y$ (जहां परिवर्तन को दर्शाता है) सीमान्त बचत प्रवृत्ति है। उपभोग प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति का योग इकाई के बराबर होता है।

अतः यदि उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात है तो इसे आय नें से घटाकर बचत प्रवृत्ति ज्ञात की जा सकती है। उपरोक्त समीकरणों से यह तथ्य प्राप्त होता है कि सीमान्त बचत प्रवृत्ति और सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति विपरीत रूप से सम्बन्धित है लेकिन दोनों का योग एक के बराबर होता हैं उपरोक्त बचत विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बचत यदि वर्तमान आय का फलन है तो यह पिछली आयों का भी फलन है। इसी तथ्य को निम्नवत रखा जा सकता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि बचत भविष्यगत आय और भविष्यगत बचत की आशंसा पर इस प्रकार निर्भर करेगी कि वर्तमान समय में बचत करने से अथवा व्यय घटाने से भविष्य में कितनी आय उत्पन्न हो सकती है। इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है:

$$SF+1 = F(P.YF+1) \quad \text{.......................................(5)}$$

अथवा

$$SF = S(SF) \quad \text{.......................................(6)}$$

अथवा

$SF+1 = S(SF+1)$

जहां S = बचत

$F+1$ = भविष्य की बचत

F = फलन

P = कीमत

बचत के सन्दर्भ में ही यह तथ्य भी स्मरण करने योग्य है कि,

$Y = E$ ....(7)

अथवा

$E = y$ ....(8)

अथवा $E>y+S$

अथवा $E<Y+S$

जहां Y = कुल आय

E = कुल व्यय

$>$ = अधिकता

$<$ = निम्नता

इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि आय एवं व्यय बराबर हो सकते है, अथवा व्यय, आय एवं बचत से अधिक हो सकता है या व्यय, आय एवं बचत से कम हो सकता है। इसी तथ्य को समय पश्चता के आधार पर इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है।

$YF = EF$ ....(5)

अथवा

$EF = YF+SF$

अथवा $EF >YF+SF$

अथवा $EF<YF+SF$

उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि एक समय बिन्दु की कुल आय, एक समय बिन्दु

पर किये गये कुल व्यय के बरावर हो सकता है अथवा एक समय बिन्दु पर किया गया कुल व्यय, एक समय बिन्दु की कुल आय एवं बचत के बराबर या कम अधिक हो सकता है।

(ब) बचत के स्रोत-

बचत के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, समष्टि विश्लेषण के आधार पर सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर बचत के स्रोत, द्वितीय, व्यष्टि विश्लेषण के आधार पर व्यक्तिगत बचत के स्रोत।

सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर बचत के मुख्य स्रोत निम्नांकित हैः

1. राष्ट्रीय आय
2. राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन
3. राजकीय उपक्रम
4. विदेशी विनिमय
5. विभिन्न सरकारी संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय बचत।

व्यक्तिगत स्तर पर वचत के मुख्य स्रोत अग्रलिखित है-

1. व्यावसायिक राष्ट्रीयकृत बैंक
2. डाकखाना
3. जीवन बीमा
4. युनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया
5. आय पर स्वतः कटौती
6. नॉन बैकिंग संस्थाएं

(स) बचत के प्रकारः-

बचत के विभिन्न प्रकारों को निम्नवत् रखा जा सकता है-

1. इच्छित बचत-

जिनकी बचत करने की इच्छा एक बचतकर्ता या स्टोन क्रेशर श्रमिक रखता है यदि उतनी ही बचत कर लेता है तो इसे इच्छित बचत कहते हैं।

2. **वास्तविक बचतः-**

एक बचतकर्ता द्वारा बचत करने की इच्छा के विपरीत जितनी बचत हो पाती है या सम्पूर्ण व्यय के वाद बच जाती है तो ऐसी बचत को वास्तविक बचत कहते हैं।

3. **प्रत्याशित बचतः-**

प्रत्याशित या आनुमानित बचत वह बचत होती है जिसे सम्पादित करने की आशा बचतकर्ता द्वारा की जाती है। उल्लेखनीय है कि प्रत्याशित बचत भविष्य में बचतकर्ता के इरादे को व्यक्त करती है।

4. **बलात बचतः-**

एक वचतकर्ता जब अपनी आवश्यकताओं एवं उपभोग में जबरदस्ती कमी करके बचत करता हे तो ऐसी बचत बलात बचत कहलाती है।

5. **नवोन्मेषित बचतः-**

जब सरकार द्वारा बचतकर्ता को नई-नई योजनाओं के माध्यम से बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो उसे नवोन्मेषित बचत कहते हैं।

6. **आकस्मिक बचतः-**

जब बचतकर्ता को आकस्मिक आय प्राप्त होती है और वह इसे बचत के रुप में प्रयोग करता है तो ऐसी बचत आकस्मिक बचत कहलाती है। जैसे लाटरी के ईनाम, अचानक प्राप्त होने वाला धन आदि के कारण की गयी बचत आकस्मिक बचत है।

(द) शोध अध्ययन में क्रियाशील बचतः-

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उपरोक्त बचत प्रणाली को क्रियान्वित करने का एक प्रयास किया गया है। निम्न आय वर्गीय श्रमिक वर्ग आर्थिक विकास के लिए किस प्रकार सहयोग प्रदान करता है तथा वह बचत करने में सक्षम है अथवा नहीं। इन समस्त अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन को वर्णित करने का प्रयास किया गया है।

निश्चित रूप से व्यक्ति एवं समाज की छोटी-छोटी बचतें न केवल राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय विकास में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करती हैं, वरन् व्यक्ति विशेषकर निर्बल आय वर्ग वाले व्यक्तियों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। श्रमिकों की छोटी-छोटी बचतों के माध्यम से तीव्र मौखिक भार बहन नही करना पड़ता है। इसलिए लघु बचतें उच्च जीवन -स्तर को निर्धारित करती हैं। इस प्रकार से शोध अध्ययन में श्रमिकों हेतु आय, व्यय के साथ-साथ बचत को अन्य कार्यो हेतु एक साधन यन्त्र का रूप देकर क्रियाशील बनाया गया है।

5.2 श्रमिकों की बचत का वर्गीकरणः-

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की बचत संरचना के सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश श्रमिक ऐसे हैं जोकि बचत ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त करते हैं और यह मजदूरी उनकी उदरपूर्ति में ही सहायक सिद्ध होती है। फलतः बचत का प्रश्न ही नहीं उठता है। वे श्रमिक जिनकी बचत होती है वे अधिकांशतः कुशल श्रमिक ही होते हैं जिनकी मजदूरी अकुशल श्रमिकों से कुछ अधिक होती है। लेकिन श्रमिकों की यह बचत अत्यन्त न्यून स्तर की है तथा बाध्य होकर वे बचत कर पाते हैं। वास्तव में, श्रमिकों द्वारा वास्तविक बचत विल्कुल भी नहीं हो पाती है क्योंकि उनकी आय कम है। स्टोन क्रेशर श्रमिकों की नवोन्मेषित बचत शून्य है। आकस्मिक बचत लाटरी के टिकटों या अन्य प्रकार से प्राप्त आकस्मिक लाभ से उत्पन्न आय पर निर्भर करती है। इस प्रकार से अधिकांश स्टोन क्रेशर श्रमिकों द्वारा बलात बचत की जाती है।

बचत संरचना के संहायक अंगों की विवेचना के पश्चात यह ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है कि वह बचत के प्रति कितने नियमित है, उनके बचत के स्श्रोत क्या है। वे कुल कितनी बचत कर पाते है, उनकी बचत न होने के कारण क्या है आदि। इन प्रश्नों का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

5.2.1 स्टोन क्रेशर श्रमिकों की बचत के प्रति नियमितताः-

अधिकांश स्टोन क्रेशर श्रमिक नियमित रूप से बचत नहीं कर पाते हैं। उनकी बचत बलात रूप में ही हो पाती है। स्टोन क्रेशर श्रमिकों की बचत के प्रति नियमितता को सारणी संख्या 5.1 के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या 5.1

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की बचत के प्रति नियमितता

क्र.स.	बचत नियमितता के प्रति उत्तर	प्रतिदर्श	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	स्वीकारात्मक उत्तर	64	32
2.	नकारात्मक उत्तर	136	68
	योग	200	100

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण श्रमिकों में केवल 32 प्रतिशत श्रमिक ही नियमित बचत के प्रति स्वीकारात्मक उत्तर देते हैं जबकि 68 प्रतिशत श्रमिक बचत के परिप्रेक्ष्य में नकारात्मक उत्तर देते हैं।

5.2.2 स्टोन क्रेशर श्रमिकों की बचत का विवरणः-

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की बचत के विवरण को अग्र सारणी द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

चित्र संख्या 5.2

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की बचत के प्रति उत्तर

सारणी संख्या 5.2

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की बचत का विवरण

क्र.स.	व्ययवर्ग	प्रतिदर्श	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	50-100	24	12
2.	100-150	28	14
3.	150-200	04	02
4.	200-250	08	04
5.	250-300	04	02
6.	300-350	04	02
योग		72	36
अन्तराल		128	64

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 50 रु0 से 100 रु0 के मध्य 12 प्रतिशत, 100 रु0 से 150 रु0 के मध्य 14 प्रतिशत 150 रु0 से 200 रु0 के मध्य 2 प्रतिशत, 200 रु0 से 250 रु0 के मध्य 4 प्रतिशत 250 रु0 से 300 रु0 के मध्य 2 प्रतिशत एवं 300 रु0 से 350 रु0 के मध्य 2 प्रतिशत श्रमिक बचत करते हैं सारणी इस तथ्य को भी स्पष्ट करती है कि सर्वाधिक श्रमिक 100 रु0 से 150 रु0 के मध्य बचत करते हैं।

5.2.3 बचत न होने के कारण:-

झांसी जनपद में स्टोन क्रेशर श्रमिकों के बचत न होने के प्रति श्रमिकों द्वारा व्यक्त कारणों को सारणी संख्या 5.3 द्वारा स्पष्ट किया गया है।

चित्र संख्या 5.3

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की बचत का विवरण

सारणी संख्या 5.3

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की बचत न होने के कारण

क्र.स.	कारण	प्रतिदर्श	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	नियमित रुप से रुपये प्राप्त न होना	08	04
2.	मंहगाई के कारण	44	22
3.	बड़े परिवार के कारण	16	08
4.	कम आय के कारण	72	36
योग		140	70

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 4 प्रतिशत श्रमिक नियमित रूप से रुपये प्राप्त न होने के कारण, 22 प्रतिशत श्रमिक मंहगाई के कारण, 8 प्रतिशत श्रमिक बड़े परिवार होने के कारण एवं 36 प्रतिशत श्रमिक कम आय के कारण बचत नहीं कर पाते हैं।

5.2.4 स्टोन क्रेशर श्रमिकों की बचत के स्रोतः-

स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्यरत श्रमिक अपनी बचत के लिए विभिन्न स्रोतों की सहायता लेते हैं यथा डाकखाने द्वारा, जीवन बीमा द्वारा व्यावसायिक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा, गैर बैकिंग संस्थाओं द्वारा एवं आय स्रोत पर स्वतः कटौती द्वारा। इन स्रोत को अग्रांकित सारणी के द्वारा रुपायित किया जा सकता है।

चित्र संख्या 5.4

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की बचत न होने के कारण

सारणी संख्या 5.4

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की बचत के स्रोत

क्र.स.	बचत के स्त्रोत	प्रतिदर्श	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	डाकखाने द्वारा	20	10
2.	जीवन बीमा द्वारा	04	02
3.	व्यावसायिक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा	04	02
4.	गैर बैंकिग संस्थान द्वारा	04	02
5.	आय स्रोत पर स्वतः कटौती द्वारा	32	16
योग		64	32

स्रोतः साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 10 प्रतिशत श्रमिक डाकखाने द्वारा, 1 प्रतिशत श्रमिक जीवन बीमा द्वारा, 2 प्रतिशत श्रमिक व्यावसायिक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा, 2 प्रतिशत श्रमिक गैर बैंकिंग संरथाओं द्वारा व 16 प्रतिशत श्रमिक आय स्रोत पर स्वतः कटौती द्वारा बचत करते हैं।

5.3 श्रमिकों की बचत में परिवर्तन की प्रवृत्तियाँः-

ध्यातव्य है कि स्टोन क्रेशर में कार्य करने वाले श्रमिक निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। गरीबी का दुष्चक्र इनके सम्पूर्ण जीवन में कार्यशील होता है। गरीबी और निम्न आय होने के कारण श्रमिकों की सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति के अधिक होने के कारण श्रमिकों की बचत प्रवृत्ति लगभग शून्य ही होती है। लेकिन हाल के वर्षो में इस प्रवृत्ति में परिवर्तन के कुछ संकेत स्पष्ट दिखायी देने लगे हैं। श्रमिक वर्ग भी अपने भविष्य के प्रति चिन्तित दिखायी देने लगा है। इसी चिन्ता और सोच के कारण श्रमिक वर्ग भी अपनी छोटी सी आय में से विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से या आय पर स्वतः कटौती द्वारा बचत की कोशिश में जुट गया है। जैसा कि इस अध्याय के पूर्व विश्लेषण से भी स्पष्ट होता है।

चित्र संख्या 5.5

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की बचत के स्रोत

षष्ठम अध्याय

आय, व्यय एवं बचत में अर्न्तसम्बन्ध

"The ideas of economists and political philosophers both when they are right and when they are wrong are more powerful than is commonly understood. Indeed, the world is rules by little else."

❑ J.M. Keynes

पूर्व के अध्यायों में उपभोग प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति के सैद्धान्तिक प्रतिमानों पर प्रकाश डाला जा चुका है। ये सैद्धान्तिक प्रातिमान विशेषतः केन्सीय समष्टि आर्थिक विश्लेषण के प्रत्यागम पर आधारित है। यद्यपि यह आलोचना का विषय हो सकता है कि समष्टिगत प्रत्ययों को व्यष्टि विवेचनों पर लागू करना समीचीन नहीं है तथा समष्टि निष्कर्षों का निहितार्थो के रूप में व्यष्टि विश्लेषण में अवगाहित करना अनुपयुक्त नहीं है क्योंकि व्यष्टि और समष्टि विश्लेषण एक दूसरे पर अर्न्तनिर्भर और पूरक हैं। केन्सीय विश्लेषण में उपभोग और बचत अर्न्तभूत हैं और वे आय के प्रत्यक्ष परिणाम हैं। आय से ही व्यय की सृष्टि होती है और व्यय विनियोजन का आधार है। केन्सीय विश्लेषण प्रणाली में तो यह सर्वसमिका भी प्रसूत की गयी है कि वस्तुतः और अंततः समग्र उत्पाद, आय और व्यय बराबर होते हैं। उपरोक्त विश्लेषण प्रणाली के आधार पर स्टोन क्रेशर श्रमिकों के संदर्भ विशेष में आय, व्यय एवं बचत के अर्न्तसम्बन्ध को सैद्धान्तिक और अनुभवगम्य आधारों पर इस अध्याय में विवेचित किया जायेगा।

(अ) आय, व्यय एवं बचत में सैद्धान्तिक अर्न्तसम्बन्ध :-

आय मानव जीवन का मूलाधार है। आय पोषणीय तत्व है। प्रत्येक उत्पादन की क्रिया से जहाँ भौतिक उत्पाद सृजित होता है वहीं, दूसरी ओर आय भी सृजित होती है। श्रम के सन्दर्भ में श्रम का प्रतिफल या पारितोपिक या मजदूरी ही उसकी आय है।

व्यय आय से ही उत्पन्न होता है। आय अधिक होने पर व्यय अधिक हो सकता है और आय न्यून होने पर व्यय न्यून हो सकता है। व्यय का अधिक या कम होना व्यय प्रवृत्ति पर निर्भर है। व्यय प्रवृत्ति उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर है, जिसका सन्दर्भ पूर्व में दिया जा चुका है।

आय एवं व्यय का उपोत्पाद बचत है। यदि व्यय अधिक है तो बचत कम होगी और यदि व्यय कम है तो बचत अधिक होगी। यदि आय और व्यय समान है तो बचत शून्य होगी। केन्सीय प्रणाली में-

समग्र आय (Y) = समग्र उपभोग व्यय (C) + समग्र बचत (S)

या, $Y - S = C$

या, $Y - C = S$

इस प्रकार से आय, व्यय एवं बचत का एक निश्चित सैद्धान्तिक अर्न्तसम्बन्ध है।

(ब) आय, व्यय एवं बचत में व्यावहारिक अर्न्तसम्बन्ध :-

स्टोन क्रेशर श्रमिकों के सन्दर्भ विशेष में आय, व्यय एवं बचत का व्यावहारिक अर्न्तसम्बन्ध विश्लेषित करने से पूर्व इस अर्न्तसम्बन्ध को प्रभावित करने वाले कतिपय आर्थिक कारकों का अभिज्ञान आवश्यक है। ज्ञातव्य है कि आर्थिक सिद्धान्त अथवा आर्थिक मॉडल कतिपय अैद्धान्तिक पूर्व धारणाओं पर संरचित होते हैं। चाहे क्लैसिकल आर्थिक सिद्धान्त अथवा मॉडल हो, चाहे वे केन्सीय अथवा केन्सोत्तर आर्थिक सिद्धान्त अथवा मॉडल हो, उनसे व्यावहारिक दिशा-निर्देश तो प्राप्त हो सकते हैं लेकिन व्यावहारिक जीवन में उनके निष्कषों को यथानुरूप क्रियाशील करना दुष्कर कार्य है। इस संदर्भ में प्रो० जे०के० मेहता का कहना है कि हम आवास्तविकताओं का अध्ययन करके ही वास्तविकता तक पहुंच सकते हैं। यही प्ररिप्रेक्ष इस

अध्याय में भी लिया जायेगा। व्यावहारिक जीवन में श्रमिकों की मजदूरी अथवा आय, व्यय और बचत में कोई तार्किक और क्रमवद्ध सम्बन्ध नहीं पाया ज़ाता है। मजदूरी अथवा आय अनियमित, अल्प और उच्चावचन वाली हो सकती है। सतत् रोजगार न मिलने की स्थिति में आय की धारा क्षीण हो सकती है। रोजगार की आकस्मिकता, कार्य की प्रकृति और श्रमिकों के कौशल-स्तर पर आय निर्भर करती है और उच्चावचन वाली हो सकती है। निर्धारित आय और प्रत्याशित आय में भी पर्याप्त अन्तर होता है। इस प्रकार से व्यक्तिगत और मजदूरीगत आयों की संरचना में पर्याप्त अन्तराल और अल्पकालिक परिवर्तन हो सकते हैं।

जहां तक व्यय का प्रश्न है सैद्धान्तिक स्तर पर पहले आय उत्पन्न होती है तभी व्यय उत्पन्न होता है अर्थात आय से ही व्यय का जन्म होता है। सैद्धान्तिक स्तर पर यह माना जायेगा कि यदि आय शून्य है तो व्यय भी शून्य होगा और अधिक आय से आधिक व्यय तथा न्यून आय से कम व्यय उत्पन्न होंगे। व्यवहारतः विना आय के भी व्यय सृजित होते हैं क्योंकि व्यक्ति न्यूनतम् उपभोग को सम्पादित करने के लिए व्यय अवश्य करता है चाहे वह व्यय ऋण लेकर किया जाये अथवा उधार खरीदकर। इस प्रकार से आवश्यक नही है कि आय से ही व्यय उद्‌भूत हो।

इसी प्रकार से बचत के संदर्भ में कतिपय व्यावहारिक तथ्य निरूपित किये जा सकते हैं। व्यवहारतः आय और व्यय में पारस्परिक साम्य नहीं होता और श्रमिकों का मासिक बजट अथवा वार्षिक बजट घाटे का अथवा असंतुलित होता है। तात्पर्य यह है कि व्यावहारिक जीवन में प्रायः आय का एक निश्चित भाग लोग नहीं बचाते हैं और व्यय को कम करके बचत का सृजन नहीं किया जा सकता। प्रायः बचतें बलात प्रकृति की होती हैं अथवा वे संस्थागत होती हैं। लोग पूर्वकल्पी उद्‌देश्यों के लिये बचत करते हैं। पूर्व निर्धारित आय से बचत न करके आकस्मिक आय से बचत करते हैं और बचत आय को जन्म देती है। अथवा बचत से बचत का सृजन होता है। इस संदर्भ में बैंकिंग बचतों और डाकखाने की बचतों का उदाहरण लिया जा सकता है।

इस प्रकार से मजदूरी या वेतनभोगी श्रमिकों के संदर्भ में आय, व्यय और बचत में कोई सुनिश्चित और तार्किक सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता। फिर भी हम इनके मध्य व्याप्त

अन्तर्निहित प्रवृत्ति का विश्लेषण करते हैं और प्रयास यह होता है कि इन तीनों कारकों को पृथक रूप से कौन से वाह्य और अन्तः तत्व प्रभावित करते हैं। और विशेषतः इनके अर्न्तसम्वन्ध को, इनकी समग्रता को कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं। स्टोन क्रेशर श्रमिकों के संदर्भ में उपरोक्त वर्णित व्यंजनाओं को अवशोषित और विश्लेषित किया जायेगा।

(स) आय, व्यय एवं बचत में अर्न्तसम्बन्ध को प्रभावित करने वाले कतिपय आर्थिक कारक-

स्टोन क्रेशर श्रमिकों के संदर्भ विशेष में आय, व्यय एवं बचत का व्यावहारिक अर्न्तसम्बन्ध विश्लेषित करने से पूर्व इस अर्न्तसम्बन्ध को प्रभावित करने वाले कतिपय आर्थिक कारकों का अभिज्ञान आवश्यक है। यह कारक निम्नवत् संजोये जा सकते हैं। यथा-

1- पारिवारिक संरचनाः-

यदि श्रमिकों का परिवार संयुक्त परिवार है तो व्युत्पन्न आय पूर्णतः वितरित हो जायेगी और इसका अधिकांश भाग व्यय में परिवर्तित हो जायेगा तथा बचत की मात्रा अत्यन्त कम अथवा नगण्य हो जायेगी। इसके विपरीत यदि परिवार एकल प्रकृति का है तो व्यय में कमी और बचत के आधार में वृद्धि की सम्भावना है। यह तथ्य भारतीय परिवार और स्टोन क्रेशर श्रमिकों के संदर्भ में यथानुरूप सत्य है।

2- निर्भरता अनुपातः-

आय, व्यय एवं बचत का अर्न्तसम्बन्ध इस तथ्य से प्रभावित होगा कि निर्भरता अनुपात अधिक है अथवा कम है। यदि निर्भरता अनुपात अधिक है तो इनका अर्न्तसम्बन्ध नकारात्मक होगा और यदि निर्भरता अनुपात कम है तो अर्न्तसम्बन्ध सकारात्मक प्रवृत्ति रखेगा।

3- आय की प्रकृतिः-

आय की प्रकृति पर यह अर्न्तसम्बन्ध निर्भर करेगा यदि आय की प्रकृति सतत्

वृद्धिमान है तो यह अन्तर्सम्बन्ध सकारात्मक होगा अन्यथा नकारात्मक होगा।

4- व्यय की प्रवृत्तिः-

यदि व्यय की प्रवृत्ति उच्च है और व्यय की सीमान्त प्रवृत्ति का गुणांक मूल्य लगभग एक के बराबर है तो यह अन्तर्सम्बन्ध नकारात्मक होगा अन्यथा सकारात्मक।

5- बचत की मनोवृत्तिः-

प्रश्न यह है कि व्यक्ति बचत करने की इच्छा, सुविधा और मनोवृत्ति रखते हैं कि नहीं। प्रायः व्यक्ति इच्छा रखते हुये भी बचत अथवा पर्याप्त बचत नहीं कर पाते हैं और यदि आय का स्तर न्यून है तो बचत के शून्य होने की संभावना होती है। उल्लेखनीय है कि कम व्यय से ही अधिक बचत का सृजन हो सकता है अथवा अपव्यय के नियंत्रण से बचत सम्भव होती है। इसी अनुक्रम में कहा जा सकता है कि बचत से बचत का सृजन होता है और उच्च बचत, उच्च बचत को जन्म देती है तथा निम्न बचत से निम्न बचत का जन्म होता है। इस प्रकार से बचत, बचत का कारण है। और बचत, बचत का परिणाम है। आय, व्यय और बचत के अन्तर्सम्बन्ध में यह तथ्य विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण है कि बचत का प्रारूप और स्तर क्या है। यदि आय, व्यय और बचत में अन्तर्सम्बन्ध सकारात्मक है तो निश्चित ही अधिक बचत उत्पन्न होगी। और इनका सम्पूर्ण सम्बन्ध सकारात्मक हो जायेगा। अन्यथा की स्थिति में यह सम्बन्ध नकारात्मक होगा।

6- कार्य की प्रकृति का बचत पर प्रभावः-

आय, व्यय और बचत में व्यावहारिक अन्तर्सम्बन्ध मजदूरी भोगियों या मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों की कार्यक्षमता, उनकी सीमान्त उत्पादकता, श्रम बाजार की प्रतियोगी परिस्थितियों, श्रमिकों की सौदाकारी शक्ति, न्यूनतम, मजदूरी कानून की प्रभावशीलता, सम्बद्ध उद्योग में यंत्रीकरण, कम्प्यूटरीकरण

और इस प्रकार से यांत्रिक कोटि की स्थिति, श्रमिकों की सहभागिता दर और श्रमिकों की प्रवन्ध में साझेदारी आदि तत्वों पर निर्भर करेगी।

6.1. स्टोन क्रेशर श्रमिकों के आय, व्यय एवं बचत के अर्न्तसम्बन्ध को विश्लेषित करने वाले कतिपय सैद्धान्तिक आधारः-

6.1 (अ) स्टोन क्रेशर श्रमिकों की उत्पादकताः-

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की आय, व्यय और बचत में अर्न्तसम्बन्धों के विश्लेषण में वितरण की सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त और विशेषतः मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त का संदर्भ लिया जा सकता है। वितरण का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त एक प्रतिष्ठित सिद्धान्त है जिसका प्रयोग क्लैसिकल और नव क्लैसिकल अर्थशास्त्रियों ने फलनात्मक आय वितरण के संदर्भ में किया। इस सिद्धान्त का गुणानुवाद यथानुरूप मजदूरी के सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त के रूप में भी किया गया है। इस सिद्धान्त के द्वारा के द्वारा एक फर्म अथवा उद्योग में श्रमिकों का पारितोषिक मूल्य अथवा मजदूरी तय की जा सकती है। इस सिद्धान्त के कथन का पुर्नस्मरण लीभेुस्की के शब्दों में पुनः दिया जा सकता है। यथा-

"The marginal productivity theory of income distribution originally states that in the long run, under perfect competition, inputs would tend to receive a real rate of return which was just exactly equal to their marginal physical productivity in the production of outputs, or $p_a/p_x = MPP_a$. Moreover, according to the theory, the total return received by any one input (its share of the total product) could be computed by multiplying the rate of return by the amount of the input employed. Institutional arrangements determined the ownership of the inputs by individuals and were not dealt with by the theory. Finally, in the long run, under perfect competition, if each input received a return just equal to its "value to society," the total product would be just exactly exhausted, for the normal

profits then being made by entrepreneurs would be just exactly equal to their marginal physical productivities also.

The theory can be applied to a firm, an industry, or an economy. However, some writers have noted that when the marginal productivity theory is applied to the firm, it is a theory of employment since the firm takes the price of the input as given under perfect competition, and that when the theory is applied to an economy as a whole, it is a theory of return to the input because, in such a case, the amount of the input is assumed to be given. There is some basis for this distinction, but it is also accurate to define the theory as nothing more or less than a statement of the long-run equilibrium conditions of a firm, an industry, or an economy under perfect competition in both markets, depending upon the particular problem being considered."[9]

उपरोक्त सिद्धान्त को मजदूरी के सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त के रूप में भी विश्लेषित किया गया है और इसी सिद्धान्त के संदर्भ में स्टोन क्रेशर श्रमिकों की उत्पादकता और उससे प्रभावित होने वाले आय, व्यय और बचत के अन्तर्सम्बन्ध को निम्नवत निरूपित किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि स्टोन क्रेशर श्रमिकों की एक निश्चित उत्पादकता होना चाहिये। यह उत्पादकता उनके कार्यानुसार अथवा समयानुसार निर्धारित हो सकती है। उल्लेखनीय है कि स्टोन क्रेशर श्रमिकों की सीमान्त उत्पादकता का उनकी मजदूरी या आय से घनिष्ट सम्बन्ध है। यह सीमान्त उत्पादकता उनकी कार्यगत क्षमता को भी इंगित करती है। इस प्रकार की उत्पादकता की माप यद्यपि एक दुष्कर कार्य है। परन्तु इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया और मापा जा सकता है। तद्नुसार मजदूरी भी निर्धारित की जा सकती है। यथा माना कि किसी स्टोन क्रेशर उद्योग में 1,000 श्रमिक नियोजित हैं और वहां 8 घण्टे की एक पाली में काम होता है तो इस प्रकार वहां 1 दिन में 8,000 मानव घण्टे काम होगा। इन 8,000 मानव घण्टों में यदि 16,000 घन मीटर

9- H.H. Liebhafsky : 'The Nature of Price Theory' : The Dorsey Press, Home Wood, Illinois, 1968, PP. 433-434.

गिट्टी बनायी जाती है तो कहा जायेगा कि वहां श्रम की उत्पादकता प्रति मानव घंटे 2 घन मीटर गिट्टी का उत्पादन है। इसी प्रकार अगर किसी दूसरे स्टोन क्रेशर उद्योग में 2,000 श्रमिक 8 घण्टे की केवल एक ही पाली में काम करते हों तो वहां प्रतिदिन 2000 x 8 अर्थात 16,000 मानव घण्टे काम होगा। यदि इन 16,000 मानव घण्टों में 18,000 घन मीटर बोल्डर का उत्पादन होता हो तो वहां प्रति मानव घण्टा श्रम उत्पादकता 48,000 ÷ 16,000 अर्थात 3 घन मीटर बोल्डर है। इस प्रकार से दोनों स्टोन क्रेशर में उत्पादकता निर्धारित हो रही है। अब प्रति घन मीटर उत्पादन की दर निर्धारित करके तद्नुसार मजदूरी तय की जा सकती है। स्पष्टतः उत्पादकता अधिक होने पर मजदूरी अधिक और उत्पादकता कम होने पर मजदूरी कम होगी। लेकिन स्टोन क्रेशर उद्योग में मालिकों के निजी स्वार्थ के कारण कार्य दिवस की आदर्श लम्बाई नियत नहीं होती। अतः व्यवहारतः उत्पादकता या सीमान्त उत्पादकता की धारणा अनुप्रयुक्त नहीं हो पाती। ''उत्पादिता पर इतने अधिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है कि यह कहना कठिन है कि अधिक प्रबन्ध के अच्छे प्रयत्नों या नई तकनीक या उत्पादन के तरीकों में उन्नति के कारण है।'' रोजगार सुरक्षा का न होना, ठेके के श्रम के आधार पर कार्य एवं स्टोन क्रेशर श्रमिकों के असंगठित होने के कारण इनकी निम्न सौदाकारी शक्ति इनके आय फलतः व्यय और बचत को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

6.1 (ब) जॉन रॉबिन्सन मॉडलः-

सैद्धान्तिक स्तर पर मजदूरी आधारित न्यून आय, फलतः न्यून व्यय और अल्पबचत का अन्यथा विश्लेषण स्टोन क्रेशर श्रमिकों के संदर्भ में श्रीमती जोन राबिन्सन द्वारा प्रणीत ''मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लायटेशन ऑफ ए रिर्सोस'' के आधार पर भी किया जा सकता है।[10] यथा वस्तु बाजार एवं श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की आदर्शतम् स्थिति में (जहां पूर्ण आर्थिक क्षमता एवं न्याय विद्यमान है) श्रीमती जोन राबिन्सन यह अनुभव करती है कि एक संसाधन अथवा श्रम का शोषण होगा। यदि उसे उसकी सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से कम मजदूरी दी जाय। जहां तक पूर्ण प्रतियोगिता का प्रश्न है तो साधन बाजार में एक श्रमिक की

मज़दूरी या संसाधन मूल्य सीमान्त उत्पादकता के मूल्य के तुल्य होता है। लेकिन यदि साधन बाजार में एकाधिकारी प्रतियोगिता की परिस्थिति में साधन श्रम की सीमान्त आगम उत्पादकता (एम०आर०पी०) सीमान्त उत्पादकता के मूल्य (वी०एम०पी०) से कम होता है कि एक एकाधिकारी प्रतियोगी फर्म अपनी वस्तु गिरती मांग वक्र का सामना करता है। अतः वी० एम० पी० से एम० आर० पी० कम होती है। ऐसी परिस्थिति में श्रमिकों का शोषण होता है। वस्तुतः तब श्रम बाजार में क्रेताधिकार (मोनोप्सनी) की स्थिति उत्पन्न होती है। स्टोन क्रेशर उद्योग में क्रेशर मालिकों का एकाधिकार है और कई स्टोन क्रेशर होने के कारण (लगभग 100) आपस में एकाधिकारी प्रतियोगिता है। दूसरी ओर स्टोन क्रेशर श्रमिक असंगठित है और उनकी सौदा शक्ति बहुत क्षीण है। अतः उनको उनके श्रम का मूल्य कम प्राप्त होना स्वाभाविक है। श्रीमती राबिन्सन ने मार्जिनल एक्सपेन्स ऑफ इनपुट (माना श्रम) या मार्जिनल रिर्सोस कॉस्ट या मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट (एम० एफ० सी०) तथा मार्जिनल रेवेन्यू प्राडक्ट (एम०आर०पी० श्रम) के मध्य लम्बवत् अन्तर द्वारा श्रमिकों के शोषण (कम मजदूरी भुगतान) की माप की है जिसे निम्न रेखा चित्र द्वारा दर्शाया जा रहा है।

चित्र संख्या 6.1

श्रम बाजार में एकाधिकारात्मक स्थिति में श्रम-शोषण

उपरोक्त चित्र में एम०ई०आई० वक्र एम०आर०पी० श्रम वक्र को E विन्दु पर काटता है। क्रेशर क्रेताधिकारी स्टोन क्रेशर श्रमिकों को OL मात्रा में रोजगार देगा। चित्र में यह स्थिति उसके अधिकतम लाभ की स्थिति है। इसी चित्र में श्रम का मूल्य अर्थात् मजदूरी ($P_L = W$) श्रम के आपूर्ति वक्र पर दर्शित है और मजदूरी OW के तुल्य है। स्पष्ट है कि मजदूरी की दर श्रम के एम०आर०पी० से कम है। एकाधिकारात्मक लाभ की मात्रा (मजदूरी की दर की तुलना में एम०आर०पी० श्रम के अधिक होने के कारण) क्षेत्र $KEFP_L$ के बराबर है। उपरोक्त विश्लेषण को गणितीय रूप में निम्नवत् व्यक्त किया जा सकता है। यथा-

माना उत्पादन फलन का स्वरूप है : $Q = f(l)$

माना वस्तु मांग फलन का स्वरूप है : $Px = h(Q)$ ... (i)

माना आगत पूर्ति फलन का स्वरूप है : $W = g(L)$

स्थिर लागतों को उपेक्षित करते हुये, लाभ फलन है :

$$\left.\begin{aligned} \pi &= P.Q - W.L \\ &= Q.h(Q) - L.g(L) \\ &= f(L).h[f(L)] - L.g(l) \end{aligned}\right\} \text{(ii)}$$

श्रम के रोजगार के संदर्भ में लाभ न्यूनतमीकरण की क्रिया हेतु :

$$\frac{d\pi}{dL} = P.\frac{dQ}{dL} + Q.\frac{dP}{dQ}.\frac{dQ}{dL} - W.\frac{dL}{dL} - L$$

$$\frac{dW}{dL} = O \quad \text{............... (iii)}$$

$$\text{या,} \quad P\left[1 + \frac{Q}{P}.\frac{dP}{dQ}\right]\frac{dQ}{dL} = \left[W - L\frac{dW}{dL}\right] \quad \text{............... (iv)}$$

$$\text{या,} \quad P\left[1 + \frac{1}{ed}\right]\frac{dQ}{dL} = \left[W - L\frac{dW}{dL}\right]$$

$$\text{या,} \quad MR_x.MP_L = MEI$$

$$\text{या,} \quad MRP_L = MEI_L \quad \text{............... (v)}$$

समीकरण (iv) के आधार पर हम यह भी लिख सकते हैं कि-

$$P = \left(1 - \frac{1}{ed}\right)\frac{dQ}{dL} = W\left(1 + \frac{1}{Q}\right) \qquad \text{................ (vi)}$$

उपरोक्त समीकरणों में कुछ अन्तर्निहित सम्बन्ध निम्नवत् है-

$$\frac{\left(1 - \frac{1}{ed}\right)}{\left(1 + \frac{1}{Q}\right)}\frac{dQ}{dL} = \frac{W}{P}$$

$$W = P.\frac{\left(1 - \frac{1}{ed}\right)}{\left(1 + \frac{1}{Q}\right)}\frac{dQ}{dL} \qquad \text{................ (vii)}$$

$$\frac{dQ}{dL} = \frac{W}{P}.\frac{\left(1 + \frac{1}{Q}\right)}{\left(1 - \frac{1}{ed}\right)}$$

6.1 (स) कलेस्किी मॉडलः-

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की मजदूरी दर की सापेक्षिक स्थिरता उनके आय, व्यय एवं बचत के अर्न्तसम्बन्ध को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला एक सबल तत्व है। उनकी मजदूरी पर की स्थिरता स्टोन क्रेशर स्वामियों के एकाधिकारवाद का भी परिणाम है। इस एकाधिकारवाद को एकाधिकारी अंश भी कहा जा सकता है। मजदूरी दर की स्थिरता और उसको निर्धारित करने वाले एकाधिकारवाद अंशांक के संदर्भ विशेष में कलेस्किी मॉडल का उल्लेख करना समीचीन होगा। कलेस्किी मॉडल मूलतः इस अनुभवगम्य प्रश्न का उत्तर देता है कि अर्थव्यवस्था के स्तर पर दीर्घकालिक रूप से मजदूरी की दर में स्थिरता की प्रवृत्ति क्यों पायी जाती है। यद्यपि यह मॉडल बहुत सैद्धान्तिक एवं समष्टिपरक है तथापि निहितार्थो को प्राप्त करने के लिये इस मॉडल का संक्षेपित विवरण यहां दिया जा रहा है। मॉडल का विवरण निम्नवत् है-

कलेस्की के विश्लेषण में एक विशिष्टतः परिभाषित एकाधिकार-अंशांक (degree of

monoploy) से और कच्चे माल की लागत तथा श्रम-लागत के अनुपात से मजदूरी-अंश का प्रतिलोम सम्बन्ध स्थापित किया गया है। यहां सम्बन्ध समग्र आय-वितरण के प्रमुख आनुभाविक प्रश्न-मजदूरी-अंश की स्थिरता-का उत्तर देता है। लाभांश के निर्धारण के लिये कलेस्की ने अलग सिद्धान्त दिया है जिसके अन्तर्गत लाभांश पूंजीपतियों के व्यय-सम्बन्धी निर्णयों पर निर्भर दिखाया गया है।

मजदूरी-अंश और एकाधिकार-अंशांक के विषय में कलेस्की के विचार स्वयं परिवर्तनशील रहे हैं। यहां हम इस विषय में कलेस्की का नया प्रत्यागम प्रस्तुत करेंगे।

किसी उद्योग में कुल उत्पादन-मूल्य (A) को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है। समग्र मजदूरी-लागत (W), समग्र कच्चा माल-लागत (M), समग्र उपरि (overhead) व्यय (O), और समग्र लाभ (P) । इस प्रकार

$$A = W + M + O + P \quad \text{(i)}$$

यदि एकाधिकार अंशांक (a) को $\frac{A}{W+M}$ से परिभाषित करें और समग्र मजदूरी-व्यय तथा समग्र कच्चा-माल लागत के अनुपात (W/M) को β से दिखायें तो इस उद्योग में मजदूरी-अंश

$\dot{w}$[= W/(O+P+W)] को α और β पर निर्भर दिखाया जा सकता है। यहां 'O+P+W' इस उद्योग में मूल्य वृद्धि (value added) है।

सर्वसमिका (i) को 'W+M' से भाग देने पर

$$\frac{A}{W+M} = 1 + \frac{O+P}{W+M}$$

या, $$\alpha - 1 = \frac{O+P}{W+M}$$

या, $$O+P = (W+M)(\alpha - 1)$$

या, $$\frac{O+P+W}{W} = \frac{(W+M)(\alpha-1)+W}{W}$$

(दोनों ओर W जोड़ने और W से भाग देने पर)

या, $$\frac{W}{O+P+W}=\frac{W}{W+(W+M)(\alpha-1)}$$

या, $$W=\frac{1}{1+(1+\beta)(\alpha-1)}$$

इस प्रकार मजदूरी अंश का एकाधिकार अंशांक (α) और मजदूरी-लागत तथा कच्चा माल-लागत के अनुपात β से प्रतिलोम सम्बन्ध है। यदि $\alpha=1$ हो तो $w=1$ होगा अर्थात् उद्योग में कुल मजदूरी कुल मूल्य-वृद्धि के बराबर होगी। यदि $\alpha>1$ हो तो मजदूरी कुल मूल्य-वृद्धि का एक सकारात्मक अनुपात होगी।

यदि अर्थव्यवस्था के समस्त उद्योगों के इसी प्रकार के समीकरण निकाले जायें और उन्हें समग्रित किया जाये तो समस्त अर्थव्यवस्था के लिये उपर्युक्त निष्कर्ष सत्य होंगे।

6.1 (द) न्यूनतम मजदूरी कानूनः-

श्रमिकों के आय, व्यय एवं बचत के के अन्र्तसम्बन्ध को न्यूनतम मजदूरी कानून की अवधारणा और क्रियाशीलता पर भी आधारित किया जा सकता है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि न्यूनतम मजदूरी कानून यह कहता है कि एक उद्योग में अथवा सीमान्त कार्य हेतु सभी मजदूरों को एक समान मजदूरी प्राप्त होनी चाहिये। न्यूनतम मजदूरी कानून की प्रभावशीलता में श्रम संघों का महत्वपूर्ण योगदान होता है लेकिन उल्लेखनीय है कि स्टोन क्रेशर श्रमिकों का कोई श्रम संघ नहीं है क्योंकि वे असंगठित है और प्रायः ठेकेदारों के द्वारा उनकी आपूर्ति होत है। अतः इनके संदर्भ में न्यूनतम मजदूरी कानून सम्भवतः लागू नहीं होता अथवा उसे लागू नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में स्टोन क्रेशर श्रमिकों के आय, व्यय और बचत का अन्र्तसम्बन्ध नकारात्मक रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है।

6.1 (य) सौदाकारी शक्तिः-

श्रमिक अपने श्रम की आपूर्ति करते हैं। वे अपने श्रम के विक्रेता होते हैं। उद्योगपति इनके श्रम का क्रेता होता है। श्रम बाजार में श्रमिकों का विक्रय और क्रय होता है। श्रमिकों को सीमान्त उत्पादकता पर उनकी क्रय मांग आधारित होती है। श्रमिक भी इतनी तो मजदूरी चाहेगें ही कि उनके भरण-पोषण की आवश्यकताएं पूरी हो जायें अथवा उनके जीवन

निर्वाह व्यय की लागत निकल आये। वस्तुतः श्रम बाजार में श्रम के विक्रेता और श्रम के क्रेता के मध्य मोलभाव या सौदा होता है जिसका विवरण पूर्व अध्याय में दिया जा चुका है। यदि श्रमिकों की पूर्ति की लोच बेलोचदार है तो उनकी सौदा शक्ति अधिक होगी अर्थात् वे श्रम क्रेताओं से मोलभाव के आधार पर अधिक मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यदि श्रम क्रेताओं की मांग की लोच अत्यधिक लोचदार है तो उद्योगपतियों की या श्रम क्रेताओं की सौदा शक्ति अधिक होगी और वे अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर श्रमिकों की मजदूरी तय करेगें। स्टोन क्रेशर श्रमिकों के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि इनकी पूर्ति की लोच बेलोचदार न हो करके अत्यधिक लोचदार है क्योंकि इन्हें बेरोजगारी की दी हुई परिस्थिति में रोजगार चाहिये और यदि यह जीवन निर्वाह स्तर की मजदूरी पर भी प्राप्त होती है तो भी वे स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार से स्टोन क्रेशर श्रमिकों के श्रम बाजार में क्रेताधिकार की स्थिति के कारण इन श्रमिकों की सौदाशक्ति या तो है नहीं अथवा यदि है तो अत्यन्त निर्बल है। फलतः उनके आय, व्यय एवं बचत के अन्र्तसम्बन्ध की दिशा, उसका आयाम नकारात्मक हो जाता है।

6.1 (र) प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारीः-

उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों की साझेदारी श्रम अर्थशास्त्र की नव्य धारणा यह अनुभव किया गया कि यदि औद्योगिक संघर्षो को तिरोहित करना है और औद्योगिक विवादों को निपटाना है तो उत्पादों के मुख्य सर्जक- श्रमिकों के उद्योग के प्रबन्धन में मिल मालिकों के साथ साझेदारी होनी चाहिये अर्थात मिल मालिकों अथवा उद्योगपतियों तथा श्रमिकों के मध्य मधुर सम्बन्ध स्थापित होने चाहिये। ऐसी आदर्श परिस्थिति में श्रमिकों की कार्यक्षमता, उत्पादकता एवं उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हो सकती है। और तब उनके मजदूरी में भी स्वतः वृद्धि हो जायेगी। लेकिन ऐसी आदर्श परिस्थिति स्टोन क्रेशर मालिकों और श्रमिकों के बीच अपवाद रूप में ही पायी जा सकती है। अन्वीक्षण से ज्ञात हुआ है कि व्यावहारिक धरातल पर स्टोन क्रेशर उद्योगों में कार्यशील श्रमिकों की प्रबन्ध में कोई भागीदारी नहीं है जो भी भागीदारी है वह कार्यप्रणाली के रूप में है। उसका श्रमिकों की आय और बचत से कोई सम्बन्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि यदि प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी हो तो उनके आय, व्यय और बचत का

अन्तर्सम्बन्ध सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। और अन्यथा की स्थिति में नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा क्योंकि या तो उन्हें जीवन-निर्वाह योग्य मजदूरी प्राप्त होगी अथवा कानूनी रूप से जीवन-निर्वाह योग्य मजदूरी प्राप्त होगी और तव उनकी आय का स्तर निम्न एवं न्यून होगा। फलतः व्यय और वचत नकारात्मक निर्धारणवाद से प्रभावित होंगे। यही स्टोन क्रेशर श्रमिकों के आय, व्यय एवं बचत के अन्तर्सम्बन्ध की वास्तविक स्थिति है जिसे शोधकर्ता ने अन्वीक्षण के मध्य प्राप्त किया है।

6.1 (ल) आरामः-

कार्य और आराम के मध्य एक विभाजन रेखा होती है। सैद्धान्तिक रूप से यह माना जाता है कि श्रमिक के कार्य के घंटे निश्चित होते हैं। प्रायः ये 8 घंटे होते हैं। कार्य के मध्य लंच का अवकाश दिया जाता है। यह भी माना जाता है कि यदि श्रमिकों को कार्य के साथ आराम की व्यवस्था दी जाती है तो उनकी कार्यक्षमता और सीमान्त उत्पादकता बढ़ जाती है। और वे अधिक कार्य करके अधिक श्रम मूल्य अर्जित कर सकते हैं। लेकिन व्यावहारतः यह पाया जाता है कि उद्योगपतियों के निजी स्वार्थ और अधिकतम लाभ अर्जन की धारणा के अन्तर्गत कार्य दिवस की आदर्श लम्बाई नियत नहीं होती है। स्टोन क्रेशर श्रमिकों के संदर्भ में यही तथ्य पाया गया है कि उनके कार्य दिवस की आदर्श लम्बाई सुनिश्चित नहीं है। अतः अवकाश की निश्चित अवधि निर्धारित होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। निर्धारित घंटों से अधिक कार्य करने के कारण उनके स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव उत्पन्न होता है। वास्तव में स्टोन क्रेशर उद्योगपतियों और स्टोन क्रेशर श्रमिकों के मध्य स्वामी-दास का सम्बन्ध प्रभावी है। दूसरे शब्दों में स्टोन क्रेशर श्रमिकों पर सामन्तवादी प्रवृत्ति हावी है इसलिये उनके आय, व्यय और बचत का अन्तर्सम्बन्ध नकारात्मक है।

उपरोक्त सैद्धान्तिक विश्लेषण के पश्चात झांसी जनपद के स्टोन क्रेशर श्रमिकों की आय, व्यय एवं बचत के अन्तर्सम्बन्ध का व्यावहारिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि इनका पृथक-पृथक विश्लेषण पूर्व में ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

6.2 स्टोन क्रेशर श्रमिकों की आय, व्यय एवं बचत में अर्न्तसम्बन्ध की अनुभवगम्य स्थितिः-

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की आय एवं व्यय में अर्न्तसम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिए कुल मासिक आय में कुल मासिक व्यय का प्रतिशत ज्ञान करना होगा। इस तथ्य कों सारणी संख्या 6.1 के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। सारणी स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्ग के मध्य श्रमिक अपनी आय के कितने प्रतिशत को उपभोग पर व्यय कर देते हैं इसके द्वारा इस बात की भी पुष्टि होती है कि श्रमिकों का बचत का स्तर क्या है तथा उनकी उपभोग प्रवृत्ति कितनी है।

सारणी संख्या 6.1 से स्पष्ट है किः-

1. 1000-रु0 से 1500 रु0के मध्य एक प्रतिशत श्रमिक अपनी आय का 80 से 90 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत श्रमिक लगभग 90 से 100 प्रतिशत भाग खर्च कर देते हैं।

2. 1500 से 2000 रू0 के मध्य आय प्राप्त करने वाले श्रमिकों में एक प्रतिशत श्रमिक 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत, 1 प्रतिशत श्रमिक 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत श्रमिक 90 से 100 प्रतिशत के मध्य अपनी आय को उपभोग पर व्यय कर देते हैं।

3. 2000 रु0 से 2500 रु0 के मध्य आय प्राप्त करने वाले श्रमिकों के 1 प्रतिशत श्रमिक 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के मध्य, 1 प्रतिशत श्रमिक 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत, 3 प्रतिशत श्रमिक 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के मध्य एवं 19 प्रतिशत श्रमिक 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य अपनी आय से व्यय करते हैं।

4. 2500 रु0 से 3000 रु0 के मध्य आय प्राप्त करने वाले श्रमिको में 2 प्रतिशत श्रमिक 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के मध्य, 4 प्रतिशत श्रमिक 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के मध्य एवं 27 प्रतिशत श्रमिक 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य

सारणी संख्या 6.1

स्टोन क्रेशर श्रमिकों के आय एवं व्यय में अन्तर्सम्बन्ध

व्यय वर्ग / आय वर्ग(रु०में)	कुल मासिक आय में कुल व्यय का प्रतिशत										
	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	योग %
1000-1500									01	01	02
1500-2000							01		01	06	08
2000-2500							01	01	03	17	22
2500-3000								02	04	24	30
3000-3500							01	01	03	17	22
3500-4000								02		04	06
4000-4500									02	02	04
4500-5000								01		01	02
5000-5500								02		02	04
योग							03	09	14	74	100

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची।

अपनी आय का उपभोग पर व्यय करते हैं।

5. 3000 रु0 से 3500 रु0 के मध्य आय प्राप्त करने वाले श्रमिकों में 1 प्रतिशत श्रमिक 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत, 1 प्रतिशत श्रमिक 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत, 3 प्रतिशत श्रमिक 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत एवं 17 प्रतिशत श्रमिक 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य अपनी आय को उपभोग पर व्यय कर देते हैं।

6. 3500 रु0 से 4000 रु0 के मध्य आय प्राप्त करने वाले श्रमिकों में 2 प्रतिशत श्रमिक 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत, 5 प्रतिशत श्रमिक 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य अपनी आय को व्यय करते हैं।

7. 4000 रु0 से 4500 रु0 के मध्य प्राप्त करने वाले श्रमिकों में 2प्रतिशत श्रमिक ही 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत अपनी आय को, व्यय करते हैं।

8. 4500 रु0 से 5000 रु0 के मध्य आय प्राप्त करने करने वाले श्रमिकों में से 1 प्रतिशत श्रमिक 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के मध्य अपनी आय को व्यय करते हैं।

9. 5000 रु0 से 5500 रु0 के मध्य आय प्राप्त वाले श्रमिकों में 2 प्रतिशत श्रमिक 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत, 2 प्रतिशत श्रमिक 90 से 100 प्रतिशत ही अपनी आय को व्यय करते हैं।

6.3 स्टोन क्रेशर श्रमिकों की आय एवं बचत में अर्न्तसम्बन्धः-

आय का वह माग जो उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता है वचत कहलाता हैं जिस प्रकार से आय एवं व्यय में अर्न्तसम्बन्ध पाया जाता है उसी प्रकार आय एवं बचत में भी अर्न्तसम्बन्ध पाया जाता है। आय एवं व्यय के अर्न्तसम्बन्ध को सारणी संख्या 6.2 के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-

सारणी संख्या 6.2 से स्पष्ट है कि-

1. 1000 रु0 से 1500 रू0 तक के मध्य वाला आय प्राप्त श्रमिकों में कोई भी श्रमिक

सारणी संख्या 6.2

स्टोन क्रेशर श्रमिकों के आय एवं बचत में अन्तर्सम्बन्ध

व्यय वर्ग / आय वर्ग(रु०में)	कुल मासिक आय में कुल बचत का प्रतिशत										योग %
	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	
1000-1500											00
1500-2000	01										01
2000-2500	01	02		01							04
2500-3000	01	02	06								09
3000-3500	08	01	01								10
3500-4000		03				01					04
4000-4500				01							01
4500-5000		01									01
5000-5500				02							02
योग	11	09	07	04		01					32

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची।

बचत नहीं कर पाता है।

2. 1500 रु0 से 2000 रु0 के मध्य आय प्राप्त करने वाले श्रमिक में 1 प्रतिशत श्रमिक 0 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के मध्य अपनी आय से बचत करते हैं।

3. 2000 रु0 से 25000 रु0 के मध्य आय प्राप्त करने वाले श्रमिक में से 1 प्रतिशत श्रमिक 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के मध्य एवं 1 प्रतिशत श्रमिक 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत अपनी आय से बचत करते हैं।

4. 2500 से 3000 रु0 के मध्य आय प्राप्त करने वाले श्रमिकों में से 1 प्रतिशत श्रमिक 0 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के मध्य 2 प्रतिशत श्रमिक 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के मध्य एवं 6 प्रतिशत श्रमिक 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत अपनी आय से बचत करते हैं।

5. 3000 रु से 3500 रु0 के मध्य आय प्राप्त करने वाले श्रमिकों में से 8 प्रतिशत श्रमिक 0 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के मध्य, 1 प्रतिशत श्रमिक 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के मध्य एवं 1 प्रतिशत श्रमिक ही 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के मध्य अपनी आय से बचत करते हैं।

6. 3500 रु0 से 4000 रु0 के मध्य आय प्राप्त करने वाले श्रमिकों में 3 प्रतिशत श्रमिक 10प्रतिशत से 20 प्रतिशत के मध्य एवं 1 प्रतिशत श्रमिक 50 प्रतिशत के मध्य अपनी आय से बचत करते हैं।

7. 4000 रु से 4500 रु के मध्य आय प्राप्त करने वाले श्रमिकों में 1 प्रतिशत श्रमिक 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के मध्य अपनी आय से बचत करते हैं।

8. 4300 रु0 से 5000 रु0 के मध्य आय प्राप्त करने वाले श्रमिकों में से 1 प्रतिशत श्रमिक 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के मध्य अपनी आय से बचत करते है।

9. 5000 रु0 से 5500 रु0 के मध्य आय प्राप्त करने वाले श्रमिकों में 2 प्रतिशत श्रमिक 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के मध्य अपनी आय से बचत करते हैं।

6.4 व्यय एवं बचत में अर्न्तसम्बन्ध-

शोध अध्ययन के माध्यम से झांसी जनपद के स्टोन क्रेशर श्रमिकों के व्यय एवं वचत के संदर्भ विशेष में यह प्रस्थापना रखी जा सकती है कि इन श्रमिकों की आय के ढाँचे में स्थैतिक परिवर्तन है। वस्तुतः इनके व्यय के साथ-साथ आय में उर्ध्वमुखी परिवर्तन नहीं होता है अतः बचत में भी स्थैतिक परिवर्तन ही लक्षित होता है। ऐसी परिस्थिति में यदि उनके द्वारा व्यय की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो निश्चिय ही उनकी बचत के द्वारा उत्पन्न होगा। इसके विपरीत यदि उनके द्वारा बचत की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो निश्चय ही उनके व्यय में कमी आयेगी व्यय एवं बचत के अर्न्तसम्बन्ध को सारणी संख्या 6.3 के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

1. 100 से 500 रु0 के मध्य व्यय करने वाले स्टोन क्रेशर श्रमिकों में से 1 प्रतिशत श्रमिक 50 से 100 रु0 के मध्य बचत करते हैं।
2. 500 रु0 से 1000 रु0 के मध्य व्यय करने वाले स्टोन क्रेशर श्रमिकों में से 2 प्रतिशत श्रमिक 50 से 100 रु0 के मध्य एवं 2 प्रतिशत श्रमिक 150 रु0 से 200 रु0 के मध्य बचत करते हैं।
3. 1000 रु0 से 1500 रु0 के मध्य व्यय करने वाले श्रमिकों में से 3 प्रतिशत श्रमिक 50 से 100 रु0 के मध्य, 8 प्रतिशत श्रमिक 50 रु0 से 100 रु0 के मध्य एवं 2 प्रतिशत श्रमिक 200 रु0 से 250 रु के मध्य बचत करते हैं।
4. 1500 रु0 से 2000 रु0 के मध्य व्यय करने वाले श्रमिकों में से 5 प्रतिशत श्रमिक 50 रु0 से 100 रु0 के मध्य एवं 1 प्रतिशत श्रमिक 100 रु0 से 150 रु0 के मध्य बचत करते हैं।
5. 2000 रु0 से 2500 रु0 के मध्य व्यय करने वाले स्टोन क्रेशर श्रमिकों में से 3 प्रतिशत श्रमिक 100 रु0 से 150 रु0 के मध्य एवं 1 प्रतिशत श्रमिक 200 रु0 से 250 रु0 के मध्य बचत करते हैं।
6. 2500 रु0 से 3000 रु0 के मध्य व्यय करने वाले स्टोन क्रेशर श्रमिकों में से 1 प्रतिशत श्रमिक 150 रु0 से 250 रु0 के मध्य बचत करते हैं।

सारणी संख्या 6.3

स्टोन क्रेशर श्रमिकों के व्यय एवं बचत में अन्तर्सम्बन्ध

व्यय वर्ग आय वर्ग(रु०में)	कुल मासिक आय में कुल व्यय का प्रतिशत										
	50-100	100-150	150-200	200-250	250-300	300-350	योग %				
100-500	01						01				
500-1000	01	02					03				
1000-1500	03	08					13				
1500-2000	05	01					06				
2000-2500		03		01			04				
2500-3000			01		01		02				
3000-3500	01					01	02				
3500-4000					01		01				
योग	11	14	01	04	01	01	32				

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची।

7. 3000 रु0 से 3500 रु0 के मध्य व्यय करने वाले स्टोन क्रेशर श्रमिकों में से 1 प्रतिशत श्रमिक 50 रु0 से 100 रु0 के मध्य एवं 5 प्रतिशत श्रमिक 300 रु0 से 350 रु0 के मध्य बचत करते हैं।
8. 3500 रु0 से 4000 रु0 के मध्य व्यय करने वाले स्टोन क्रेशर श्रमिकों में से 1 प्रतिशत श्रमिक 200 रु0 से 250रु0 के मध्य बचत करते हैं।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि स्टोन क्रेशर श्रमिकों की आय निम्न होने के कारण तथा व्यय अधिक होने के कारण उनकी बचत की मात्रा अत्यल्प है। इसी कारण उन्हें अनेक समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है जिनका विवरण अगले अध्याय में दिया जायेगा।

सप्तम अध्याय

सकल्पनाओं का सत्यापन एवं निष्कर्ष बिन्दु

"The SERPENT (TO EVE).......................................

"When you and Adam talk, I hear you say "Why ?" Always "Why?" you see things; and you say "Why ?"

❑ Bernard Shaw

7.1 संकल्पनाओं का सत्यापनः-

इस बिन्दु के अन्तर्गत प्रथम अध्याय में दी गयी संकल्पनाओं का सत्यापन इस शोध प्रबन्ध के सम्पूर्ण विश्लेषण के आधार पर किया जायेगा। संकल्पनाओं का सत्यापन अग्रलिखित बिन्दुओं द्वारा किया गया है-

1. **झांसी जनपद के स्टोन क्रेशर श्रमिकों का वेतन एवं मजदूरी लगभग स्थिर एवं निम्न हैः-**

   सम्पूर्ण विश्लेषण के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सम्पूर्ण अध्ययन अवधि में स्टोन क्रेशर श्रमिकों की आय लगभग स्थिर एवं निम्न है जो 1000 रु0 से 5000 रु0 के मध्य है।

2. **जनपद के स्टोन क्रेशर श्रमिकों का उपभोग व्यय उच्च एवं वृद्धिमान स्थिति में हैः-**

   श्रमिकों में उपभोग प्रवृत्ति उच्च होने के कारण उनका उपभोग व्यय उनकी आय के

अनुपात से अधिक है तथा उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती जा रही है।

3. **जनपदीय स्टोन क्रेशर श्रमिकों की बचत अल्प मात्रा में होती है-**

स्वाभाविक सी वात है उपभोग व्यय जब आय की अनुपात से अधिक होगा तो वचत होने का सवाल ही नही है। यही कारण है कि स्टोन क्रेशर श्रमिकों की वचत अल्प मात्रा में होती है।

4. **जनपदीय स्टोन क्रेशर श्रमिक कर्ज के जाल में फँसे हैं:-**

चूंकि श्रमिकों का उपभोग व्यय आय से अधिक होता है इसलिए बचत हो नहीं पाती है अतः जरा से आकस्मिक खर्च के आ जाने पर उन्हें कर्ज की सहायता लेनी पड़ जाती है। यही कारण है कि अधिकांश श्रमिक कर्ज के जाल में फंसे हुए है।

5. **जनपदीय स्टोन क्रेशर श्रमिकों में गतिशीलता का लगभग अभाव है:-**

चूंकि झांसी जनपद एवं पड़ोस के जनपदों में उद्योग धन्धों का लगभग अभाव सा होने के कारण अवसरों का भी अभाव है अतः स्टोन क्रेशर श्रमिकों में गतिशीलता का आभाव है।

6. **जनपदीय स्टोन क्रेशर श्रामिकों एवं क्रेशर मालिकों में सामान्य सम्बन्ध हैं:-**

सर्वेक्षण के दौरान पाया गया है कि सेवायोजको एवं क्रेशर श्रमिकों में सामान्य सम्बन्ध स्थापित हैं।

7. **जनपदीय स्टोन क्रेशर श्रमिकों को अपर्याप्त एवं अनियमित से मजदूरी प्राप्त होती है:-**

सेवायोजकों द्वारा तत्परता न दिखाने के कारण श्रमिकों को अनियमित एवं अपर्याप्त मजदूरी प्राप्त होती है।

8. **इस जनपद के स्टोन क्रेशर श्रमिक अधिकांशतः कम शिक्षित एवं अप्रशिक्षित हैं-**

श्रमिकों में लगभग 42 प्रतिशत श्रमिक साक्षर हैं लेकिन लगभग सभी श्रमिक अप्रशिक्षित हैं।

9. **जनपदीय स्टोन क्रेशर श्रमिकों को स्टोन क्रेशर मालिकों द्वारा पर्याप्त मात्रा में श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं:-**
श्रमिकों के कल्याणार्थ क्रेशर मालिकों द्वारा अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है लेकिन वे अपर्याप्त हैं।

10. **स्टोन क्रेशर श्रमिक वर्ग अपने वर्तमान कार्य से संतुष्ट हैं:-**
सर्वेक्षण के दौरान पाया गया है कि अधिकांश श्रमिक अपने कार्य से सन्तुष्ट पाये गये हैं और उन्हें अपने भाग्य से शिकायत नहीं है।

उपर्युक्त संरचित संकल्पनाओं का सत्यापन 5 प्रतिशत महत्ता के स्तर पर किया जा रहा है।

7.2 निष्कर्ष विन्दु:-

निष्कर्षो एवं सुझावों के निरूपण के अभाव में अनुसंधान कार्य अपनी पूर्णतः को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन विभिन्न अर्थिक तत्वों को संजोए हुए एक निष्कर्षात्मक प्रकृति का अनुभवगम्य अध्ययन है जिसके अध्ययनोपरान्त निष्कर्षो को निम्न प्रकार से रूपायित किया जा सकता है।

झांसी जनपद उत्तर-प्रदेश के अन्य विकसित जनपदों की तुलना में एक पिछडा हुआ जनपद है। इस जनपद के स्टोन क्रेशर श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रणाली प्रदूषित है। इस व्यवसाय में विनियुक्त जनसंख्या में से अधिकांश स्टोन क्रेशर श्रमिक 18 से 48 वर्ष की आयु के हैं। 48 वर्ष की आयु के उपरान्त आयु में वृद्धि के साथ-साथ स्टोन क्रेशर श्रमिकों की संख्या में कमी आती चली गयी है। इस व्यवसाय में कार्यरत श्रमिकों में से अधिकतर पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रमुख रूप से पिछड़ी हुयी एवं अनुसूचित जातियाँ ही इस व्यवसाय में संलग्न है। इस व्यवसाय में कार्यरत श्रमिकों में से अधिकांश श्रमिक अकुशल हैं। इसी प्रकार शैक्षणिक संरचना के संदर्भ में यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 28 प्रतिशत श्रमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हैं, 18 प्रतिशत श्रमिकों का शैक्षिक स्तर हाईस्कूल तक का है तथा 40 प्रतिशत श्रमिक निरक्षर हैं। इस व्यसाय में विनियुक्त जनसंख्या इस व्यवसाय में आने से पूर्व या तो इसी प्रकृति के व्यवसायों में संलग्न थी, या बेरोजगार थी। इस व्यवसाय में आने का प्रमुख कारण धनाभाव

एवं बेरोजगारी है।

स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। श्रमिकों की न्यूनतम् आय 1000-1500 से अधिकतम् 4500 से 5000 रु0 के बीच है। अधिकांश स्टोन क्रेशर श्रमिक 2000 रु0 से 2500 रु0 के मध्य आय प्राप्त करते हैं। आय के अन्य स्त्रोतों के रुप में कृषि कार्य, पुताई कार्य, बढ़ईगिरी, गृह-निर्माण कार्य एवं अन्य कार्य हैं। सर्वाधिक प्रचलित कृषि कार्य है।

स्टोन क्रेशर श्रमिकों द्वारा सामान्य उपभोग में 12 वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है जिसमें से खाद्यान्न, वस्त्र, सब्जी, मसाला एवं तेल का शत-प्रतिशत तथा अन्य वस्तुओं का उपभोग अपेक्षाकृत कम किया जाता है। सामान्य उपभोग की बस्तुओं पर स्टोन क्रेशर श्रमिक अपनी मजदूरी आय का लगभग दो तिहाई भाग व्यय कर देते हैं। स्टोन क्रेशर श्रमिकों द्वारा आवास पर कम व्यय किया जाता है। अधिकांश श्रमिक 50 से 100 रु0 के मध्य आवास पर व्यय करते हैं। इन श्रमिकों का विलासिता गत व्यय निम्न स्तर का है। केवल 56 प्रतिशत श्रमिक ही विलासितागत व्यय करते हैं जबकि 44 प्रतिशत श्रमिक विलासितागत व्यय नहीं करते हैं। मनोरंजन पर व्यय करने वाले श्रमिकों की संख्या 68 प्रतिशत है। अधिकांश स्टोन क्रेशर श्रमिक 25 से 50 रु0 के मध्य मनोरंजन पर व्यय करते हैं। स्टोन क्रेशर श्रमिकों का शिक्षापरक व्यय अत्यन्त ही कम है। अधिकांश श्रमिक 10 से 20 रु0 के मध्य शिक्षा पर व्यय करते हैं। केवल 42 प्रतिशत श्रमिक ही शिक्षा पर व्यय करते हैं जबकि 58 प्रतिशत श्रमिकों का शिक्षापरक व्यय शून्य है। स्टोन श्रमिकों द्वारा चिकित्सा पर किया जाने वाला व्यय सामान्य है। अधिकांश श्रमिक 0 से 25 रु0 के मध्य चिकित्सा परक व्यय करते हैं। यातायात परक व्यय भी इन श्रमिकों का सामान्य ही है। अधिकांश श्रमिक 25 से 50 रु0 के मध्य यातायात पर खर्च करते हैं। स्टोन क्रेशर श्रमिकों द्वारा मादक द्रव्यों पर अत्यधिक व्यय किया जाता है अधिकांश श्रमिक 40 से 60 रु0 के मध्य मादक द्रव्यों पर व्यय करते हैं। स्टोन क्रेशर श्रमिकों द्वारा आकस्मिक लाभ हेतु किया जाने वाला व्यय अत्यन्त ही कम है। अधिकांश श्रमिक 0 से 10 रु0 के मध्य आकस्मिक लाभ हेतु व्यय करते हैं।

झांसी जनपद में स्टोन क्रेशर श्रमिकों की मजदूरीगत आय उनकी आवश्यकता की तुलना में कम है। बर्तमान समय में विद्यमान स्फीतिक दशाओं के कारण सामान्य उपभोग एवं अन्य

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में निरन्तर ही वृद्धि हो रही है। फलतः अधिकांश श्रमिकों को अपनी मजदूरीगत आय को व्यय के रूप में परिवर्तित कर देना पड़ता है जिससे वे बचत नहीं कर पाते हैं। केवल 32 प्रतिशत श्रमिक ही नियमित रूप से बचत करते हैं जबकि 68 प्रतिशत श्रमिक बचत नहीं कर पाते हैं। अधिकांश श्रमिक 100 से 150 रु0 के मध्य बचत करते हैं। श्रमिकों की बचत करने के मुख्य स्रोत व्यावसायिक राष्ट्रीयकृत बैंक, डाकखाना, जीवन बीमा, गैर बैकिंग संस्थाएं एवं आय स्थ्रोतों पर स्वतः कटौती द्वारा है। उल्लेखनीय है कि अधिकांश श्रमिक आय स्थ्रोतों पर स्वतः कटौती द्वारा बचत करते हैं।

स्टोन क्रेशर श्रमिकों से उनके व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि 32 प्रतिशत श्रमिक वर्तमान व्यवसाय के प्रति सन्तुष्ट हैं जबकि 68 प्रतिशत श्रमिक वर्तमान व्यवसाय से असन्तुष्ट हैं। असन्तुष्टि एवं संतुष्टि के कारणों के मूल्यांकन से यह ज्ञात हुआ है कि सभी संतुष्ट श्रमिकों द्वारा कोई ऐसा ठोस स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया है जो कि उनके संतुष्ट होने के तथ्य को सिद्ध कर पाता। अतः वास्तव में, यह श्रमिक न तो संतृष्ट हैं और न ही असन्तुष्ट बल्कि तटस्थ है।

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की आर्थिक-सामाजिक एवं जीवन यापन संवधी कठिनाइयों के विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आये हैं कि कम मजदूरी अधिक काम, उपयोग व्यय में अधिकता, श्रमिकों का शोषण, कुपोषण, मुखमरी एवं आवास संबंधी प्रमुख समस्याएं हैं साथ ही यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि शासन द्वारा निर्धारित श्रम नीतियों का प्रयोग सेवायोजकों द्वारा नगण्य रूप में किया जाता है।

7.3 स्टोन क्रेशर श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक समस्याएंः-

स्टोन क्रेशर उद्योग असंगठित क्षेत्र का लघु उद्योग है। स्वाभाविक रूप से इसमें कार्यरत श्रमिक भी असंगठित हैं। परिणामस्वरूप श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से इनकी स्थिति चिन्ताजनक एवं सोचनीय बनी हुई है। आठवीं एवं नौवीं पंचवर्षीय योजना की श्रम नीतियों के माध्यम से भी कोई विशिष्ट परिवर्तन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन-स्तर में नहीं आया है। इसके विपरीत संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हित साधन हेतु अनेक सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चल रही हैं। इनमें कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी भविष्य-निधि योजना, श्रमिकों

और उनके परिवारों के लिये मृत्यु राहत और परिवार पेन्शन आदि सम्मिलित हैं। संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले समस्त श्रमिकों के लिये कार्य की शर्ते फैक्ट्री अधिनियम, 1948 द्वारा नियमित की जाती हैं।[10] इसके अनुसार प्रौढ़ श्रमिकों के लिये सप्ताह में 48 घण्टे कार्य करने के लिये निश्चित हैं। इसी प्रकार किसी कारखाने में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य पर लगाने की रोक है। अधिनियम के अन्तर्गत नियोक्ताओं को कारखाने में प्रकाश, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ वातावरण आदि के न्यूनतम मानक निश्चित हैं। आश्रय स्थल, विश्राम-गृह, मनोरंजन, कैंटीन, भोजनालय आदि की व्यवस्था संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में अपेक्षित है। संगठित क्षेत्र के लगभग समस्त कारखानों में स्त्री-पुरुष कर्मचारियों के लिये समान वेतन की व्यवस्था है। औद्योगिक विवादों के निर्णय के लिये विभिन्न उपचारात्मक व्यवस्थाएं की गयी हैं इससे पृथक यदि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति यह है कि सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों का इस क्षेत्र में सर्वथा अभाव है। इस क्षेत्र में मशीनों का प्रयोग बढ़ा है फलतः दुर्घटनाएं बढ़ी हैं लेकिन स्थायी विकलांगकता की स्थिति में श्रमिकों के सम्यक् जीवन-यापन की व्यवस्था नहीं है। स्टोन क्रेशर उद्योग इस स्थिति का जीवित उदाहरण है। यहां कार्य के घण्टे व्यवहारतः निश्चित नहीं है। मजदूरी और आय प्राप्ति की दृष्टि से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रभावी अनुपालन न होने के कारण असंगठित श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम जीवन-निर्वाह के तुल्य भी नहीं हो पाती है। 1971 की महाजनगणना के अनुसार संगठित क्षेत्र के समस्त उद्योगों के श्रमिकों की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत प्राप्ति 11.36 रुपये थी। कुछ अन्य उद्योगों यथा आधारिक धातुएं, पेट्रोलियम, विद्युत आदि उद्योगों में श्रमिकों की औसत प्राप्ति अपेक्षाकृत अधिक रही है। दूसरी ओर असंगठित क्षेत्र के पुरुष मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी 1971 की जनगणना के अनुसार 1.54 रुपये रही है।[11] वस्तुतः असंगठित क्षेत्र

10- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा दी गयी एक परिभाषा के अनुसार ''सामाजिक सुरक्षा से अभिप्राय इस सुरक्षा से है जो समाज उपयुक्त संगठन द्वारा उन निश्चित जोखिमों के विरुद्ध प्रदान करता है जिनके समाज के सदस्य शिकार हो सकते हैं।''

11- डॉ० बद्री विशाल त्रिपाठी : भारतीय अर्थव्यवस्था (नियोजन एवं विकास), किताब महल, इलाहाबाद, 1999, पृष्ठ 413

में महिलाओं और वच्चों को मिलने वाली मजदूरी अत्यन्त कम है जो कि इनके शोषण का प्रतीक है। संगठित क्षेत्र के श्रमिक संघों के माध्यम से कभी-कभी निषेधात्मक उपाय अपनाकर अपनी प्राप्तियां बढ़ाने में सफल हो जाते हैं। विभिन्न अधिनियम भी उनके हितों का पोषण करते हैं। इन दोनों ही माध्यमों का प्रयोग असंगठित क्षेत्र के श्रमिक नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार अत्यन्त निम्नस्तरीय मजदूरी के परिप्रेक्ष्य में असंगठित क्षेत्र के मजदूर गरीवी के पर्यायवाची वन जाते हैं। किसी प्रकार की वास्तविक सुविधाओं के अभाव में असंगठित मजदूरों की आय अत्यन्त कम हो जात है। बढ़ती हुई कीमतों के परिप्रेक्ष्य में इनकी मजदूरी का प्रभाव अत्यन्त कम हो जाता है। अल्प रोजगार एवं प्रछन्न बेरोजगारी इस क्षेत्र की समस्या बनी हुई है। बाल श्रमिक भी प्रयुक्त होते हैं तथा महिलाओं को समान कार्य के लिये असमान पारिश्रमिक दिया जाता है।

उपरोक्त सामान्यीकरण के आलोक में स्टोन क्रेशर श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक संमस्याएं निम्नवत् पर्यवेक्षित की गयी हैं।

सर्वेक्षण के दौरान झांसी जनपद के स्टोन क्रेशर श्रमिकों की अनेक समस्याओं कों पाया गया है। इन समस्याओं के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी अग्रलिखित बिन्दुओं द्वारा दी जा सकती है।

7.4.1 कम मजदूरी, अधिक कार्यः-

झांसी जनपद में स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्यरत श्रमिको की प्रमुख समस्या यह है कि वे जो परिश्रम करते हैं उसकी तुलना में उनको कम प्रतिफल प्राप्त होता है। ध्यातव्य है कि शासन द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि सेवायोजक श्रमिक वर्ग से आठ घण्टे कार्य लेगें और यदि सेवायोजक 8 घण्टे से अधिक कार्य लेते हैं तो उनको अतिरिक्त कार्य का दुगुनी मजदूरी के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया है कि श्रमिकों से 8 घण्टे से अधिक कार्य लिया जाता है और सेवायोजकों द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि उनको कम से कम मजदूरी देनी पड़े। यदि अतिरिक्त कार्य की मजदूरी का भुगतान सेवायोजकों द्वारा करना भी पड़ता है तो यह शासन द्वारा निर्धारित दर से अत्यन्त कम होता है।

7.4.2 कम आय, अधिक व्ययः-

झांसी जनपद में कार्यरत स्टोन क्रेशर श्रमिकों की दूसरी समस्या यह है कि उनको जो मजदूरी प्राप्त होती है वह शासन द्वारा निर्धारित मजदूरी से कम होती है जिससे उनकों आय कम प्राप्त हो पाती है। जैसा कि पूर्व विदित है कि स्टोन क्रेशर श्रमिकों में उपभोग प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है जिससे उनका व्यय अधिक हो जाता है। फलतः उनको आय-व्यय के समायोजन के सन्दर्भ में अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है।

7.4.3 असमान वितरण की समस्याः-

स्टोन क्रेशर उद्योग में सेवायोजकों द्वारा किसी श्रमिक को अधिक एवं किसी श्रमिक को कम वेतन दिया जाता है। ध्यातव्य है कि सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अन्तर्गत किसी भी प्रतिष्ठान, वाणिज्य संस्थान एवं कारखाने में कार्य करने वाली महिला श्रमिक को पुरुष श्रमिक के समान वेतन दिलाये जाने का प्रावधान है। परन्तु सर्वेक्षण से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि शत-प्रतिशत प्रतिष्ठान इस प्रकार के हैं जहां पुरुष श्रमिकों की अपेक्षाकृत महिला श्रमिकों की मजदूरी अत्यन्त कम हैं। इस प्रकार से झांसी जनपद में स्टोन क्रेशर श्रमिकों के सन्दर्भ में असमान वितरण की समस्या जन्म ले लेती है।

7.4.4 वातावरण की समस्याः-

झांसी जनपद के अधिकांश स्टोन क्रेशरों में गन्दा वातावरण विद्यमान हैं यही गंदा वातावरण स्टोन क्रेशर श्रमिकों के लिए एक समस्या का रुप धारण कर लेता है। गंदे वातावरण के प्रभाव से कई प्रकार के रोगों का जन्म होता है। फलतः उनकी कुशलता में कमी आ जाती है।

7.4.5 बड़े परिवार की समस्याः-

झांसी जनपद के स्टोन क्रेशर श्रमिकों में अधिकांश श्रमिक अशिक्षित श्रेणी से सम्वद्ध हैं। श्रमिक वर्ग में व्याप्त इस अशिक्षा के कारण बड़े परिवार का उदय हुआ है। श्रमिकों के परिवार में अधिक व्यक्ति होने के कारण वे उनका पालन पोषण उचित ढंग से नहीं कर पाते हैं। स्टोन क्रेशर श्रमिकों में व्याप्त यह समस्या एक प्रमुख समस्या का रूप धारण कर लेती है।

7.4.6 चिकित्सा की समस्याः-

वातावरण की ही समस्या से जुड़ी हुयी श्रमिक वर्ग की यह एक प्रबल समस्या है। चिकित्सा की समस्या के कारण स्टोन क्रेशर श्रमिकों को अपनी निम्न मजदूरी गत आय का एक प्रमुख अंश व्यय कर देना पड़ता है जैसा कि व्यय के विश्लेषण में व्याख्यायित है। चिकित्सा के सन्दर्भ में यह श्रम नीति पारित की गयी है कि यदि किसी श्रमिक के कार्य करते समय चोट लग जाये या उसकी मृत्यु हो जाये तो उसके अनुसार क्षति पूर्ति के रुप में उसको या उसके उत्तराधिारी को धनराशि प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही शासन द्वारा यह नीति भी निर्धारित की गयी है कि महिला श्रमिकों को गर्भावस्था में मातृत्व अवकाश दिया जाये तथा उन्हें उस अवधि का पूर्ण वेतन भी दिया जाये। स्टोन क्रेशर श्रमिकों के सर्वेक्षण के द्वारा यह तथ्य प्रकाश में आया है कि शासन द्वारा निर्धारित इस चिकित्सा सम्बन्धी नीति का पूर्णतः उल्लघंन किया जाता है। और चोट या बीमारी से ग्रस्त श्रमिकों को क्षति पूर्ति ना देकर उनको निकाल दिया जाता है तथा उनके स्थान पर नये श्रमिकों को कार्य पर लगा दिया जाता है।

7.4.7 आवास की समस्याः-

झांसी जनपद में स्टोन क्रेशर श्रमिकों की समस्याओं के सन्दर्भ में आवास की समस्या एक उल्लेखनीय भूमिका अदा करती है। भोजन तथा कपड़ा के बाद आवास का ही स्थान आता है। उचित आवास के अभाव के कारण बीमारियों फैलती हैं, व्यक्तियों में असन्तोष व्याप्त हो जाता है तथा उनमें असभ्यता और निर्दयता आ जाती है। सर्वेक्षण के द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि झांसी जनपद की सभी स्टोन क्रेशरों में आवास का प्रबन्ध नहीं है तथा श्रमिकों को अपने कार्यस्थल से

दूर खराब तथा गंदे वातावरण में कम किराये पर आवास का प्रबन्ध करना पड़ता है क्योंकि वे अच्छे स्थान. पर अच्छा आवास प्रवन्ध कम मजदूरी के कारण नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से स्टोन क्रेशर श्रमिकों के दैनिक जीवन में आवास की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है।

7.4.8 ऋण ग्रस्तता की समस्याः-

स्टोन क्रेशर श्रमिकों की समस्याओं के सन्दर्भ में अगली महत्वपूर्ण समस्या ऋण ग्रस्तता की समस्या है। श्रमिक वर्ग के आर्थिक जीवन की एक प्रावैगिक विशेषता यह है कि ''अधिकांश श्रमिक ऋण में जन्म लेते हैं, ऋण में ही जीवन यापन करते हैं और अन्त में ऋण में ही मर जाते हैं।'' सर्वेक्षण के द्वारा यह प्रकाश में आया है कि स्टोन क्रेशर श्रमिकों में व्याप्त ऋण ग्रस्तता का मुख्य कारण यह है कि उनकी आय उनके द्वारा किये जाने वाले व्यय से कम है। झांसी जनपद में ऐसा कोई शक्तिशाली श्रम संगठन नहीं है जिसके द्वारा ये अपनी मजदूरी को ठीक प्रकार से प्राप्त कर सकें। जब श्रमिकों का व्यय उनको प्राप्त होने वाली आय से अधिक हो जाता है तो उनको ऋण की सहायता लेनी पड़ती है क्योंकि स्टोन क्रेशर श्रमिकों में वचत प्रवृत्ति कम पायी जाती है। अतः परिवार में बीमारी, विवाह, उत्सवों, मुकदमों आदि के लिए ऋण लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बर्खास्तगी, हड़ताल एवं तालाबन्दी के दौरान भी श्रमिकों को ऋण का सहारा लेना पड़ता है। सर्वेक्षण के द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि स्टोन क्रेशर उद्योग में विनियुक्त श्रमिकों में अधिकांशतः श्रमिक ऋण ग्रस्त हैं।

7.4.9 शोषण की समस्या-

वर्तमान समय में श्रमिकों की समस्याओं के सन्दर्भ विशेष में एक महत्वपूर्ण समस्या शोषण की समस्या है। अधिकांश सेवायोजकों द्वारा इन श्रमिकों का शोषण किया जाता है। सरकार की ओर से इन श्रमिकों को मंहगाई भत्ता आदि देने का प्रावधान है लेकिन अधिकारी सेवायोजक श्रमिकों को यह मंहगाई भत्ता नहीं देते है। इसके साथ ही शासन द्वारा निर्धारित यह नियम भी उल्लेखनीय है कि ऐसे प्रतिष्ठानों का जहां पर 5 या 5 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, भारतीय

कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा पंजीयन होता हैं, जिसके अन्तर्गत ऐसे प्रतिष्ठानों में संलग्न श्रमिकों को कारखाना अधिनियम के तहत सभी सुविधाएं जैसे बोनस आदि भी मिलनी चाहिए। सर्वेक्षण के द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि प्रत्येक स्टोन क्रेशर का पंजीयन है एवं ये 'भारतीय कारखाना अधिनियम' के अन्तर्गत आते हैं। लेकिन फिर भी लगभग प्रत्येक सेवायोजक भारतीय कारखाना अधिनियम की अवहेलना करते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि अधिकारी सेवायोजकों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है।

7.4.10 मनोरंजन की समस्याः-

झांसी जनपद में स्टोन क्रेशर श्रमिकों की समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में अगली समस्या मनोरंजन की समस्या है। स्टोन क्रेशर श्रमिकों का अधिकांश समय शारीरिक श्रम में संलग्न रहता है। एक दिन के साप्ताहिक अवकाश में वे मनोरंजन करने की चेष्टा करते हैं लेकिन आय के कम होने एवं उपयुक्त मनोरंजन के साधनों के उपलब्ध न होने के कारण वे मनोरंजन से वंचित रहते हैं। मनोरंजन न होने से इन श्रमिकों में मानसिक तनाव की स्थिति प्रभावी हो जाती है। फलस्वरूप श्रमिकों का जीवन बोझ बन कर रह जाता है। समाज के अन्य वर्गो की अपेक्षा श्रमिक वर्ग के परिवारों की संख्या अधिक होती है। अर्थात जनसंख्या वृद्धि में स्टोन क्रेशर श्रमिकों की भूमिका की अधिक पायी जाती है जो कि ज्वलन्त समस्या है। वास्तव में, इस समस्या की उत्तरोत्तर वृद्धि का श्रेय मनोरंजन की समस्या है।

7.5 स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के उन्नयन हेतु सुझावः-

स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के उन्नयन हेतु कतिपय सुझाव निम्नवत हैं-

1. स्टोन क्रेशर श्रमिकों के आय के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि उनकी आय कम है अतः आय में वृद्धि करने के लिए सफल प्रयास किये जाने चाहिए। इसके लिए सरकार को आय के विभिन्न स्रोतों कि यह श्रमिक अतिरिक्त कार्य कर सकें, व्यवस्था करती चाहिए।

2. स्टोन क्रेशर श्रमिकों में व्यय प्रवृत्ति अत्यधिक है। इसके अधिक होने का मुख्य कारण यह है कि अधिकांश स्टोन क्रेशर श्रमिकों के परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है। अतः आय में जो वृद्धि होती हैं वह व्यय में और अधिक वृद्धि कर देती हैं इसके अतिरिक्त ये श्रमिक शराब, जुएं आदि पर अत्यधिक अपव्यय करते हैं। अतः इनकी व्यय प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। इसके लिए उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन करना चाहिए। उंनको यह बतलाना चाहिए कि वर्तमान, वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी है।
3. श्रमिकों को नियमित रूप से निर्धारित समय में मजदूरी प्रदान की जानी चाहिए।
4. शासन द्वारा निर्धारित कार्य के घण्टों में ही श्रमिकों से कार्य लेना चाहिए और अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त मजदूरी को दिया जाना चाहिए।
5. स्टोन क्रेशर श्रमिकों की मजदूरीगत आय में वृद्धि, मंहगाई में वृद्धि के सापेक्ष की जानी चाहिए।
6. मंहगाई भत्ता एवं अन्य प्रकार के सभी भत्तों जिनको कि सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है श्रमिकों को प्राप्त होना चाहिए।
7. श्रमिकों को बाजार मूल्य से कम मूल्य पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए सस्ते कन्ट्रोल की दुकानों की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए जिससे उनकी वास्तविक मजदूरी में वृद्धि होगी। फलतः वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकेंगे और बचत करने में भी सक्षम होगें।
8. आवास की समस्या को दूर करने के लिए सेवायोजकों को चाहिए कि वह कार्यस्थल के ही समीप श्रमिकों को आवास की सुविधा दें।
9. श्रमिकों में व्याप्त मानसिक तनाव को दूर करने क लिए सप्ताह में कम से कम एक बार मनोरंजन इत्यादि की निःशुल्क व्यवस्था की जानी चाहिए।
10. स्टोन क्रेशर श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
11. स्टोन क्रेशर श्रमिकों के कार्य करने के घण्टों को कम करना चाहिए।
12. स्टोन क्रेशरों में व्याप्त गन्दगी को दूर करना चाहिए जिससे श्रमिकों को बीमारियों

से बचाया जा सकें।

13. श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा निः शुल्क अथवा कम शुल्क पर की जानी चाहिए फलतः उनके अतिरिक्त व्यय में कमी होगी।

14. श्रमिकों द्वारा मादक द्रव्यों पर किये जाने वाले व्यय में कमी लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

15. स्टोन क्रेशर श्रमिकों को विशेष परिस्थितियों में अवकाश दिया जाना चाहिए जैसे महिला श्रमिकों को गर्भावस्था के समय मातृत्व अवकाश इत्यादि दिया जाना चाहिए एवं अवकाश के दिनों में मजदूरी पर कटौती नहीं करनी चाहिए।

16. स्टोन क्रेशर श्रमिकों की मजदूरी के संदर्भ में विद्यमान असमान वितरण की समस्या को दूर करने के लिए पुरुष श्रमिक के ही समान महिला श्रमिकों को भी मजदूरी मिलनी चाहिए।

17. श्रमिकों की बचत प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए उन्हें नयी-नयी एवं वचत योजनाओं से अवगत कराते रहना चाहिए।

18. स्टोन क्रेशर श्रमिकों को अपनी वचत में वृद्धि करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

19. सरकार को कठोरता के साथ निर्धारित श्रम नीतियों का पालन करवाना चाहिए। यदि कोई सेवायोजक इन नीतियों का पालन नहीं करता है तो उसे कठोर से कठोर दण्ड देना चाहिए।

20. स्टोन क्रेशर श्रमिकों में व्याप्त बड़े परिवार की समस्या को दूर करने के लिए उनको सीमित परिवार को अच्छाइयों तथा परिवार नियोजन के उपायों से अवगत कराया जाना चाहिए।

21. वृद्ध श्रमिकों को पेंशन की सुविधा दी जानी चाहिए जिससे श्रमिकों के शक्तिहीन होने के उपरान्त समाज में भुखमरी का जन्म न हो और श्रमिकों का जीवन स्तर ठीक प्रकार से चलता रहे।

यदि उपरोक्त सुझावों को कार्यान्वित किया जाय तो निश्चय ही स्टोन क्रेशर श्रमिकों की स्थिति में सुधार होगा, वे अपने भविष्य के प्रति आशन्वित होंगे, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, वे अधिक निष्ठा एवं ईमानदारी तथा कर्तव्य परायणता से कार्य करेंगे तथा वे अपने जीवन

-स्तर को सुधारने में सक्षम भी होंगे।

प्रस्तुत अध्याय में संकल्पनाओं के सत्यापन हेतु मुख्यतः संख्यिकीय विधि-काई-वर्ग परीक्षण विधि का प्रयोग किया गया है-

7.6 काई-वर्ग परीक्षणः-

काई-वर्ग जो कि वास्तविक एवं प्रत्याशित आवृत्तियों के अन्तर का एक माप है, का मुख्य उद्‌देश्य वास्तव में दो गुणों की स्वतन्त्रता की जांच करना है। इस सांख्यिकीय तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग प्रो० हेममर्ट द्वारा किया गया था लेकिन इसके विधिवत ढंग से विश्लेषण करने का श्रेय प्रो० कार्ल पियर्सन महोदय को है जिन्होने सन् 1900 में इसका सफल परीक्षण भी किया था। काई वर्ग जांचसे इस बात की जानकारी होती है कि समग्र विशेष में अवलोकन व प्रत्याशा का अन्तर क्या हमारी आधारभूत परिकल्पनाओं के गलत होने के कारण है, अथवा यह मात्र किसी संयोग अर्थात दैव का परिणाम है।

स्वातन्त्र्य जांच की विधिः- स्वतन्त्र्य जांच की विधि इस प्रकार है-

(1) शून्य परिकल्पनाः- सर्वप्रथम यह परिकल्पना की जाती है कि अमुक दोनों गुण पूर्णत स्वतन्त्र हैं अर्थात उनकी वास्तविक एवं प्रत्याशित आवृत्तियों का अन्तर शून्य है। वास्तव में, इस मान्यता को ही शून्य परिकल्पना कहा जाता है।

(2) काई-वर्ग का परिकलनः- ज्ञात अर्थात वास्तविक आवृत्तियों (f0) की सहायता से प्रत्याशित आवृत्तियाँ (f0) निकालकर और फिर निम्न सूत्र का प्रयोग करके काई-वर्ग का मूल्य (x2) ज्ञात कर लिया जाता है।

(3) स्वातन्त्र्य संख्याः- आसंग सारणी में कुछ कोष्ट ऐसे होते हैं जिनकी आवृत्तियों के निकालने की जरूरत नहीं होती अर्थात इन आवृत्तियों के निकालने की जरूरत नहीं होती अर्थात इन आवृत्तियों की गणना करने की स्वन्त्रता होती है। यदि न्यूनतम् आवृत्तियाँ हमें ज्ञात हो, शेष आवृन्तियाँ इनके ऊपर आधारित की जा सकती हैं अर्थात क्षैतिज जोड़ या उदग्र जोड़ में से घटाकर उन्हें मालूम किया जा सकता है। स्वतन्त्र आवृत्तियों की संख्या ही, वास्तव में,

स्वान्त्रय संख्या था स्वातन्तयांश कहलाती है जिसका सूत्र इस प्रकार है- d.f = (c-1) (r-1)

(4) काई-वर्ग तालिका का प्रयोग:- काई -वर्ग और स्वतन्त्र्यांश को ज्ञात करने के बाद (x^2) तालिका में से, एक निश्चित 'सार्थकता स्तर' पर और स्वातन्त्र्य संख्या से सम्बधिंत काई-वर्ग का मूल्य (x2 Value) देख लिया जाता है।

(5) परिकल्पना परीक्षण:- परीक्षण अर्थात निष्कर्ष की दृष्टि से जब (x2) का परिकलित मूल्य उसके सारणी मूल्य से अधिक होता है तो शून्य परिकल्पना गलत हो जाती है अर्थात उक्त दोनों गुण स्वतन्त्र न होकर परस्पर आश्रित या सम्वन्धित होते हैं। इसके विपरीत यदि परिकल्पित मूल्य, सारणी मूल्य से कम होता है तो शून्य परिकल्पना ठीक मान ली जाती है जिसका अर्थ यह हुआ कि दोनों गुण स्वतन्त्र है अर्थात उनमें गुण-साहचर्य नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

संरचित साक्षात्कार अनुसूची

झांसी जनपद के विभिन्न स्टोन क्रेशर्स में कार्यरत श्रमिक-वर्ग का आर्थिक सर्वेक्षण

सर्वेक्षणकर्ता - सुभाष चन्द्र यादव

(अ) सामान्य सूचनाएं-

1. श्रमिक का नाम.............................. 2. आयु............. 3. जाति...............
4. श्रमिक का शिक्षा स्तर........................ 5. प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित..................
6. परिवार के सदस्यों की संख्या...
7. स्वयं के परिवार के सदस्यों की संख्या...
8. मूल निवास..
9. वर्तमान निवास...
10. आवास स्वयं का है अथवा नहीं...
11. इस क्रेशर में काम करने का वर्ष...
12. पूर्व में जिस क्रेशर पर कार्य किया हो उसका नाम..
13. किस पद पर कार्य कर रहे हैं...
14. अन्य कोई व्यवसाय.................................. उससे आय.............................
15. वर्तमान कार्य से प्राप्त होने वाली मासिक आय रु० में ....

(ब) सामान्य सूचनाएं-

1. आप किस उम्र से स्टोन क्रेशर में कार्य कर रहे हैं?

   (1) बचपन से ☐ (2) 18 वर्ष की उम्र से ☐

   (3) 25 वर्ष की उम्र से ☐ (4) पिछले तीन वर्षो से ☐

2. आप किस कैटेगरी का कार्य कर रहे हैं?

   (1) श्रमिक के रूप में ☐ (2) तकनीशियन के रूप में ☐

   (3) प्रशासनिक कार्य ☐ (4) अन्य कोई कार्य ☐

3. आपने स्टोन क्रेशर में ही कार्य करने के लिए क्यों सोंचा ?

(1) कम पढ़े-लिखे होने के कारण ☐ (2) अन्य रोजगार न मिलने के कारण ☐

(3) इस कार्य में रुचि होने के कारण ☐ (4) बेरोजगारी के कारण ☐

4. आप किस आधार पर इस क्रेशर में कार्यरत हैं ?

(1) ठेके पर ☐ (2) डेलीवेजिज पर ☐

(3) प्रशासनिक कार्य ☐ (4) कार्य के आधार पर ☐

5. आपको वेतन प्राप्त होता है या मजदूरी ?

(1) मात्र वेतन ☐ (2) मात्र मजदूरी ☐

(3) मजदूरी व वेतन दोनों ☐ (4) आकस्मिक भुगतान ☐

6. यदि वेतन प्राप्त होता है तो मासिक कितना ?

(1) 1000-1500 ☐ (2) 1500-2000 ☐

(3) 2000-3000 ☐ (4) 3000 से अधिक ☐

7. क्या आपको वेतन पूरा दिया जाता है या अधिक पर हस्ताक्षर होते हैं।

8. यदि मजदूरी प्राप्त होती है तो मासिक रूप से कितनी ?

(1) 500 ☐ (2) 500-1000 ☐

(3) 1000-1500 ☐ (4) 1500-2000 ☐

9. क्या आपको जो मजदूरी दी जाती है उतने पर ही हस्ताक्षर कराये जाते हैं ?

(1) हां ☐ (2) नहीं ☐

(3) प्रायः ☐ (4) प्रायः नहीं ☐

10. क्या आपको क्रेशर मालिक से नियमित भुगतान प्राप्त होता है ?

(1) हां ☐ (2) नहीं ☐

(3) प्रायः ☐ (4) प्रायः नहीं ☐

11. क्या आवश्वयकता पड़ने पर क्रेशर मालिक ऋण अग्रिम प्रदान करता है ?

(1) हां ☐ (2) नहीं ☐

(3) प्रायः ☐ (4) प्रायः नहीं ☐

12. क्या आपको समयाधार पर मासिक मजदूरी प्राप्त होती है?

(1) हां ☐ (2) नहीं ☐

(3) प्रायः ☐ (4) प्रायः नहीं ☐

13. क्या आवश्यकता पड़ने पर क्रेशर मालिक चिकित्सा व्यय भी प्रदान करता है?

(1) हां ☐ (2) नहीं ☐

(3) प्रायः ☐ (4) प्रायः नहीं ☐

14. यदि नहीं तो क्या आपको कार्यानुसार मजदूरी प्राप्त होती है?

(1) हां ☐ (2) नहीं ☐

(3) प्रायः ☐ (4) प्रायः नहीं ☐

15. क्या आप इस वेतन/मजदूरी से जीवन निर्वाह स्तर व्यय पूरा कर लेते हैं?

(1) हां ☐ (2) नहीं ☐

(3) प्रायः ☐ (4) प्रायः नहीं ☐

16. क्या आप अपने पारिवारिक खर्चो को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं, किससे?

(1) क्रेशर मालिक से ☐ (2) आपस में ☐

(3) नातेदारों से ☐ (4) साहूकार से ☐

17. क्या आप मासिक आधार पर कुछ बचत भी कर लेते हैं?

(1) हां ☐ (2) नहीं ☐

(3) मुश्किल से ☐ (4) बिल्कुल नहीं ☐

18. यदि हाँ, तो आपकी मासिक बचत कितनी है।

(1) 0-200 ☐ (2) 200-400 ☐

(3) 400-800 ☐ (4) 800 से अधिक ☐

19. आप मासिक आधार पर मुख्य रूप से किन वस्तुओं पर ज्यादा खर्च करते हैं।

(1) भोजन पर ☐ (2) आवास पर ☐

(3) शिक्षा पर ☐ (4) चिकित्सा पर ☐

(5) मनोरंजन पर ☐ (6) यात्रा पर ☐

(7) आकस्मिक व्यय ☐

20. क्या आप पारिवारिक बजट बनाकर व्यय करते हैं ?

(1) हां ☐ (2) नहीं ☐

(3) प्रायः ☐ (4) प्रायः नहीं ☐

21. क्या आप मजदूरी/वेतन बढ़ाने हेतु प्रयास कर रहे हैं ?

(1) हां ☐ (2) नहीं ☐

(3) प्रायः ☐ (4) प्रायः नहीं ☐

22. क्या आपकी पत्नी भी आपके साथ कार्य करती है ?

(1) हां ☐ (2) नहीं ☐

(3) प्रायः ☐ (4) प्रायः नहीं ☐

23. क्या आप स्टोन क्रेशर के मालिक के व्यवहार से संतुष्ट हैं ?

(1) हां ☐ (2) नहीं ☐

(3) कभी-कभी ☐ (4) बिल्कुल नहीं ☐

24. क्या आप इस क्रेशर में स्थायी रूप से कार्यरत हैं ?

(1) हां ☐ (2) नहीं ☐

(3) अस्थाई रूप से ☐ (4) आकस्मिक रूप से ☐

25. क्या आप इस स्टोन क्रेशर को छोड़कर किसी अन्य क्रेशर पर काम करने चले जाते हैं ?

(1) हां ☐ (2) नहीं ☐

(3) कभी नहीं ☐ (4) प्रायः ☐

26. क्या आपका दुर्घटना बीमा है ?

(1) हां ☐ (2) नहीं ☐

(3) कभी-कभी किया जाता है ☐ (4) नहीं किया जाता है। ☐

27. क्या क्रेशर में कार्यरत होने के कारण आप किसी रोग से पीड़ित हैं ?

(1) शारीरिक रोग से ☐ (2) मानसिक रूप से ☐

(3) विकलांगता ☐ (4) कोई अन्य रोग ☐

परिशिष्ट 'व'

सारणी संख्या-1

जनपद झांसी : एक झलक

प्रशासनिक इकाईयां (संख्या) 31.3.2002

क्रम सं०	मद का नाम	विवरण
1.	तहसील	5
2.	सामुदायिक विकास खण्ड	8
3.	न्याय पंचायत	65
4.	ग्राम सभा	452
5.	ग्राम कुल (1991)	839
	(क) आवाद ग्राम	757
	(ख) गैर आबाद ग्राम	79
	(ग) वन ग्राम	3
6.	नगर एवं नगर समूह	14
	(क) नगर पालिका परिषद्	6
	(ख) नगर पंचायत	7
	(ग) छावनी परिषद्	2
7.	विकास प्राधिकरण	1

सारणी संख्या-2

जिल में तहसील, विकास खण्ड एवं नगर समूह

क्रम	तहसील	विकास खण्ड पंचायत कैण्टोनमेंट बोर्ड	नगर पालिका परिषद्/ नगर
1.	झांसी	बवीना	छावनी परिषद्, बबीना,
		बडागांव,	नगर पंचायत, बडागांव
			नं0पा0प0 वरूआसागर, नगर पालिका,
			झांसी कैण्ट बोर्ड, झांसी
2.	मोंठ	मोंठ	नगर पंचायत, मोंठ नगर पालिका
			परिषद्, समथर
		चिरगांव	नगर पालिका परिषद्, चिरगांव
3.	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	नगर पालिका परिषद, मऊरानीपुर
		बंगरा	नगर पंचायत, कटेरा नगर पंचायत,
			रानीपुर
4.	गरौठा	बामौर	नगर पंचायत, एरच नगर पंचायत,
			गरौठा
		गुरसरांय	नगर पालिका परिषद्, गुरसरांय
			नगर पंचायत, टोड़ी फतेहपुर
5.	टहरौली	-	-

सारणी संख्या-3

जनपदीय अर्थव्यवस्था से सम्बद्ध आधारभूत आंकड़े

जनपद में मातृभाषा के अनुसार जनसंख्या जनसंख्या - 1991

क्रम सं0	भाषाएं	कुल जनसंख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	हिन्दी	1385720	96.92
2.	उर्दू	27381	1.92
3.	पंजाबी	4495	0.31
4.	बंगाली	1346	0.09
5.	अन्य	9991	0.70
योग		1428933	99.95

सारणी संख्या-4

जनपद में प्रमुख धर्मानुसार जनसंख्या- 1991

क्र.स.	प्रमुख धार्मिक सम्प्रदाय	जनसंख्या			प्रतिशत
		कुल	ग्रामीण	नगरीय	
1	2	3	4	5	6
1	हिन्दू	1290948	816426	474522	90.29
2.	मुस्लिम	120329	44063	76266	8.42
3.	ईसाई	7071	838	6233	0.49
4.	सिक्ख	3816	225	3591	0.27
5.	बौद्ध	1203	947	256	0.08
6.	जैन	5973	703	5270	0.42
7.	अन्य	106	18	88	0.01
8.	अज्ञात	252	122	130	0.02
योग		1429698	863342	5663356	100.00

सारणी संख्या-5

जनपद में विकास खण्डवार यातायात एवं संचार सेवाएं

क्र.स.	वर्ष	डाकघर	तार घर	पी.सी.ओ.	टेलीफोन	रेलवे स्टे0/ हाल्ट	बस स्टाप
1	2	3	4	5	6	7	8
	1998-99	212	31	726	27796	18	111
	1999-00	212	31	701	34000	18	111
	2000-01	212	31	847	41136	18	111
	विकासखण्डवार वर्ष 2000-01 की स्थिति						
1.	मोठ	28	1	26	512	2	14
2.	चिरगांव	21	-	27	257	1	14
3.	बामौर	24	1	6	76	--	6
4.	गुरसराय	20	1	24	255	-	11
5.	बंगरा	17	1	17	690	2	10
6.	मऊरानीपुर	22	-	11	46	1	13
7.	बवीना	18	1	36	1835	3	14
8.	बड़ागांव	22	1	15	1961	3	14
	ग्रामीण	172	6	162	5632	12	96
योग	नगरीय	40	25	685	35504	6	15
	योग जनपद	212	31	847	41136	18	111

सारणी संख्या-6

आधारभूत आंकड़े

जिले का क्षेत्रफल, आवासीय मकान तथा परिवारों की संख्या वर्ष 1991,

क्र.सं0		मद का नाम	विवरण
1.1		क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0)	5024.0
1.2		आवासीय मकानों की संख्या	227704
1.3		परिवारों की संख्या	236641
2.		जनसंख्या (जनगणना) 1991 संख्या हजार में	
	1.	जनसंख्या	1429.70
		पुरूष	767.43
		स्त्री	662.27
		ग्रामीण	863.34
		नगरीय	566.36
		अनु0 जाति	411.79
		अनु0 जन जाति प्रतिशत	0.19
		कुल जन संख्या में नगरीय जनसंख्या	39.6
		अनु.जा./जन जा.	28.8
	2.	जनसंख्या का घनत्व	
		प्रतिवर्ग कि0मी0	284.57
	3.	जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत	25.7
	4.	प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या	963

सारणी संख्या-7

जनसंख्या का अर्थिक वर्गीकरण 1991

क्र.सं0	मद का नाम	विवरण
	कुल कर्मकार	499632
	कुल मुख्य कर्मकार	430958
1.	कृषक	200598
2.	कृषि श्रमिक	67214
3.	उद्योग एवं खान खोदना	995
4.	पारिवारिक	14789
5.	गैर पारिवारिक	25006
6.	व्यापार एवं वाणिज्य	68674
7.	सीमान्त कर्मकार	68674
8.	अन्य कर्मकार	52813

कुल मुख्य कर्मकारों का प्रतिशत 1991

क्र.सं0	मद का नाम	विवरण
1.	कृषक	46.5
2.	कृषि श्रमिक	15.6
3.	पारिवारिक उद्योग	3.4
4.	गैर पारिवारिक	5.8
5.	व्यापार एवं वाणिज्य	7.4

जनगणना के अनुसार प्रति दशक जनसंख्या (1991)

वर्ष	विवरण
1901	426875
1911	468327
1921	421828
1931	477544
1941	535878
1951	565933
1961	714448
1971	870138
1981	1137031
1991	1429698

सारणी संख्या-8
साक्षरता (1991) संख्या हजार में

क्र.सं0	मद	विवरण
1.	कुल साक्षर व्यक्ति	596.64
	पुरूष	417.31
	स्त्री	179.33
2.	साक्षरता प्रतिशत	
	कुल	51.6
	पुरूष	66.7
	स्त्री	33.7

सारणी संख्या-9
कृषि
क्रियात्मक जोतों को आकार वर्गानुसार संख्या एवं क्षेत्रफल
(कृषि गणना : वर्ष 1995-96)

क्रम सं०	आकार वर्ग	हेक्टेयर
1.	0.5 हेक्टेयर से कम	
	संख्या	54163
	क्षेत्र फल	14662
2.	0.5 से 1.00 हेक्टेयर से कम	
	संख्या	45533
	क्षेत्रफल	32381
3.	1.00 से 2.00 हेक्टेयर	
	संख्या	54032
	क्षेत्रफल	87736
4.	2.00 से 4.00 हेक्टेयर	
	संख्या	34984
	क्षेत्रफल	103483
5.	4.00 से 10 हेक्टेयर	
	संख्या	17986
	क्षेत्रफल	104809
6.	10 हेक्टेयर तथा उससे अधिक	
	संख्या	1270
	क्षेत्रफल	19033
	कुल जोतों की संख्या	
	संख्या	207968
	क्षेत्रफल	362104

सारणी संख्या-10

भूमि उपयोगिता वर्ष 1998-99 (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्रम	विवरण	क्षेत्रफल
1.	कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	499.61
2.	सकल बोया क्षेत्रफल	413.18
3.	वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	34.35
4.	ऊसर एवं खेती अयोग्य भूमि	31.75
5.	कुल बेकार भूमि	17.68
6.	खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि एवं चारागाह, वृक्षों झाड़ियों वर्तमान एवं अन्य परती की भूमि	66.54
7.	शुद्ध बोया क्षेत्रफल	349.26
8.	बाढ़ एवं वर्षा से प्रभावित क्षेत्र का प्रतिशत	
9.	कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल से शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का प्रतिशत	69.90
10.	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का सकल बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत	84.53

सारणी संख्या- 11

सिंचाई

सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्रफल वर्ष 1998-99 (क्षेत्रफल हेक्टेयर)

क्रम	मद	विवरण
1.	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	166.74
2.	सकल सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत	168.41
1.	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत	47.74
2.	सकल बोये गये क्षेत्रफल का सकल सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत	40.76

सारणी संख्या-12
विभिन्न सहकारी समितियों की सूचनाएं

क्रम	मद	विवरण
	प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां	
1.	संख्या	66
2.	सदस्य	154735
	क्रय विक्रय सहकारी समितियां	
1.	संख्या	6
2.	सदस्य संख्या	11081
3.	वर्ष में लेन देन (हजार रु०)	18373
	कुल सस्ते गल्ले की दुकान	
1.	ग्रामीण	539
2.	नगरीय	209
	प्रारम्भिक दुग्ध सहकारी समितियां	
1.	संख्या	68
2.	सदस्य संख्या	4420
3.	कार्यशील पूर्जी (000 रु.)	200
4.	वर्ष में विक्रय किये गये उत्पादन का मूल्य (000रु०)	6031

सारणी संख्या 13

क्रम	विभाग का नाम	विवरण		संख्या
1.	पशुपालन	1.	पशुचिकित्सालय संख्या	20
		2.	पशु सेवा केन्द्र	15
		3.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	9
		4.	कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	37
		5.	सूकर विकास केन्द्र	4
2.	बैक शाखायें	1.	व्यावसायिक बैंक	75
		2.	सहकारी बैंक	18
		3.	भूमि विकास बैंक	4
		4.	कुल जमा धनराशि (करोड़ रुपये)	109.75
3.	बस स्टेशन	1.	ग्रामीण	96
		2.	नगरीय	15
			कुल	111
4.	रेल्वे स्टेशन	1.	ग्रामीण	12
		2.	नगरीय	6
			कुल	18
5.	पुलिस स्टेशन	1.	ग्रामीण	8
		2.	नगरीय	18
			कुल	26
6.	डाक घर	1.	ग्रामीण	172
		2.	नगरीय	40
			कुल	212
7.	तार घर	1.	ग्रामीण	6
		2.	नगरीय	25
			कुल	31

सारणी संख्या-14

शिक्षा

1.	जूनियर वेसिक स्कूल	1112
	छात्र संख्या	137670
	छात्रायें	51639
2.	सिनियर बेसिक स्कूल	286
	छात्र संख्या	32267
	छात्रायें	13402
	अनु० जातिछात्र	15267
3.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	81
	छात्र संख्या	83858
	छात्रायें	38994
	अनु० जाति छात्र	31049
4.	महाविद्यालय	8
	ग्रामीण	-
	नगरीय	8
5.	विश्वविद्यालय	1
6.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	2
7.	पालीटैक्निक	2
8.	बुन्देलखण्ड इंजीनियरिंग कालेज	1
9.	शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान	1

सारणी संख्या-15

जनस्वास्थ्य चिकित्सालय/औषधालय

क्रम	मद	विवरण
1.	ऐलोपैथिक	35
2.	आयुर्वैदिक	28
3.	होम्योपैथिक	5
4.	यूनानी	–
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	51
6.	परिवार एवं मातृ शिशु केन्द्र	11
7.	उपकेन्द्र	251
8.	शैयायें	
	क- एलौपैथिक	1622
	ख- होम्योपैथिक	–
	ग- आयुर्वैदिक	135
	घ- यूनानी	–
	ङ- विशेष चिकित्सालय	
	च- क्षय	1
	छ- कुष्ठ	1
	ज- संक्रामक	–

सारणी संख्या 16

विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत उपयोग

क्रम	मद	विवरण
1.	घरेलू	87360
2.	वाणिज्यक	34080
3.	औद्योगिक	111165
4.	सार्वजनिक प्रकाश	5290
5.	ट्रैक्शन	–
6.	कृषि	36802
7.	सार्वजनिक जल	4388
	योग	279063

परिशिष्ट 'स'

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

(क) पुस्तकें

1. ए.एन. साधु एवं अमरजीत सिंह : रिसर्च मैथडोलॉजी इन सोशल साइन्सेज, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, बाम्वे, 1980
2. विलियम जे. गुड एवं पाल के. हाट : मैथड्स इन सोशल रिसर्च, मैकग्राहिल बुक कम्पनी, न्यूयार्क 1962
3. डी.एन. एवाहनत : फण्डामेण्टल ऑफ स्टैटिस्टिक, 1970
4. ए. कोत्स्यायनिस : मॉडर्न इकोनॉमिक्स, दि मैकमिलन प्रेस लि० लंदन
5. फिलिप एण्ड टोडैरो : मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नैरोबी
6. के.पी. जैन : आर्थिक विश्लेषण, आगरा बुक स्टोर, आगरा 1986
7. एस.एन. लाल : आर्थिक सिद्धान्त, शिव प्रकाशन, इलाहाबाद
8. डॉ. शुक्ला एवं सहाय : सांख्यिकी के सिद्धान्त, साहित्य भवन, आगरा, 1986,
9. टी.एन. हजेला : आर्थिक विचारों का इतिहास
10. एम.सी. वैश्य : आर्थिक विचारों का इतिहास
11. जे.सी. वार्ष्णेय : राजस्व, साहित्य भवन, आगरा
12. रामबाबू गुप्ता एवं मीरा गुप्ता : सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण, सामाजिक विज्ञान प्रकाशन, कानपुर, 1977
13. पी.बी. यंग : साइन्टिफिक सोशल सर्वे एण्ड रिसर्च, प्रेन्टिस हॉल ऑफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 1973

14. जे. हार्वे एण्ड एम. जान्सन : समष्टि अर्थशास्त्र की भूमिका, ईस्ट आजाद नगर, दिल्ली 1971

15. दूधनाथ चतुर्वेदी : श्रम सिद्धान्त एक समीक्षा, साहित्य केन्द्र ज्ञानवापी, वाराणसी, 1961

16. डॉ. आर.पी. सक्सेना : श्रम समस्याएं एवं सामाजिक कल्याण, जय प्रकाशन एण्ड कम्पनी, दिल्ली 1967

17. पी.बी. यंग : साइंटिफिक सोशल सर्वेज एण्ड रिसर्च, प्रेन्टिस हाल, न्यूयार्क 1977-78

18. जॉन वेस्ट : रिसर्च इन एजूकेशन, प्रेन्टिस हाल, नई दिल्ली 1978-79

19. आर.एल. एकांस : सामाजिक शोध प्रचार

20. फ्रैंकयेट्स : सैम्पलिंग मैथड कारसेन्स एण्ड सर्वे हेपत्तर पब्लिशिंग कम्पनी, 1953

21. ब्रूस डब्लू. टकमैन : कन्डक्टिंग एजूकेशनल रिसर्च, न्यूयार्क हरकोर्ट, बेस जोनेबोचिल, 1972

22. ई.ए.ए. बोगार्डस : सोशलॉजी, 1954

23. के.पी. जैन : अर्थशास्त्र के सिद्धांत, 1986

24. बी.सी. सिन्हा : अर्थशास्त्र के सिद्धांत, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली

25. रुद्रदत्त एवं के.पी.एम. सुन्दरम् : भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चान्द एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली 1993

26. एस.आर. महेश्वरी : रूरल डेवलपमेन्ट इन इण्डिया।

27. के.के. कुरिहारा : द केन्सियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेन्ट

28. डॉ. जे.सी. पन्त : आर्थिक विश्लेषण, जैन सन्स प्रिंटर्स, आगरा

29. डॉ. एस.एन. लाल : अर्थशास्त्र के सिद्धांत, शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद

30. डॉ. रवीन्द्र नाथ मुखर्जी : सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन, 7 यूए, जवाहर नगर, दिल्ली

31. फ्रैंकयेट्स : सैम्पलिंग मैथड कारसेंस एंड सर्वे, हेफनर पब्लिसिंग कम्पनी, 1953

32. पारसनाथ राय : अनुसंधान परिचय, 1973 एवं 1989

33. डॉ. शुक्ल एवं सहाय : सांख्यिकी के सिद्धांत, साहित्य प्रकाशन, आगरा

34. डॉ. आर.एन. त्रिवेदी तथा डॉ. डी.पी. शुक्ल : रिसर्च मैथडोलौजी, कालेज बुक डिपो, जयपुर

35. आई.सी. ढींगरा : रूरल इकोनॉमिक्स, सुल्तानचंद एण्ड संस, नई दिल्ली 1989

36. सुरेश कुमार शर्मा : डायनामिक आफ डेवलपमेंट एण्ड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, डी.के. पब्लिसर्स, नई दिल्ली

37. श्री पी. मिश्रा : ग्रामीण अर्थशास्त्र, प्रिंट बैल पब्लिसर्स

प्रमोद सिंह : ग्रामीण विकास संकल्पनायें, उपागम एवं मूल्यांकन

38. अमिताभ तिवारी : पर्यावरण विज्ञान अध्ययन केन्द्र, इलाहाबाद

39. एस.पी. गुप्ता : भारत में ग्रामीण विकास के चार दशक, ग्रामीण विकास प्रकाशन, इलाहाबाद

40. दूधनाथ चतुर्वेदी : श्रम-सिद्धांत : एक समीक्षा साहित्य केन्द्र, ज्ञानवापी, वाराणसी

41. डॉ. आर.पी. सक्सेना : श्रम समस्यायें एवं सामाजिक कल्याण, जय प्रकाशन एण्ड कम्पनी, दिल्ली, 1967

(ख) लेख एवं शोध पत्र

1. ए.आर. देसाई : रूरल डेवलपमेंट एण्ड ह्यूमन राइट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया, ई. पी. डब्लू. अगस्त 1997

2. बी.के.आर.बी. राणा : इकोनॉमिक ग्रोथ एण्ड रूरल अरबन इनकम डिस्ट्रीब्यूटर, इकोनॉमिक वीकली 120/1990

3. श्री नाथ दीक्षित : एकीकृत ग्रामीण विकास अवधारणा की उत्पत्ति रोजगार समाचार, 14-20 अक्टूबर, 1995

4. प्रमोद सिंह : ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या 1989

5. श्री सुकदेव प्रसाद : पर्यावरण संरक्षण : जन आंदोलन जरूरी है सहकारिता विशेषांक 1987

(ग) पत्र-पत्रिकायें

1. योजना : 542, योजना भवन, नई दिल्ली
2. कुरुक्षेत्र : सं0 कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली (विभिन्न अंक)
3. सांख्यकी डायरी : अर्थ एवं संख्या प्रभाग, योजना भवन, उ0प्र0 (1975 से 96 तक)
4. सांख्यकी पत्रिका : अर्थ एवं संख्या प्रभाग, झांसी (विभिन्न अंक)
5. उत्तर प्रदेश वार्षिकी : निदेशालय, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, लखनऊ (विभिन्न अंक)
6. अर्थशास्त्री : सामाजिक, आर्थिक समस्याओं पर, अंक 1989 दिल्ली
7. सामाजिक समीक्षा : अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजक संस्था, झांसी। 1991 से 1996 तक
8. उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा : अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 1991 से 1996 तक

(घ) समाचार पत्र

1. योजना (पिछले कई वर्षो की)
2. इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली पिछले कई वर्षो की)
3. दैनिक जागरण, झांसी (पिछले दो वर्षो के)
4. द इकोनामिक टाइम्स (पिछले कई वर्षो के)
5. कुरुक्षेत्र (पिछले कई वर्षो की)

(ङ) सरकारी दस्तावेज

1. झांसी गजेटियर (प्राचीन)
2. झांसी गजेटियर (नवीन)
3. पांचवी पंचवर्षीय योजना प्रारूप, केन्द्र सरकार, नई दिल्ली
4. छठवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप, केन्द्र सरकार, नई दिल्ली
5. सातवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप, केन्द्र सरकार, नई दिल्ली
6. आठवीं पंचवषीर्य योजना प्रारूप, केन्द्र सरकार, नई दिल्ली
7. आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप, उत्तर प्रदेश
8. उत्तर प्रदेश सरकार का विभिन्न वर्षो का बजट
9. वार्षिक योजनायें- वर्ष 1991 से 96 तक

(च) विविध

1. दैनिक जागरण, झांसी
2. दैनिक भारकार, झांसी
3. दैनिक आज, कानपुर
4. अमर उजाला, कानपुर
5. नव भारत टाइम्स, लखनऊ
6. जनसत्ता, नई दिल्ली
7. स्थानीय समाचार पत्र

(छ) प्रतिवेदन

1. जनपदीय सांख्यिकी पत्रिका, 2000
2. जनपदीय सांख्यिकी पत्रिका 2001
3. सांख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश 2000
4. विकेन्द्रित नियोजन : वार्षिक योजना,
5. द इकोनॉमिक्स टाइम्स, दिल्ली
6. पाठ्य सामग्री, एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, लखनऊ
7. उत्तर प्रदेश के आय व्यय का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धित वर्गीकरण 1995-96 अर्थ एवं

संख्या प्रभाग (यू०पी०)

8. वर्ल्ड डेवलपमेन्ट रिर्पोट,

9. अर्थ दर्शन पत्रिका (जयपुर) 1996

10. गांव के गरीबों के लिए सुनिश्चित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सूचना मंत्रालय भारत सरकार

11. न्यूज लेटर, आई०सी०एस०आर०

12. पंचायती राज सूचना मन्त्रालय, भारत सरकार

(ज) ***Report***

1. U.N. Department of Economic Affairs : Proceedings of the U.N. Scientific Conference on the conservation and utilisation of Resources, Vol. II (Mineral Resources); August September, 1949.

2. Smith Guy, Harold (Editor) : Conservation and Natural Resources; John Wilay & Sons, 1950.

3. Carlson Albert S. : Economic Geography of Industrial Minerals, Reinhold Pub. Crop; 1956.

4. Walter Allen Shirley : Conserving Natural Resources - Principles and Practice in A democracy; McGraw Hill; 2nd Edition, 1959.

5. Bateman Allan M. : Economic Mineral Deposits; Asian Publishing House, 2nd Edition, 1962.

6. Park (Jr.) Charies F. (Editor) : Earth Resources; Voice of America Forum Series, 1973.

7. Reedman J.H. : Techniques of Mineral of Exploration; Applied Science Publishers Ltd., 1979.

8. Indian Bureau of Mines : Proceedings of the Workshop on Mineral Policy for Small Scale Mining; November, 1984.

9. Hussain A.M. : The Economics and Economic Geology of the Mineral Industries; Allied Publishers, 1985.